



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 135-2016/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 25, 2016 (BHADRA 3, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

### Notification

The 25th August, 2016

**No. 20-HLA of 2016/85.**— The Haryana Private Universities (Second Amendment) Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

**Bill No. 20-HLA of 2016.**

### THE HARYANA PRIVATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) BILL, 2016

A

### BILL

*further to amend the Haryana Private Universities Act, 2006.*

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Private Universities (Second Amendment) Act, 2016. Short title.
2. For sub-section (1) of section 17 of the Haryana Private Universities Act, 2006 (hereinafter called the principal Act), the following sub-section shall be substituted, namely:- Amendment of section 17 of Haryana Act 32 of 2006.

“(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor as per the qualifications prescribed by the University Grants Commission, subject to the provisions contained in sub-section (7) and shall hold office for a term of three years:

Provided that after expiry of the term of three years, the Vice-Chancellor shall be eligible for re-appointment for subsequent terms of three years each till he attains the age of seventy years, if he has contributed significantly to raise the academic and research standards of the university.”.
3. In the Schedule to the principal Act, after serial number 19 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added, namely:- Amendment of Schedule to Haryana Act 32 of 2006.

“20. Starex University                      District Gurgaon”.

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

There is a need for creation and expansion of educational institutions for improving opportunities of higher education for the youth of the State. In order to accommodate the unprecedented growth of students in higher education, and also to cross the target of 30% gross enrolment ratio (GER), we need to roughly double the number of institutions at all levels by 2020. The Government intervention would not be adequate to meet this benchmark in higher education. We need to enlist the participation of private sector in a major way. Haryana Private Universities Act, 2006 has been brought essentially to rope in private sector to supplement the initiative of Government in expanding the capacity in higher education and upscaling its standards.

The Private Universities established till date have shown promise to be emerged as Centres of Excellence in academic spheres. The private universities in the State do not receive any funding/grant/financial assistance from the State Government and it takes a considerable time for a Vice-Chancellor to familiarize with the regulatory, academic and research works of the university system. Therefore, for the steady progress and academic development, it is proposed that there should not be any cap/restriction on the number of terms of a Vice-Chancellor in a private university. The Vice-Chancellor shall be eligible for re-appointment for subsequent terms of three years each till he attains the age of 70 years, if the Vice-Chancellor has contributed significantly to raise the academic and research standards of the university.

Further, to achieve the objectives enshrined in the Haryana Private University Act, 2006, a proposal has been formulated for setting up of Starex University, Gurgaon.

Hence, this Bill.

RAM BILAS SHARMA,  
Education Minister, Haryana.

Chandigarh:  
The 25th August, 2016.

R.K. NANDAL,  
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 20—एच०एल०ए०

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016  
हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम,  
2006, को आगे संशोधित  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006, की धारा 17 की उप-धारा (1) (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-  
2006 का हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 17 का संशोधन।  
“(1) कुलपति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित योग्यताओं के अनुसार, उप-धारा (7) में दिए गए उपबन्धों के अध्यक्षीन, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :  
परन्तु तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद, कुलपति तीन वर्ष की प्रत्येक पश्चात्पूर्ती अवधियों के लिए पुनः नियुक्ति हेतु, जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु का नहीं हो जाता, पात्र होगा, यदि उसने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक तथा अनुसंधान मानकों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।”।
3. मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम संख्या 19 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात्:-  
2006 का हरियाणा अधिनियम 32 की अनुसूची का संशोधन।  
“20. स्टारैक्स विश्वविद्यालय जिला गुड़गांव”।

### उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

राज्य के युवाओं को उच्चतर शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु शैक्षणिक संस्थाओं की संरचना और विस्तार की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों की अप्रत्याशित वृद्धि को समायोजित करने की व्यवस्था में और 30% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लिए हमें सभी स्तरों पर वर्ष 2020 तक संस्थाओं की संख्या में मोटे तौर पर दोहरी वृद्धि करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं होगा। हमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को एक प्रमुख रूप में शामिल करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा और इसके मानकों के पैमाने की क्षमता का विस्तार करने में सरकार की पहल के अनुपूरक में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय, 2006 को अनिवार्यतः लाया गया।

अब तक स्थापित निजी विश्वविद्यालयों ने शैक्षिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उभरने की संभावना दिखाई है। राज्य में निजी विश्वविद्यालय राज्य सरकार से कोई धन/अनुदान/वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करते हैं तथा एक कुलपति को विश्वविद्यालय प्रणाली के नियामक, शैक्षणिक व शोध कार्य से परिचित होने में काफी समय लगता है। इसलिए, विश्वविद्यालय की स्थिर प्रगति और शैक्षणिक विकास हेतु यह प्रस्तावित है कि एक निजी विश्वविद्यालय में कुलपति की अवधियों की संख्या पर कोई उच्च सीमा/प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। कुलपति 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक तीन वर्ष की अवधि के बाद भी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, यदि कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के दीर्घकालिक शैक्षणिक व अनुसंधान के मानकों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो।

इसके अतिरिक्त हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्टारैक्स विश्वविद्यालय, गुड़गांव की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

अतः बिल प्रस्तुत है।

राम बिलास शर्मा,  
शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :  
दिनांक 25 अगस्त, 2016.

आर० के० नांदल,  
सचिव।



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 135-2016/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 25, 2016 (BHADRA 3, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

### Notification

The 25th August, 2016

**No. 21-HLA of 2016/86.**— The Haryana Sports Council Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

**Bill No. 21- HLA of 2016**

### THE HARYANA SPORTS COUNCIL BILL, 2016

A

### BILL

*to provide for the promotion of sports, games, yoga and physical fitness, to augment the athletic efficiency, to promote the concept of 'sports for all', to constitute sports councils at State level, district level and local level in the State of Haryana and for matter ancillary or incidental thereto.*

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

### CHAPTER 1 PRELIMINARY

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. (1) This Act may be called the Haryana Sports Council Act, 2016.<br/>(2) It shall come into force at once.</p>  | <p>Short title and<br/>Commencement.</p> |
| <p>2. In this Act, unless the context otherwise requires,-</p> <p>(a) "Appellate Tribunal" means the Appellate Tribunal constituted under section 40;<br/>(b) "awardee" means a sportsperson who has been awarded sports award at State, National or International level, as recognized by the State Government;<br/>(c) "Block Sports Council" means a Block Sports Council constituted under section 22;<br/>(d) "Corporation Sports Council" means a Corporation Sports Council constituted under section 16;<br/>(e) "district" means a revenue district;</p> | <p>Definitions.</p>                      |

- (f) "District Sports Council" means the a District Sports Council constituted under section 9;
- (g) "educational institution" means a university, college, school, engineering college, medical college, polytechnic, industrial training institute or such other institution where instructions are imparted in any scientific, technical or arts subjects or any other institution as notified by the State Government;
- (h) "existing sports council" means the existing sports council either at the State level or district level;
- (i) "member" means a member of the State Sports Council, District Sports Council, Corporation Sports Council, Municipal S5194ports Council, Town Sports Council, Block Sports Council or any other sports promotion body, as the case may be, constituted under this Act;
- (j) "Municipal Sports Council" means a Municipal Sports Council constituted under section 18;
- (k) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
- (l) "registered sports organization" means a Sports Organization registered with the State Sports Council;
- (m) "recognized sports discipline" means such sports discipline as recognized by the State Government by notification;
- (n) "regulations" means regulations made by the State Sports Council under this Act;
- (o) "sports" shall include such outdoor and indoor sports, games, yoga and other physical activities including traditional sports, self-defence skills, adventure sports, martial arts and shall include any other physical or mental activity, as the State Government may, specify, by notification, in the Official Gazette;
- (p) "sportsperson" means a person who has participated in any of the recognized sports discipline at District, State, National or International level in recognized sports competitions;
- (q) "sports club" means a sports body registered with the Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council, Block Sports Council, as the case may be;
- (r) "sports organization" means an organization constituted in accordance with law for the time being in force and having a written constitution for the promotion of sports and games and includes all sports association of recognized sports disciplines at the State and district level;
- (s) "Standing Committee" means the Standing Committee constituted under section 8;
- (t) "State Government" means the Government of the State of Haryana;
- (u) "State Sports Council" means the Haryana State Sports Council constituted under section 3;
- (v) "Town Sports Council" means a Town Sports Council constituted under section 20.

## CHAPTER II

### STATE SPORTS COUNCIL

State Sports Council.

3. (1) On the commencement of this Act, the State Government shall by notification, constitute with effect from such date, as may be specified in the notification, a State Sports Council to be called the Haryana State Sports Council for a term of three years.
- (2) The State Sports Council shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to enter into contract and shall by the said name sue and be sued.
- (3) The State Sports Council shall be constituted as per the composition specified in Schedule-I and shall also be the governing body of the State Sports Council. The State Government may, by notification, add, modify, rescind or alter the composition of the State Sports Council.

- (4) The President and the Vice-President of the State Sports Council shall exercise such powers, as may be delegated to them by the governing body of the State Sports Council.
- (5) Every member of the State Sports Council, other than ex-officio members, shall hold office for a period of three years:
- Provided that no member nominated in his capacity as a member of a particular body or as the holder of a particular office shall continue as a member beyond a period of three months after he has ceased to be such member or holder of such office unless he again becomes such member or holder of such office within such period.
- (6) The President of the State Sports Council shall nominate the nominated members in the State Sports Council.
- (7) The Executive Vice-President shall function on full time basis and shall be paid such honorarium and other facilities, as may be decided by the President.
4. (1) The Administrative Secretary, Sports and Youth Affairs Department shall be the ex-officio Secretary-General of the State Sports Council. The State Government may appoint an officer not below the rank of Joint Secretary as the Secretary of the State Sports Council to carry out such functions, as assigned to him by the Secretary-General and shall in case of his absence or vacancy, discharge the functions of Secretary-General. Secretary-General  
of State Sports  
Council.
- (2) The State Government may designate a Gazetted Officer in State Government, an awardee or a medal winner in National or International competition as the Joint Secretary of the State Sports Council for carrying out the functions assigned by the State Sports Council and shall in case of absence or vacancy, discharge the functions of Secretary-General.
- (3) Subject to the supervision of the State Sports Council, the Secretary-General shall be the Chief Executive Officer and shall have general supervision and control over the employees of State Sports Council and the District Sports Councils and shall perform the following duties, namely:-
- (i) implement the resolutions of the State Sports Council and the Standing Committee;
  - (ii) incur the expenditure authorized by the State Sports Council and the Standing Committee;
  - (iii) make payments by cheques or cash for all the expenses authorized by the State Sports Council;
  - (iv) be responsible for the safe custody of the fund of the State Sports Council;
  - (v) keep and maintain accounts of income and expenditure of the State Sports Council;
  - (vi) keep the records of the meetings and the proceedings of the State Sports Council and Standing Committee; and
  - (vii) submit returns, accounts, statement and other details when required by the State Government or authorized Audit Officer.
- (4) The Secretary-General may, with the permission and subject to such restrictions and limitations, as may be specified by the Standing Committee by an order in writing, entrust any of his functions to the Secretary or any official of the State Sports Council.
5. (1) Save as otherwise expressly provided in this Act, the State Sports Council shall have the following powers and functions, namely:- Functions of  
State Sports  
Council.
- (a) to organize, co-ordinate and promote sports;
  - (b) to establish sports information centres, stadia, pavilions, playgrounds, parks, children's parks, sports training centres, sports hostels, sports institutions and to construct buildings, swimming pools and gymnasias etc.;

- (c) to acquire properties for carrying out all or any of its activities;
- (d) to conduct or organize itself or through District Sports Council, Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council, Block Sports Council and to ensure participation of District Sports Council, Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council or Block Sports Council in tournaments, competitions, training courses, seminars, coaching centres, exhibitions or tours for promotion of sports;
- (e) to introduce insurance and accident insurance coverage for sportspersons, coaches and referees in such manner, as may be prescribed;
- (f) to grant assistance by way of loans or otherwise to sportspersons, educational institutions, sports organizations, sports clubs or sports associations;
- (g) to raise fund for carrying on its activities;
- (h) to arrange and conduct competitions in sports in the State at National, International, Inter-state or local level;
- (i) to give grants or funds to educational institutions and registered sports organizations for promotion of sports;
- (j) to establish, administer and regulate research centres for development of sports;
- (k) to establish sports information centres and to compile and collect sports related data, statistics and information etc.;
- (l) to publish sports magazines, books, titles, bulletins and other sports related information;
- (m) to formulate and implement schemes for welfare of the sportspersons;
- (n) to formulate and implement schemes for welfare of the disabled sportspersons;
- (o) to promote anti-doping measures in sports;
- (p) to take effective steps for prevention of sexual harassment in sports; and
- (q) to do any other act that may be conducive to the furtherance of the objects of this Act.
- (2) The State Sports Council shall exercise such powers and discharge such other functions, as may be conferred under this Act and the rules made thereunder.
- (3) The State Sports Council may, subject to any restrictions and conditions, as may be specified by it, delegate its powers and duties under this Act to the Standing Committee.
- (4) The State Sports Council shall exercise general supervision and control over the Sports Councils constituted under the Act and shall be empowered to issue directions to such councils which shall be binding.
- 6.** Meeting of State Sports Council.
- (1) The State Sports Council shall meet at least twice in a year and the quorum shall be one-third of its total members.
- (2) The President of the State Sports Council may, whenever he thinks fit, convene a special meeting of the State Sports Council for the transaction of urgent business.
- (3) Subject to such conditions, as may be prescribed and upon a written requisition of not less than one-third of its total members, the President shall convene a special meeting of the State Sports Council to discuss urgent matters.
- 7.** Procedure of State Sports Council.
- (1) The State Sports Council shall regulate its own procedure and shall transact its business through resolutions passed in accordance with such procedure.
- (2) A copy of every resolution shall be forwarded to the State Government within a period of fifteen days of the passing of that resolution.
- (3) The State Government may call for any record or information regarding any resolution from the State Sports Council and the State Sports Council shall be bound to furnish such record or information.



- (4) The State Government may, after giving reasonable notice to the State Sports Council and after hearing its objections, if any, suspend, cancel or modify any resolution passed by the State Sports Council.
8. (1) There shall be Standing Committee for the State Sports Council consisting of the following members, namely:- Standing Committee.
- (a) Vice-President of the State Sports Council-Chairman of the Standing Committee;
  - (b) Executive Vice-President of the State Sports Council- Vice-Chairman of the Standing Committee;
  - (c) Administrative Secretary, Sports and Youth Affairs Department and Secretary-General of State Sports Council;
  - (d) Director, Sports and Youth Affairs Department;
  - (e) Secretary, State Sports Council if appointed or designated;
  - (f) Four members to be nominated by the President of the State Sports Council from among the members of whom one shall be a member representing the sports organizations/associations and one shall be a sports expert/awardee/ medal winner in the International events. One nominated member shall be a woman.
- (2) The Standing Committee shall meet in such manner, at such time and at such place, as the Chairman of the Standing Committee may decide and shall exercise such powers and discharge such functions, as may be entrusted to it by the State Sports Council.
- (3) Without prejudice to the powers and functions entrusted to the Standing Committee by the State Sports Council, the Standing Committee shall discharge the following functions, namely:-
- (i) to create posts on contract, honorarium or fixed fee basis in the State Sports Council and the Districts Sports Council;
  - (ii) to create regular posts in District Sports Councils and constitute selection committees;
  - (iii) to engage consultants for various activities of the State Sports Councils and District Sports Councils;
  - (iv) to approve calendar of events of the State Sports Council;
  - (v) to monitor day to day activities of State Sports Council;
  - (vi) to exercise supervisory control over District Sports Councils;
  - (vii) to approve organizing various programmes such as training camps, tournaments, coaching camps, competitions etc;
  - (viii) to approve special grants for players participating in various National and International events;
  - (ix) to approve aid and financial help to the sportspersons injured during sports events;
  - (x) to approve grants for purchase of equipment to the sportspersons participating in National and International competitions;
  - (xi) to approve kit and uniform to the sportspersons participating in National and International competitions; and
  - (xii) to take special measures in the case of emergency.
- (4) The Standing Committee shall regulate its own procedure.
- (5) The Chairman of the Standing Committee may be delegated functions, powers and duties to be discharged by State Sports Council.
- (6) The Executive Vice-Chairman shall chair the meeting of the Standing Committee in the absence of the Chairman.

**CHAPTER III**  
**DISTRICT SPORTS COUNCILS**

District Sports Council.

- 9.** (1) The State Government shall, by notification, constitute a body to be called the District Sports Council in each district, for a term of three years.
- (2) Every District Sports Council shall be a body corporate by the name of the district for which it is constituted, having perpetual succession and common seal, with power to acquire, hold and dispose of movable and immovable properties, to enter into contracts and to do all matters proper and expedient for the purpose for which it is constituted and shall by the said name sue and be sued.
- (3) The District Sports Councils shall be constituted as per the composition specified in Schedule-II. The State Government may, by notification, add, modify, rescind or alter composition of District Sports Councils.
- (4) There shall be a President and a Vice-President for every District Sports Council. The Vice-President shall be nominated by the President, State Sports Council from among the members of the concerned District Sports Council.
- (5) The President and Vice-President of District Sports Council shall exercise such powers and perform such duties, as may be delegated or authorized by the State Sports Council by general order.
- (6) No member nominated in his capacity as a member or as the holder of a particular office shall continue as a member beyond a period of three months after he has ceased to be such member or holder of such office unless he again becomes such member or holder of such office within such period:

Provided that the term of office of the nominated male student and female student shall be one year from the date of nomination.

Secretary and Joint Secretary of District Sports Council.

- 10.** (1) The District Sports Officer shall be the ex-officio Secretary of the District Sports Councils. The Standing Committee on the recommendation of President, District Sports Council may designate any other sports official as Secretary of the District Sports Council.
- (2) The President of the District Sports Council shall, with the approval of the Standing Committee, designate a Gazetted Officer in State Government, an awardee or a medal winner in National or International competition as the Joint Secretary of the District Sports Council to discharge functions of Secretary in case of his absence or vacancy or to perform any other duty as assigned to him by the President.
- (3) Subject to the supervision of the State Sports Council, the Secretary of the District Sports Council shall be the Chief Executive Officer and shall have general supervision and control over the employees of District Sports Council.
- (4) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Secretary shall-
- (i) give effect to the resolutions of the District Sports Council and its Executive Committee;
  - (ii) be responsible for the safe custody of the fund of District Sports Council;
  - (iii) maintain and keep the accounts of receipts and expenditure of the District Sports Council;
  - (iv) examine and cause to be audited the statements and accounts of the Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council and Block Sports Council; and
  - (v) submit returns, accounts, statements or other details, whenever required by the State Government or the State Sports Council or any audit authority.
- (5) The Secretary of the District Sports Council shall exercise such other powers and perform such duties, as may be conferred or imposed upon him by the President of the District Sports Council.

- 11.** (1) It shall be the duty of every District Sports Council to perform such functions of the State Sports Council, as may be delegated to it by the State Sports Council from time to time. Functions of District Sports Council.
- (2) Without prejudice to the generality of the functions referred to in sub-section (1), the District Sports Council shall perform the following functions, namely: -
- (a) co-ordinate the activities of the Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council and Block Sports Council and other sports organizations in the district;
  - (b) organize sports events, competitions or tournaments within the district; and
  - (c) perform such other functions as the State Sports Council may specify by general or specific order.
- (3) The District Sports Council shall discharge its functions in appropriate manner jointly with other Government agencies, non-Government institutions, educational institutions and other organizations engaged in sports and games and shall also act according to the directions of the State Sports Council, as received in writing.
- 12.** (1) There shall be an Executive Committee of the District Sports Council consisting of its President, Vice-President, Secretary and two members to be nominated by the President of District Sports Council from among its members, of whom one shall be a woman. Executive Committee of District Sports Council.
- (2) The Executive Committee shall discharge such functions and perform such other duties, as may be entrusted to it by the District Sports Council, from time to time.
- (3) The procedure and quorum of meeting of the Executive Committee shall be such, as may be decided by District Sports Council.
- 13.** (1) Every District Sports Council shall meet at least twice in a year on the dates, as may be fixed by the President of the District Sports Council and one of such meeting shall be the annual meeting. Meeting of District Sports Councils.
- (2) The President of the District Sports Council shall preside over its meetings. The Vice-President in the absence of the President shall preside over the meetings of the District Sports Council and exercise such powers and perform such duties, as the President may, from time to time, delegate to him.
- (3) The President may, whenever deems necessary, convene a special meeting of the District Sports Council for transaction of urgent business.
- (4) Subject to such conditions, as may be prescribed, if not less than one-third of the total members of the District Sports Council demand in writing for the discussion of matters of urgent nature, a special meeting of the District Sports Council shall be convened by its President within fifteen days of such demand.
- (5) The quorum of a meeting of the District Sports Council shall be one-third of its total membership.
- 14.** (1) The District Sports Council shall transact its business by resolution passed in such manner and in accordance with such procedure, as may be directed by general order of the State Sports Council and in absence of such orders, the District Sports Council shall regulate its own procedure. Procedure of District Sports Council.
- (2) The copy of every resolution shall be forwarded to the State Sports Council, within fifteen days from the date of its passing.
- (3) The State Sports Council may call for any records or information regarding any resolution from the District Sports Council and the District Sports Council shall be bound to furnish such record or information.
- (4) The State Sports Council may, after giving reasonable notice to the District Sports Council and after hearing its objections, if any, suspend, cancel or modify any resolution passed by the District Sports Council.

## CHAPTER IV

## OTHER SPORTS COUNCILS

- 15.** For the purpose of co-ordinating and implementing various activities connected with sports in rural and urban areas, the State Sports Council may, in consultation with District Sports Council and the local authorities concerned, by notification, constitute with effect from such date, as may be specified in the notification,-
- (a) a Corporation Sports Council in the Municipal Corporation area;
  - (b) a Municipal Sports Council in the Municipal Council area;
  - (c) a Town Sports Council in the Municipal Committee area;
  - (d) a Block Sports Council in the Block Panchayat Samiti area.
- 16.** (1) The Corporation Sports Council shall be constituted as per the composition specified in Schedule-III. The State Government may, by notification, add, modify, rescind or alter composition of the Corporation Sports Council.
- (2) The Vice-President shall be nominated by the President of the State Sports Council. The Vice-President shall discharge such duties, as may be entrusted to him by the President and shall preside over the meetings of the Corporation Sports Council in the absence of the President.
- (3) The President of the Corporation Sports Council shall nominate in consultation with the Vice-President, nominated members of the Corporation Sports Council.
- 17.** There shall be an Executive Committee for every Corporation Sports Council consisting of its President, Vice-President, Secretary and two members of whom one shall be a woman, out of the nominated members of the Corporation Sports Council for the day-to-day administration of its affairs. The members of the Executive Committee shall be nominated by the President of the Corporation Sports Council in consultation with the Vice-President of the Corporation Sports Council.
- 18.** (1) The Municipal Sports Council shall be constituted as per the composition specified in Schedule-IV. The State Government may, by notification, add, modify, rescind or alter composition of the Municipal Sports Council.
- (2) The Vice-President shall be nominated by the President of the State Sports Council. The Vice-President shall discharge such duties, as may be entrusted to him by the President and shall preside over the meetings of the Municipal Sports Council in the absence of the President.
- (3) The President of the Municipal Sports Council shall nominate in consultation with the Vice-President, nominated members of the Municipal Sports Council.
- 19.** There shall be an Executive Committee for every Municipal Sports Council consisting of its President, Vice-President, Secretary and two members of whom one shall be a woman, out of the nominated members of the Municipal Sports Council. The members of the Executive Committee shall be nominated by the President of the Municipal Sports Council in consultation with the Vice-President of the Municipal Sports Council.
- 20.** (1) The Town Sports Council shall be constituted as per the composition specified in Schedule-V. The State Government may, by notification, add, modify, rescind or alter composition of the Town Sports Council.
- (2) The President of the Town Sports Council shall nominate the nominated members of the Town Sports Council.
- 21.** There shall be an executive committee for every Town Sports Council consisting of its President, Secretary and two members to be nominated by the President of the Town Sports Council of whom one shall be a woman.
- 22.** (1) The Block Sports Council shall be constituted as per the composition specified in Schedule-VI. The State Government may, by notification add, modify, rescind and alter composition of Block Sports Council.

(2) The Vice-President shall be nominated by the President of the State Sports Council. The Vice-President shall, discharge such duties, as may be entrusted to him by the President and shall preside over the meetings of the Block Sports Council in the absence of the President.

(3) The President of the Block Sports Council shall nominate in consultation with the Vice-President, nominated members of the Block Sports Council.

**23.** There shall be an Executive Committee for every Block Sports Council consisting of its President, Vice-President, Secretary and two members of whom one shall be a woman, out of the nominated members of the Block Sports Council. The members of the Executive Committee shall be nominated by the President of the Block Sports Council in consultation with the Vice-President of the Block Sports Council.

Executive  
Committee of  
Block  
Sports Council.

**24.** (1) The Secretary of the Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council and Block Sports Council shall,-

Duties and  
functions of  
Secretary of  
other Sports  
Council.

- (i) give effect to the resolution of the respective Sports Council and its Executive Committee;
- (ii) be responsible for the safe custody of the fund of respective Sports Council;
- (iii) maintain and keep the accounts of receipts and expenditure of the respective Sports Council;
- (iv) examine and cause to be audited the statement and accounts of the respective Sports Council; and
- (v) submit returns, accounts, statements or other details, whenever required by the District Sports Council or any audit authority.

(2) The Secretary of the Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council and Block Sports Council shall exercise such powers and perform such duties, as may be conferred or imposed upon him by the President of the respective Sports Council.

**25.** The Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council and Block Sports Council shall perform the following functions, namely: -

Functions of  
other  
Sports Council.

- (a) co-ordinate the activities of the registered sports organizations and sports clubs within their jurisdiction;
- (b) organize sports events or competitions or tournaments within their area of jurisdiction; and
- (c) perform such other functions, as may be entrusted to it by the District Sports Council.

**26.** (1) Every member other than the ex-officio members shall hold office for a period of three years from the date of his nomination:

Term of office of  
members.

Provided that the term of office of the student representatives nominated to the Corporations Sports Council, the Municipal Sports Council and the Town Sports Council shall be one year from the date of their nomination.

- (2) No person shall be nominated as a member for more than two consecutive terms.

**27.** (1) Every Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council and Block Sports Council shall meet at least twice in a year.

Meetings of  
other Sports  
Council.

- (2) One-third of the total number of its members shall be the quorum for a meeting.

**28.** (1) If a dispute arises in respect of any matter under the provisions of this Act or rules made thereunder between two or more Sports Councils or between Sports Council and sportsman or between two or more sportspersons or between two or more sports organizations or between sports organization and sportspersons of a district or between a sports organization and any sports council within the district, the District Sports Council shall have power to settle dispute.

Settlement of  
disputes between  
Councils,  
sportspersons and  
sports  
organizations.

(2) Any sportsperson, organization, sports club and Sports Council aggrieved by any decision taken by a District Sports Council under this Act or the rules made thereunder, may appeal to the Appellate Tribunal, within such time and in such manner, as may be prescribed and the decision of the Appellate Tribunal thereon shall be final.

Sports Promotion Boards.

**29.** (1) For the purpose of promotion of sports among civil services, there shall be a Civil Services Sports Promotion Board under the chairmanship of the Chief Secretary, Haryana with following members, namely:-

- (i) Administrative Secretary, Finance Department, Haryana;
- (ii) Administrative Secretary, Home Department, Haryana;
- (iii) Administrative Secretary, Sports and Youth Affairs Department, Haryana, Vice-Chairman;
- (iv) Director General Police, Haryana;
- (v) Director, Sports and Youth Affairs, Haryana-Member Secretary;
- (vi) Two members to be nominated by the Chairman, Civil Services Sports Promotion Board from among the recognized employees associations office bearers or recognized sports bodies of employees.

(2) For the purpose of promotion of sports among civil services, the State Government may, by notification, decide contribution to be made by each employee to the Civil Services Sports Promotion Board.

(3) The Civil Services Sports Promotion Board shall regulate its own procedure and activities.

(4) For the purpose of promotion of sports among employees, any notified Government department and public sector undertaking of the State Government may constitute a Sports Promotion Board in consultation with State Sports Council.

(5) The concerned public sector undertaking shall earmark such funds for carrying out activities of the respective Sports Promotion Board, as may be prescribed.

(6) The Sports Promotion Boards shall function in collaboration with the State Sports Council.

(7) For the purpose of promotion of sports and physical fitness among students of various institutions, the State Government may, by notification, constitute Sports Promotion Boards for School Education, Higher Education, Medical Education, Industrial Training Institutes, Technical Education etc. either jointly or separately for each category.

#### CHAPTER V

#### REGISTRATION OF SPORTS ORGANIZATION AND SPORTSPERSONS

Registration of sports organization.

**30.** (1) Any sports organization carrying activities at the State level or district level may be registered with the State Sports Council as a registered sports organization under this Act and any application for such registration shall be submitted to the District Sports Council of the district in which its headquarters is situated, in such form and subject to such terms and conditions, as may be prescribed with a view to provide grants to the sports organizations for organizing coaching, competitions, training and other sports related activities.

(2) The District Sports Council shall consider the application and if satisfied that the conditions for granting recognition have been complied with, the application shall be submitted alongwith its recommendation for registration to the State Sports Council within sixty days from the date of receipt of application.

(3) If the application is not sent to the State Sports Council within the time limit specified in sub-section (2) with such recommendation or the application is rejected, the District Sports Council shall inform the applicant in writing within seventy-five days from the date of receipt of the application.

(4) On receipt of an intimation under sub-section (3), the applicant may within thirty days submit such application direct to the State Sports Council.

(5) The State Sports Council shall consider an application received under sub-section (2) or sub-section (4) and if satisfied such sports organization shall be registered.

(6) Any person aggrieved by any decision of the District Sports Council or the State Sports Council, as the case may, with regard to the registration of a sports organization, may file an appeal before the Appellate Tribunal alongwith such fee, within such time and in such manner, as may be prescribed and the decision of the Appellate Tribunal thereon shall be final.

(7) The sports clubs functioning only in the area of any Municipal Corporation, Municipal Council, Municipal Committee or Block Panchayat Samiti may register as a sports club with the concerned Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council or Block Sports Council, as the case may be.

(8) Any application for registration under sub-section (7) shall be submitted to the concerned sports council in such form and in such manner and subject to such terms and conditions, alongwith such fee, as may be prescribed.

(9) Any application received under sub-section (8) shall be considered by the concerned sports council and if satisfied that the conditions required for such registration have been complied with, such sports club shall be registered or otherwise the fact of refusal of the application shall be intimated to the applicant.

(10) Any person aggrieved by a decision taken under sub-section (9), may appeal to the concerned District Sports Council, within such time and in such manner alongwith such fee, as may be prescribed.

(11) The terms and conditions for the registration of sports organization and the withdrawal of such registration and the procedure to be followed by the District Sports Council and the State Sports Council in granting such registration and the privileges of such registered sports organization shall be such, as may be prescribed.

**31.** (1) Any sportsperson may register as a sportsperson in the District Sports Council and any application for such registration shall be submitted to the District Sports Council in such manner and subject to such terms and conditions, as may be prescribed to avail benefits, cash award, prizes and other facilities.

Registration of sportsperson.

(2) The terms and conditions for registration as sportsperson and the procedure to be followed by the District Sports Council in this behalf and the privileges of such sportspersons shall be such, as may be prescribed.

(3) Any person aggrieved by any decision of the District Sports Council, with regard to the registration of sportsperson, may file an appeal before the Appellate Tribunal within such time and in such manner alongwith such fees, as may be prescribed and the decision of the Appellate Tribunal thereon shall be final.

#### **CHAPTER VI DISSOLUTION OF EXISTING DISTRICT SPORTS COUNCILS**

**32.** (1) On the commencement of this Act, the existing District Sports Council of the concerned district shall be deemed to have been dissolved.

Dissolution of existing Sports Councils.

(2) All assets and rights of whatever kind used, enjoyed or possessed by and all interests of whatever kind owned by or vested in or held by the existing District Sports Council shall subject to such directions, as may be issued by the State Government in this behalf, vest in the concerned District Sports Council.

(3) Upon the constitution of the respective District Sports Council under this Act, every officer or other employee employed in connection with the affairs of the existing District Sports Council shall become an officer or other employee of the concerned District Sports Council and shall hold his office for the same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as to pension, gratuity and other matters as he would have held under the existing District Sports Council, if this section had not been enacted and shall continue to hold office unless and until his employment in the District Sports Council is terminated.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), any officer of State Government deputed for employment in connection with the affairs of the existing District Sports Council and employed as such immediately before the date of commencement of this Act shall stand reverted to the service of the Government.

**CHAPTER VII  
FINANCE ACCOUNTS AND AUDIT**

- Grants by State Government. **33.** The State Government shall pay to the State Sports Council, by way of grants such sum of money, as it may think fit, for carrying out the purposes of this Act. The State Government may place funds at the disposal of State Sports Council or a District Sports Council for organizing coaching, training, competitions, sports events, equipment and seminars either on lump sum basis or activity specific out of the budget allocation.
- State Sports Council Fund. **34.** (1) The State Sports Council shall establish a fund to be called the State Sports Council Fund and the following shall be credited thereto,-  
 (a) all sums of money given by the State Government under section 33;  
 (b) any grants or donations made to the State Sports Council by any other person;  
 (c) any amount received by the State Sports Council from any other source.  
 (2) The State Sports Council Fund shall be applied for meeting,-  
 (a) the expenses in connection with the functioning of the State Sports Council; and  
 (b) any other expenses which are required to be met by the State Sports Council.
- District Sports Council Fund. **35.** (1) Every District Sports Council shall constitute a fund to be called the District Sports Council Fund and shall be credited thereto,-  
 (a) all sums of money paid or any grants made by the State Sports Council to the District Sports Council;  
 (b) any grants or donations made to the District Sports Council by any person or local self-government institutions or other organizations;  
 (c) any other amount received by the District Sports Council from any other source.  
 (2) A District Sports Council Fund shall be applied for meeting,-  
 (a) the expenses in connection with the functioning of the District Sports Council;  
 (b) the expenses in connection with the functioning of the Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council and Block Sports Council;  
 (c) any other expenses which are required to be borne by the District Sports Council.
- Constitution of funds for Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council, etc. **36.** (1) Each Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council and Block Sports Council, as the case may be, shall constitute a fund in its name and shall be credited to such fund the amount received for any special purpose in addition to the amount received from the District Sports Council.  
 (2) The fund constituted under sub-section (1) shall be kept, applied and audited in such manner, as may be prescribed.
- Budget. **37.** (1) Every Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council and Block Sports Council shall, in every year, prepare in such form and within such time, as may be prescribed, a budget for the next financial year showing the estimated receipt and expenditure during that financial year and forward copy of the same to the concerned District Sports Council.  
 (2) After considering the budget estimates under sub-section (1), the District Sports Council shall prepare in such form and within such time, as may be prescribed, a budget for the next financial year showing the estimated receipts and expenditure during the financial year and forward a copy of the same to the State Sports Council.  
 (3) The State Sports Council shall prepare its budget estimate, considering the budget estimates forwarded to it by the District Sports Councils and forward the same to the State Government, within such time, as may be prescribed.  
 (4) On receipt of the budget forwarded to it under sub-section (3), the State Government shall examine the same and suggest such alterations, corrections or modifications to be made therein, as it may think fit and forward such suggestions to the State Sports Council for its consideration.



(5) The State Sports Council shall, in accordance with the suggestions, if any, given by the State Government under sub-section (4), before the 31st March of every year incorporate in its budget and in the budget of the District Sports Councils alteration, corrections or modifications, and the budget so altered, corrected or modified, shall be passed by the State Sports Council.

**38.** (1) The State Sports Council or the District Sports Council, as the case may be, shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the income and expenditure and balance sheet, in such form and in such manner, as may be prescribed.

Accounts and audit.

(2) The accounts of the Council shall be examined and audited by the Director, Local Fund Accounts in accordance with the relevant provisions.

(3) The audited statement of accounts and working report of the State Sports Council shall be forwarded to the State Government before the 31st July of ensuing year and as soon as possible, it shall be laid before the Legislative Assembly by the State Government.

**39.** The State Sports Council may, with the previous sanction of the State Government, as regards the purpose and amount of loan and subject to such conditions, as may be specified by the State Government, as to security and rate of interest, borrow any sum of money from any Scheduled Bank or Co-operative Bank or any other corporate body.

Power to borrow.

#### **CHAPTER VIII APPELLATE TRIBUNAL**

**40.** (1) The State Government shall, by notification, constitute an Appellate Tribunal for settling any dispute, question or any other matter and for taking decision on disputes under this Act between,-

Constitution of Appellate Tribunal.

- (a) State Sports Council and District Sports Council;
- (b) State Sports Council and sports person;
- (c) State Sports Council and sports organization;
- (d) District Sports Council and sports person;
- (e) District Sports Council and sports organization;
- (f) Sports Organization and sports person.

(2) The Tribunal shall consist of,-

- (a) the Law Secretary, ex-officio, who shall be the Chairman of the Tribunal;
- (b) a person qualified to be appointed as a District Judge to be nominated by the State Government as member;
- (c) an expert in sports to be nominated by the State Government as member.

(3) The term of office and other conditions of service of the members of the Appellate Tribunal other than the ex-officio member shall be such, as may be prescribed.

(4) The Appellate Tribunal shall be deemed to be a civil court and shall have the same powers as may be exercised by a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908) while trying a suit or executing a decree or order.

(5) The decision of the Appellate Tribunal shall be final and binding on the parties to the appeal.

(6) The execution of any decision of the Appellate Tribunal by the Civil Court to which such decision is sent for execution shall be made in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure 1908 (Central Act 5 of 1908).

**41.** No suit or other legal proceedings shall lie in any civil court, in respect of any dispute, question or other matter which is required by or under this Act to be determined by the Appellate Tribunal.

Bar of jurisdiction of civil court.

Bar to enforcement of right on behalf of unregistered sports organization and sportsperson.

**42.** No suit, appeal or other legal proceedings for the enforcement of any right on behalf of any sports organization or by a sports person, which or who, as the case may be, has not been registered in accordance with the provisions of this Act shall be instituted, commenced, heard, tried or decided by the Appellate Tribunal after the commencement of this Act and no such suit, appeal or other legal proceeding shall be continued, heard, tried or decided by any court, after such commencement, unless such sports organization or sports person has been registered in accordance with the provisions of this Act.

#### CHAPTER IX

##### OFFICERS AND STAFF

Appointment of officers and staff.

**43.** (1) The Secretary of the State Sports Council for exercising the powers, other duties and functions of the council, appoint such officers and staff for the councils with the prior approval of State Government, as may be required:

Provided that in all appointments to be made directly, such percentage of posts, as may be prescribed, shall be reserved for sports persons.

(2) The State Sports Council may, with the previous approval of the State Government, appoint on deputation basis any employee of the State Government or its organization or Central Government or its organization, as an employee of the State Sports Council or the District Sports Council, on such terms and conditions, as it thinks fit.

(3) Except as provided in this section, the appointment and conditions of service of the officers and employees of the State Sports Council and the District Sports Council shall be such, as may be prescribed.

#### CHAPTER X

##### MISCELLANEOUS

Removal of members.

**44.** (1) A member may, by writing under his hand, addressed to the State Government, resign from his office at any time.

(2) The State Government shall remove a member if he,-

- (a) becomes an undischarged insolvent; or
- (b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the State Government involves moral turpitude; or
- (c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (d) refuses to act or becomes incapable of acting; or
- (e) has, in the opinion of the State Government, so abused the position of member as to render that person's continuance in office detrimental to the objects of this Act:

Provided that no person shall be removed under this sub-section until that person has been given an opportunity of being heard in the matter.

(3) A vacancy caused under sub-section (1) or otherwise shall be filled by fresh nomination.

Power to make rules.

**45.** (1) The State Government may make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) nomination of members by the State Sports Council or the District Sports Councils;
- (b) resignation of members and filling up of consequent vacancies and other casual vacancies;
- (c) maintenance of accounts by the State Sports Council and the District Sports Council and the publication of audited statement of accounts and the reports of auditors;

- (d) restrictions and conditions, subject to which the State Sports Council or the District Sports Council may enter into contract or hold or dispose of property;
- (e) powers, duties and functions of the Secretary and Standing Committee of the State Sports Council and the District Sports Council;
- (f) manner in which the meeting of State Sports Council, District Sports Council, Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council, Block Sports Council etc. shall be summoned and procedure of such meeting and other related matters;
- (g) conditions of service of the officers and staff of the State Sports Council and the District Sports Council;
- (h) constitution of Sports Promotion Board by public sector undertakings, activities of Sports Promotion Board and funds to be earmarked for carrying out its activities;
- (i) registration of sports organization under State Sports Council and District Sports Council;
- (j) registration of individuals as recognized sports persons in State or District;
- (k) constitution of funds by Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council and Block Sports Council;
- (l) preparation of budget and the manner and time limit for submission to the District Sports Council or State Sports Council or State Government, as the case may be;
- (m) procedure to be followed by the Appellate Tribunal;
- (n) terms and conditions of service of the members of the Appellate Tribunal;
- (o) terms and conditions of appointment and service of the offices and employees of the State Sports Council and the District Sports Council;
- (p) any other matter which is required to be or may be prescribed under this Act.

**46.** (1) The State Sports Council may, subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder and with the previous approval of the State Government, by notification, make regulations, generally to carry out the purposes of this Act.

Power of State Sports Council to make regulations.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) conditions and procedure for the affiliation of Sports Clubs;
- (b) standards, qualifications and conditions for conducting or organizing any sport or game or tournament or sports event;
- (c) establishment of sports organizations and maintenance of play grounds;
- (d) functions and powers of the District Sports Council, Corporation Sports Council, Municipal Sports Council, Town Sports Council and Block Sports Council;
- (e) acceptance of donations and endowments and its management;
- (f) any other matter which under this Act is to be, or may be provided for by regulations.

**47.** Every member and the officers and staff appointed under this Act while exercising any power or performing any duty under this Act, shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the India Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).

Members and staff etc. to be public servants.

**48.** (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty:

Removal of difficulties.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

**Schedule-I***(see section 3)*

## Composition of State Sports Council

**Official Members**

- (a) Chief Minister, Haryana, President;
- (b) Sports and Youth Affairs Minister, Vice-President;
- (c) Finance Minister, Member;
- (d) Education Minister, Member;
- (e) Development and Panchayat Minister, Member;
- (f) Health Minister, Member;
- (g) Chief Secretary, Member;
- (h) Principal Secretary to Chief Minister, Member;
- (i) Administrative Secretary, Home Department, Member;
- (j) Administrative Secretary, Finance Department, Member;
- (k) Administrative Secretary, Higher Education Department, Member;
- (l) Administrative Secretary, School Education Department, Member;
- (m) Administrative Secretary, Development and Panchayat Department, Member;
- (n) Administrative Secretary, Town and Country Planning Department, Member;
- (o) Administrative Secretary, Urban Local Bodies Department, Member;
- (p) Administrative Secretary, Sports and Youth Affairs Department, Member;
- (q) Administrative Secretary, Health Department, Member;
- (r) Director General of Police, Member.

**Nominated Members**

- (a) Executive Vice-President from among person having sports background;
- (b) two members from among the members of Legislative Assembly;
- (c) two members from among Vice-Chancellors of Universities in the State;
- (d) President/Secretary, Haryana Olympic Association;
- (e) two Presidents/Secretaries from among the recognized State Sports Organizations/Associations;
- (f) two members from among the NGOs working for promotion of sports in the State;
- (g) one member from Director, Sports or Physical Education of a University in the State;
- (h) two members from experts in sports medicine/sports injury management/sports psychology;
- (i) two members from sports experts/awardees/medal winners in the International events of whom one shall be a woman;
- (j) one member from Sports Journalism;
- (k) two woman members having interest in sports promotion;
- (l) two members from the industry interested in promotion of sports.

**Schedule-II***(see section 9)*

## Composition of District Sports Councils

**Ex-officio Members**

- (a) Deputy Commissioner; who shall be the President of the District Sports Council;
- (b) Representative of Commissioner Police not below the rank of Deputy Commissioner of Police/District Superintendent of Police;
- (c) President of the Zila Parishad;
- (d) Superintending Engineer/Executive Engineer (Buildings and Roads) of the Public Work Department;
- (e) Principals of the Government Colleges;
- (f) District Education Officer;
- (g) District Elementary Education Officer;
- (h) Mayor of Municipal Corporation;;
- (i) District Information and Public Relations Officers;
- (j) Chief Medical Officer;
- (k) Programme Officer Women and Child Development;
- (l) District Sports and Youth Affairs Officer-Secretary of the District Sports Council.

**Nominated Members**

- (a) Vice-President from among the persons having sports background;
- (b) Secretary of District Olympic Association;
- (c) Four members from recognized District Sports Organizations/Associations affiliated to any recognized State Sports Organization/Association;
- (d) One member from the Chairpersons of Municipal Council/Municipal Committees of the concerned district;
- (e) One member from the Presidents of Block Panchayat Samiti within the district;
- (f) Two members from the Sarpanches of Village Panchayat within the district out of which one shall be a woman Sarpanch;
- (g) One Physical Education Instructor from the colleges within the district;
- (h) One male student and one female student from within the district having State level achievements in sports;
- (i) One Registered Medical Practitioner having sufficient expertise in sports medicine;
- (j) Two sports persons having International or National level achievements in sports of whom one shall be a woman.

**Schedule-III***(see section 16)***Composition of Corporation Sports Councils****Ex-officio Members**

- (a) Mayor of the Municipal Corporation, who shall be the President of the Corporation Sports Council;
- (b) Municipal Commissioner of the Municipal Corporation;
- (c) Chief Engineer/Superintendent Engineer/(senior most) of the Municipal Corporation;
- (d) Estate Officer HUDA;
- (e) the Secretary of the Municipal Corporation, who shall be the Secretary of the Corporation Sports Council;
- (f) Principals of Colleges within the Municipal Corporation area;
- (g) Deputy District Educational Officer;
- (h) District Sports Officer.

**Nominated Members**

- (a) Vice-President of Corporation Sports Council from among persons in the corporation area having interest in sports;
- (b) two members from persons having achievements to their credit in sports of whom one shall be a woman;
- (c) two members from sports person students - one male student and one female student within the Municipal Corporation area having achievements to their credit in sports competitions;
- (d) two members from the physical Education teachers within the Municipal Corporation area of whom one shall be from college and the other shall be from school;
- (e) three members from the Councillors of Municipal Corporation of whom one shall be a woman and one shall be a person belonging to Scheduled Caste;
- (f) two members from the office bearers of sports organizations and clubs registered with the Corporation Sports Council;
- (g) two members from Principals of the schools running in the corporation area.

**Schedule-IV***(see section 18)***Composition of Municipal Sports Councils****Ex-officio Members**

- (a) Chairperson of the Municipal Council; who shall be the President of the Municipal Sports Council;
- (b) Executive Engineer/Assistant Engineer of the Municipal Council area;
- (c) Deputy District Education Officer;
- (d) the Secretary of the Municipal Council, who shall be the Secretary of Municipal Sports Council;
- (e) Tehsildar having jurisdiction over the Municipal Council area.

**Nominated Members**

- (a) Vice-President of the Municipal Sports Council from among the persons of the Municipal Council area having interest in sports;
- (b) two members from persons having achievements to their credit in sport of whom one shall be a woman;
- (c) two members from sports person students-male student and one female student having achievements to their credit in Sports;
- (d) one member from Physical Education Teacher;
- (e) three members from the Municipal Councilors of whom one shall be a woman and one shall be a person belonging to Scheduled Caste;
- (f) two members from the office bearers of sports organizations registered with the Municipal Sports Council.

**Schedule-V***(see section 20)***Composition of Town Sports Councils****Ex-officio Members**

- (a) President of the Municipal Committee, who shall be its President;
- (b) Assistant Engineer/Junior Engineer of Municipal Committee area;
- (c) Block Educational Officer;
- (d) the Secretary of the Municipal Committee, who shall be the Secretary of Town Sports Council;
- (e) Tehsildar having jurisdiction over the Municipal Committee area;
- (f) One Principal of a school running in Municipal Committee area.

**Nominated Members**

- (a) two members from persons having achievements to their credit in sport of whom one shall be a woman;
- (b) two members from sports students - male student and one female student having achievements to their credit in Sports;
- (c) two members from Physical Education Teachers;
- (d) three members from the Councilors of Municipal Committee of whom one shall be a woman and one shall be a person belonging to Scheduled Caste;
- (e) two members from the office bearers of sports organizations and clubs registered with the Municipal Committee.



**Schedule-VI***(see section 22)***Composition of Block Sports Councils****Ex-officio Members**

- (a) President of the Block Panchayat Samiti, who shall be the Chairperson of the Block Sports Council;
- (b) Block Development and Panchayat Officer of the Block Panchayat Samiti, who shall be the Secretary of the Block Sports Council;
- (c) Assistant Engineer, Panchayati Raj of the Block Panchayat Samiti;
- (d) Senior Medical Officer of the Community Health Centre having jurisdiction over the headquarters of the Block Sports Council;
- (e) Block Educational Officer having jurisdiction over the headquarters of the Block Sports Council.

**Nominated Members**

- (a) Vice-President of Block Sports Council from among persons in the Panchayat Samiti area having interest in sports;
- (b) two members from Physical Education Teachers nominated by the Block Panchayat Samiti;
- (c) two members from the office bearers of the Parent-Teacher Associations of the Schools situated in the Block Panchayat Samiti;
- (d) two members from persons having achievements to their credit in sports nominated by the Block Panchayat Samiti of whom one shall be a woman;
- (e) three members from the members of the Block Panchayat Samiti of whom one shall be a woman and one shall be a person belonging to Scheduled Caste;
- (f) two members from the Presidents of Sports Organizations and Clubs registered with the Block Panchayat Samiti.

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The Government of Haryana recognizes that physical activities and sports are integral parts of Haryana culture and society. Sports benefit us in terms of health, social cohesion, economic activity, cultural enrichment and improved quality of life. The Government of Haryana aims to increase awareness among Haryana residents regarding significant benefits of physical activity and the practice of sports. The Government of Haryana wishes to encourage and assist residents in increasing level of physical activity and their participation in sports as a fundamental premise of health and well-being by integrating physical activity and sports into their daily lives. Government of Haryana takes pride in being the foremost promoter of sports in the country. It reiterates its commitment to promote participation, inclusion and excellence in sports at all levels. In view of this Haryana Sports and Physical Fitness Policy -2015 is founded on the highest ethical standards and values. As per Haryana Sports and Physical Fitness Policy-2015, for promotion of sports and physical fitness, to augment athletic efficiency in the state and to promote the concept of 'Sports for All', statutory sports councils at state level, district level, block level, municipal corporation level, municipal council level and municipal committee level are intended to be constituted. The respective sports councils shall be responsible for coaching, competitions and other sports related activities.

In view of above statutory sports councils at state level, district level, block level, municipal corporation level, municipal council level and municipal committee level are to be constituted.

ANIL VIJ,  
Sports & Youth Affairs Minister, Haryana.

Chandigarh:  
The 25th August, 2016.

R.K.NANDAL,  
Secretary.

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

As per section 45 of the proposed Act empowers State Government to make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Assembly is enclosed.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2016 का विधेयक संख्या 21—एच०एल०ए०

**हरियाणा क्रीड़ा परिषद् विधेयक, 2016**  
**हरियाणा राज्य में क्रीड़ा, खेल, योग तथा शारीरिक समर्थता की प्रोन्नति के लिए,**  
**खेलकूद दक्षता के संवर्धन के लिए, 'सभी के लिए क्रीड़ा' की धारणा प्रोन्नत**  
**करने के लिए, राज्य स्तर, जिला स्तर तथा स्थानीय स्तर पर**  
**क्रीड़ा परिषद् गठित करने के लिए और**  
**उनसे प्रासंगिक या आनुषंगिक**  
**मामले के लिए उपबन्ध**  
**करने हेतु**  
**विधेयक**

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

**अध्याय—I**  
**प्रारम्भिक**

संक्षिप्त नाम  
तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा क्रीड़ा परिषद् अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।  
 (2) यह तुरन्त लागू होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- (क) "अपील अधिकरण" से अभिप्राय है, धारा 40 के अधीन गठित अपील अधिकरण ;
- (ख) "पुरस्कार विजेता" से अभिप्राय है, कोई खिलाड़ी जिसे राज्य सरकार द्वारा यथा मान्यताप्राप्त राज्य, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रीड़ा पुरस्कार प्रदान किया गया है ;
- (ग) "खण्ड क्रीड़ा परिषद्" से अभिप्राय है, धारा 22 के अधीन गठित कोई खण्ड क्रीड़ा परिषद् ;
- (घ) "निगम क्रीड़ा परिषद्" से अभिप्राय है, धारा 16 के अधीन गठित कोई निगम क्रीड़ा परिषद् ;
- (ङ) "जिला" से अभिप्राय है, कोई राजस्व जिला ;
- (च) "जिला क्रीड़ा परिषद्" से अभिप्राय है, धारा 9 के अधीन गठित कोई जिला क्रीड़ा परिषद् ;
- (छ) "शैक्षणिक संस्था" से अभिप्राय है, कोई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, पॉलीटेकनिक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ऐसा अन्य संस्थान जहां शिक्षा किसी वैज्ञानिक, तकनीकी या कला विषयों में प्रदान की जाती है या राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई अन्य संस्था ;
- (ज) "विद्यमान क्रीड़ा परिषद्" से अभिप्राय है, या तो राज्य स्तर या जिला स्तर पर विद्यमान क्रीड़ा परिषद् ;
- (झ) "सदस्य" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य क्रीड़ा परिषद्, जिला क्रीड़ा परिषद्, निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद्, खण्ड क्रीड़ा परिषद् या कोई अन्य क्रीड़ा प्रोन्नति निकाय, जैसी भी स्थिति हो, का सदस्य ;
- (ञ) "नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्" से अभिप्राय है, धारा 18 के अधीन गठित कोई नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् ;
- (ट) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित ;
- (ठ) "पंजीकृत क्रीड़ा संगठन" से अभिप्राय है, राज्य क्रीड़ा परिषद् से पंजीकृत कोई क्रीड़ा संगठन ;
- (ड) "मान्यताप्राप्त क्रीड़ा शिक्षण" से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा यथा मान्यताप्राप्त क्रीड़ा शिक्षण ;
- (ढ) "विनियम" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा बनाये गये विनियम ;
- (ण) "क्रीड़ा" में पारंपरिक क्रीड़ा, आत्म-रक्षा कौशल, साहसिक क्रीड़ा, मार्शल आर्ट्स सहित ऐसी बाहरी और भीतरी क्रीड़ा, खेल, योग और अन्य शारीरिक गतिविधियां शामिल होंगी तथा

- कोई अन्य शारीरिक या मानसिक गतिविधि शामिल होगी, जैसा राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;
- (त) "खिलाड़ी" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो मान्यताप्राप्त क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में जिला, राज्य, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यताप्राप्त क्रीड़ा शिक्षण में भाग लेता है ;
- (थ) "क्रीड़ा क्लब" से अभिप्राय है, निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद्, खण्ड क्रीड़ा परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, से पंजीकृत कोई क्रीड़ा निकाय ;
- (द) "क्रीड़ा संगठन" से अभिप्राय है, तत्समय लागू विधि के अनुसार गठित तथा क्रीड़ा और खेल की प्रोन्नति हेतु लिखित संविधान रखने वाला कोई संगठन तथा इसमें राज्य और जिला स्तर पर मान्यताप्राप्त क्रीड़ा शिक्षण के सभी क्रीड़ा संघ शामिल हैं ;
- (ध) "स्थायी समिति" से अभिप्राय है, धारा 8 के अधीन गठित स्थायी समिति ;
- (न) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;
- (प) "राज्य क्रीड़ा परिषद्" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन गठित हरियाणा राज्य क्रीड़ा परिषद्;
- (फ) "नगर क्रीड़ा परिषद्" से अभिप्राय है, धारा 20 के अधीन गठित कोई नगर क्रीड़ा परिषद् ।

## अध्याय-II

### राज्य क्रीड़ा परिषद्

3. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तिथि, जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, से तीन वर्ष की अवधि के लिए हरियाणा राज्य क्रीड़ा परिषद् कही जाने वाली राज्य क्रीड़ा परिषद् गठित करेगी।

राज्य क्रीड़ा परिषद्।

(2) राज्य क्रीड़ा परिषद् को चल तथा अचल दोनों सम्पत्ति अर्जन, धारण तथा व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति सहित शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा रखने वाली उक्त नाम से निगमित निकाय होगी और वह उक्त नाम से वाद चला सकेगी तथा उस पर उक्त नाम से वाद चलाया जा सकेगा।

(3) राज्य क्रीड़ा परिषद् अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट संरचना के अनुसार गठित की जाएगी और राज्य क्रीड़ा परिषद् की शासकीय निकाय भी होगी। राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य क्रीड़ा परिषद् की संरचना को परिवर्धित, रूपान्तरित, विखंडित या परिवर्तित कर सकती है।

(4) राज्य क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जो राज्य क्रीड़ा परिषद् की शासकीय निकाय द्वारा उन्हें प्रत्योजित की जाएं।

(5) पदेन सदस्यों से भिन्न राज्य क्रीड़ा परिषद् का प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु किसी विशेष निकाय के सदस्य के रूप में या किसी विशेष पद धारक के रूप में अपनी हैसियत में नामनिर्दिष्ट कोई भी सदस्य उसके ऐसे सदस्य या ऐसे पद धारक के रूप में न रहने के बाद तीन मास की अवधि से अधिक सदस्य के रूप में नहीं बना रहेगा, जब तक वह दोबारा ऐसी अवधि के भीतर ऐसा सदस्य या ऐसा पद धारक नहीं बन जाता है।

(6) राज्य क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष, राज्य क्रीड़ा परिषद् में नामनिर्दिष्ट सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करेगा।

(7) कार्यकारी उपाध्यक्ष पूर्णकालिक आधार पर कार्य करेगा और ऐसे मानदेय तथा अन्य सुविधाएं, जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जाएं, दी जाएंगी।

4. (1) प्रशासकीय सचिव, क्रीड़ा तथा युवा कार्यक्रम विभाग, राज्य क्रीड़ा परिषद् का पदेन महासचिव होगा। राज्य सरकार किसी अधिकारी, जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो, को राज्य क्रीड़ा परिषद् के सचिव के रूप में ऐसे कार्य, जो उसे महासचिव द्वारा सौंपे जाएं, करने के लिए नियुक्त कर सकती है तथा महासचिव की अनुपस्थिति या रिक्ति की दशा में उसके कार्यों का निर्वहन करेगा।

राज्य क्रीड़ा परिषद् का महासचिव।

(2) राज्य सरकार, राज्य सरकार में किसी राजपत्रित अधिकारी, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरस्कार विजेता या पदक विजेता को राज्य क्रीड़ा परिषद् के संयुक्त सचिव के रूप में राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा सौंपे गए कार्य करने के लिए पदाभिहित कर सकती है और अनुपस्थिति या रिक्ति की दशा में महासचिव के कार्यों का निर्वहन करेगा।

(3) राज्य क्रीड़ा परिषद् के पर्यवेक्षण के अध्यक्षीन, महासचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और राज्य क्रीड़ा परिषद् तथा जिला क्रीड़ा परिषद् के कर्मचारियों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :-

- (i) राज्य क्रीड़ा परिषद् और स्थायी समिति के संकल्पों का कार्यान्वयन करना;
- (ii) राज्य क्रीड़ा परिषद् और स्थायी समिति द्वारा प्राधिकृत व्यय उठाना;
- (iii) राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा प्राधिकृत सभी व्यय के लिए चैक या नगदी द्वारा भुगतान करना;
- (iv) राज्य क्रीड़ा परिषद् की निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होना;
- (v) राज्य क्रीड़ा परिषद् की आय और व्यय के लेखे रखना तथा बनाना;
- (vi) राज्य क्रीड़ा परिषद् और स्थायी समिति की बैठकों तथा कार्यवाहियों के अभिलेख रखना ; तथा
- (vii) विवरणियां, लेखे, विवरण और अन्य ब्यौरे जब राज्य सरकार या प्राधिकृत लेखा-परीक्षक अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, प्रस्तुत करना।

(4) महासचिव, अनुज्ञा से तथा ऐसे निर्बन्धनों तथा परिसीमाओं जो स्थायी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के अध्यक्षीन, लिखित आदेश द्वारा राज्य क्रीड़ा परिषद् के सचिव या किसी कर्मचारी को उसके किन्हीं कृत्यों को सौंप सकता है।

राज्य क्रीड़ा  
परिषद् के कार्य।

5. (1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से यथा अन्यथा उपबधित के सिवाय, राज्य क्रीड़ा परिषद् निम्नलिखित शक्तियां रखेगी तथा कृत्य करेगी, अर्थात् :-

- (क) क्रीड़ाओं को आयोजित, समन्वयन और प्रोन्नत करना ;
- (ख) क्रीड़ा सूचना केन्द्र, स्टेडिया, मण्डप, खेल-मैदान, पार्क, बच्चों के पार्क, क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र, क्रीड़ा छात्रावास, क्रीड़ा संस्था स्थापित करना और भवनों, स्वीमिंग पूल और जिम्नास्टिक इत्यादि का निर्माण करना ;
- (ग) उसकी सभी या किन्हीं गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए सम्पत्तियों का अर्जन करना ;
- (घ) स्वयं या जिला क्रीड़ा परिषद्, निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद्, खण्ड क्रीड़ा परिषद् के माध्यम से संचालित या आयोजित करना और जिला क्रीड़ा परिषद्, निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् या खण्ड क्रीड़ा परिषद् के टूर्नामेन्टों, प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, कोचिंग केन्द्रों, छात्र-सहायता वृत्तियों या क्रीड़ाओं की प्रोन्नति के लिए यात्राओं में भागीदारी को सुनिश्चित करना;
- (ङ) खिलाड़ियों, कोचों तथा रैफरियों के लिए बीमा और दुर्घटना बीमा राशि, ऐसी रीति में जो विनिर्दिष्ट की जाए, रखना ;
- (च) खिलाड़ियों, शैक्षणिक संस्थाओं, क्रीड़ा संगठनों, क्रीड़ा क्लबों या क्रीड़ा संघों को ऋण या अन्यथा के रूप में सहायता प्रदान करना ;
- (छ) उनकी गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए निधि एकत्रित करना;
- (ज) राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, अन्तर्राज्य या स्थानीय स्तर पर राज्य में क्रीड़ाओं में प्रतियोगिताओं का प्रबन्ध करना और संचालन करना ;
- (झ) क्रीड़ाओं की प्रोन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं और पंजीकृत क्रीड़ा संगठनों को अनुदान या निधियां देना ;
- (ञ) क्रीड़ाओं के विकास के लिए अनुसंधान केन्द्र स्थापित, प्रशासित और विनियमित करना ;
- (ट) क्रीड़ा सूचना केन्द्र स्थापित करना और क्रीड़ाओं से सम्बन्धित डाटा, सांख्यिकीय और सूचना इत्यादि को संकलित और एकत्रित करना;
- (ठ) क्रीड़ा मैगजिनों, पुस्तकों, शीर्षकों, बुलेटिनों और क्रीड़ाओं से सम्बन्धित अन्य सूचना प्रकाशित करना ;
- (ड) खिलाड़ियों के कल्याण के लिए स्कीमें बनाना और लागू करना ;

- (ढ) दिव्यांग खिलाड़ियों के कल्याण के लिए स्कीमें बनाना और लागू करना ;
- (ण) क्रीड़ाओं में मादक औषधियों के विरुद्ध उपाय प्रोन्नत करना ;
- (त) क्रीड़ाओं में योन शोषण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाना ;
- (थ) कोई अन्य कार्य करना, जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए साधक हो सके।

(2) राज्य क्रीड़ा परिषद् ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कृत्यों, जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रदत्त किए जाएं, का निर्वहन करेगी।

(3) राज्य क्रीड़ा परिषद् किन्हीं निर्बन्धनों और शर्तों, जो इस द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के अधधीन, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों और कर्तव्यों को स्थायी समिति को प्रत्यायोजित कर सकती है।

(4) राज्य क्रीड़ा परिषद् अधिनियम के अधीन गठित क्रीड़ा परिषदों पर सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण का प्रयोग करेगी तथा ऐसी परिषदों को निर्देश जारी करने के लिए सशक्त होगी, जो बाध्यकर होंगे।

**6.** (1) राज्य क्रीड़ा परिषद् वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी तथा गणपूर्ति इसके कुल सदस्यों की एक तिहाई होगी।

राज्य  
परिषद्  
बैठक।

(2) राज्य क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष, जब कभी वह ठीक समझे, आवश्यक कारबार के संव्यवहार के लिए राज्य क्रीड़ा परिषद् की विशेष बैठक बुला सकता है।

(3) ऐसी शर्तें, जो विहित की जाएं, के अधधीन और लिखित मांग, जो इसके कुल सदस्यों की एक तिहाई से कम न हो, पर अध्यक्ष आवश्यक मामलों के विचार-विमर्श के लिए राज्य क्रीड़ा परिषद् की विशेष बैठक बुलाएगा।

**7.** (1) राज्य क्रीड़ा परिषद् स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगी और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार पारित संकल्पों के माध्यम से अपने कारबार का संव्यवहार करेगी।

राज्य  
परिषद्  
की  
प्रक्रिया।

(2) प्रत्येक संकल्प की प्रति उस संकल्प के पारित करने के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

(3) राज्य सरकार, राज्य क्रीड़ा परिषद् से किसी संकल्प के बारे कोई अभिलेख या सूचना मांग सकती है और राज्य क्रीड़ा परिषद् ऐसा अभिलेख या सूचना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगी।

(4) राज्य सरकार, राज्य क्रीड़ा परिषद् को युक्तियुक्त नोटिस देने के बाद तथा उसके आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के बाद, राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा पारित किसी संकल्प को निलम्बित, रद्द या रूपान्तरित कर सकती है।

**8.** (1) राज्य क्रीड़ा परिषद् के लिए स्थायी समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

स्थायी समिति।

- (क) राज्य क्रीड़ा परिषद् का उपाध्यक्ष – स्थायी समिति का अध्यक्ष;
- (ख) जिला क्रीड़ा परिषद् का कार्यकारी उपाध्यक्ष – स्थायी समिति का उपाध्यक्ष;
- (ग) प्रशासकीय सचिव, क्रीड़ा तथा युवा कार्यक्रम विभाग और राज्य क्रीड़ा परिषद् का महासचिव ;
- (घ) निदेशक, क्रीड़ा तथा युवा कार्यक्रम विभाग ;
- (ङ) सचिव, राज्य क्रीड़ा परिषद् यदि नियुक्त या पदाभिहित किया गया हो ;
- (च) राज्य क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले चार सदस्य जिन में से एक क्रीड़ा संगठनों/ संघों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य होगा तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में क्रीड़ा विशेषज्ञ/ पुरस्कार विजेता/ पदक विजेता होगा। एक नामनिर्दिष्ट सदस्य महिला होगी।

(2) स्थायी समिति ऐसी रीति में, ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर बैठक करेगी, जैसा स्थायी समिति का अध्यक्ष विनिश्चित करे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा उसको सौंपे जाएं।

(3) राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा स्थायी समिति को सौंपी गई शक्तियों तथा सौंपे गए कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, स्थायी समिति निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात् :-

- (i) राज्य क्रीड़ा परिषद् और जिला क्रीड़ा परिषद् में संविदा, मानदेय या नियत फीस आधार पर पद सृजित करना ;
  - (ii) जिला क्रीड़ा परिषद् में नियमित पद सृजित करना और चयन समितियां गठित करना;
  - (iii) राज्य क्रीड़ा परिषद् और जिला क्रीड़ा परिषद् की विभिन्न गतिविधियों के लिए सलाहकार लगाना ;
  - (iv) राज्य क्रीड़ा परिषद् के आयोजनों के कलैण्डर अनुमोदित करना ;
  - (v) राज्य क्रीड़ा परिषद् की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को मानीटर करना ;
  - (vi) जिला क्रीड़ा परिषद् पर पर्यवेक्षी नियंत्रण का प्रयोग करना ;
  - (vii) विभिन्न कार्यक्रम जैसे प्रशिक्षण कैम्प, टूर्नामेन्ट, कोचिंग कैम्प, प्रतियोगिताएं इत्यादि आयोजित करने के लिए अनुमोदित करना ;
  - (viii) विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए विशेष अनुदान अनुमोदित करना ;
  - (ix) क्रीड़ा आयोजनों के दौरान चोटिल खिलाड़ियों को सहयोग और वित्तीय सहायता अनुमोदित करना ;
  - (x) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को साज-सामान के क्रय के लिए अनुदान अनुमोदित करना ;
  - (xi) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को किट और वर्दी अनुमोदित करना ;
  - (xii) आकस्मिक संकट की दशा में विशेष कार्रवाई करना।
- (4) स्थायी समिति स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगी।
  - (5) स्थायी समिति का अध्यक्ष राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा निर्वाहन किए जाने वाले कृत्य, शक्तियां और कर्तव्य प्रत्यायोजित कर सकता है।
  - (6) कार्यकारी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

### अध्याय—III

#### जिला क्रीड़ा परिषद्

जिला क्रीड़ा परिषद्।

9. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले में, तीन वर्ष की अवधि के लिए जिला क्रीड़ा परिषद् कही जाने वाली निकाय का गठन करेगी।
- (2) प्रत्येक जिला क्रीड़ा परिषद्, चल तथा अचल सम्पत्तियों के अर्जन, धारण तथा व्ययन करने, संविदा करने और प्रयोजन जिसके लिए यह गठित की गई है, के लिए सभी मामलों को उचित और समीचीन करने की शक्ति सहित शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा रखने वाला जिला जिसके लिए यह गठित की गई है के नाम से निगमित निकाय होगी तथा उस पर उक्त नाम से वाद चला सकेगी और उस पर उक्त नाम से वाद चलाया जा सकेगा।
- (3) जिला क्रीड़ा परिषद् अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट संरचना के अनुसार गठित की जाएगी। राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, जिला क्रीड़ा परिषद् की संरचना को परिवर्धित, रूपान्तरित, विखण्डित या परिवर्तित कर सकती है।
- (4) प्रत्येक जिला क्रीड़ा परिषद् के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा सम्बद्ध जिला क्रीड़ा परिषद् के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) जिला क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा साधारण आदेश द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकती हैं या प्राधिकृत किए जा सकते हैं।
- (6) कोई भी नामनिर्दिष्ट सदस्य अपनी हैसियत में किसी विशेष निकाय के सदस्य के रूप में या किसी विशेष धारक के रूप में उसके ऐसे सदस्य या ऐसे पद के धारक के रूप में न बना रहने के बाद तीन मास की अवधि से अधिक सदस्य के रूप में नहीं रहेगा जब तक वह दोबारा ऐसी अवधि के भीतर ऐसा सदस्य या ऐसा पद का धारक नहीं बन जाता है :

परन्तु नामनिर्दिष्ट पुरुष छात्र और महिला छात्रा की पदावधि नामनिर्देशन की तिथि से एक वर्ष होगी।



**10.** (1) जिला क्रीड़ा अधिकारी, जिला क्रीड़ा परिषद् का पदेन सचिव होगा। अध्यक्ष, जिला क्रीड़ा परिषद् की सिफारिश पर स्थायी समिति जिला क्रीड़ा परिषद् के सचिव के रूप में किसी अन्य क्रीड़ा कर्मचारी को पदाभिहित कर सकती है।

जिला क्रीड़ा परिषद् का सचिव और संयुक्त सचिव।

(2) जिला क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष, स्थायी समिति के अनुमोदन से, राज्य सरकार में किसी राजपत्रित अधिकारी, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी पुरस्कार विजेता या किसी पदक विजेता को अध्यक्ष की अनुपस्थिति या रिक्ति की दशा में सचिव के कृत्यों के निर्वहन के लिए या किसी अन्य कर्तव्य, जो उस द्वारा उसको सौंपा जाए, का पालन करने के लिए जिला क्रीड़ा परिषद् के संयुक्त सचिव के रूप में पदाभिहित कर सकता है।

(3) राज्य क्रीड़ा परिषद् के पर्यवेक्षण के अधधीन, जिला क्रीड़ा परिषद् का सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और जिला क्रीड़ा परिषद् के कर्मचारियों पर सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखेगा।

(4) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधधीन, सचिव—

- (i) जिला क्रीड़ा परिषद् और इसकी कार्यकारी समिति के संकल्पों को प्रभाव देगा
- (ii) जिला क्रीड़ा परिषद् की निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा ;
- (iii) जिला क्रीड़ा परिषद् की प्राप्तियों और व्यय के लेखों को बनाएगा तथा रखेगा
- (iv) निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् और खण्ड क्रीड़ा परिषद् के विवरणों तथा लेखों की जांच करेगा और लेखा-परीक्षा करवाएगा;
- (v) विवरणियों, लेखों, विवरणों या अन्य ब्यौरे जब कभी राज्य सरकार या राज्य क्रीड़ा परिषद् या किसी लेखा-परीक्षा प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।

(5) जिला क्रीड़ा परिषद् का सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो जिला क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा उसको प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

**11.** (1) प्रत्येक जिला क्रीड़ा परिषद्, राज्य क्रीड़ा परिषद् के ऐसे कृत्य, जो राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा, समय-समय पर, उसको प्रत्यायोजित किए जाएं, का पालन करने का कर्तव्य होगा।

जिला क्रीड़ा परिषद् के कृत्य।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिला क्रीड़ा परिषद् निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :-

- (क) निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् और खण्ड क्रीड़ा परिषद् और जिले में अन्य क्रीड़ा संगठनों की गतिविधियों का समन्वय करना;
- (ख) जिले में क्रीड़ा आयोजन, प्रतियोगिताएं या टूर्नामेन्ट आयोजित करना ;
- (ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य क्रीड़ा परिषद् साधारण या विशिष्ट आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(3) जिला क्रीड़ा परिषद् अन्य सरकारी अभिकरणों, गैर-सरकारी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और क्रीड़ा तथा खेलों में लगे अन्य संगठनों के साथ संयुक्त रूप से उचित रीति में इसके कृत्यों का निर्वहन करेगी और लिखित में यथा प्राप्त राज्य क्रीड़ा परिषद् के निदेशों के अनुसार भी कार्य करेगी।

**12.** (1) जिला क्रीड़ा परिषद् की कार्यकारी समिति, इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और जिला क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्य, जिन में एक महिला होगी, से मिलकर बनेगी।

जिला क्रीड़ा परिषद् की कार्यकारी समिति।

(2) कार्यकारी समिति ऐसे कृत्यों का निर्वहन तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जो जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा, समय-समय पर उसको सौंपे जाएं।

(3) कार्यकारी समिति की बैठक की प्रक्रिया और गणपूर्ति ऐसी होगी, जो जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाए।

**13.** (1) प्रत्येक जिला क्रीड़ा परिषद् तिथियां जो जिला क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नियत की जाएं, को, वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी और ऐसी बैठक की एक वार्षिक बैठक होगी।

जिला क्रीड़ा परिषद् की बैठक।

(2) जिला क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जिला क्रीड़ा परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसा अध्यक्ष उसको, समय-समय पर, प्रत्यायोजित करे।

(3) अध्यक्ष, जब भी आवश्यक समझे, जिला क्रीड़ा परिषद् की विशेष बैठक आवश्यक कारबार के संव्यवहार के लिए बुला सकता है।

(4) ऐसी शर्तें, जो विहित की जाएं, के अध्यक्ष, यदि जिला क्रीड़ा परिषद् के कुल सदस्यों के कम से कम एक—तिहाई सदस्य आवश्यक स्वरूप के मामलों के विचार—विमर्श हेतु लिखित में मांग करते हैं, तो जिला क्रीड़ा परिषद् की विशेष बैठक उसके अध्यक्ष द्वारा ऐसी मांग के पन्द्रह दिन के भीतर बुलाई जाएगी।

(5) जिला क्रीड़ा परिषद् की बैठक की गणपूर्ति इसके कुल सदस्यता की एक—तिहाई होगी।

जिला क्रीड़ा परिषद् की प्रक्रिया।

**14.** (1) जिला क्रीड़ा परिषद् ऐसी रीति में और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार पारित संकल्प द्वारा अपने कारबार का संव्यवहार करेगी, जैसा राज्य क्रीड़ा परिषद् के साधारण आदेश द्वारा निर्देश किया जाए और ऐसे आदेशों की अनुपस्थिति में, जिला क्रीड़ा परिषद् स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगी।

(2) प्रत्येक संकल्प की प्रति राज्य क्रीड़ा परिषद् को, इसके पारित होने की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर, भेजी जाएगी।

(3) राज्य क्रीड़ा परिषद्, जिला क्रीड़ा परिषद् से किसी संकल्प के बारे कोई अभिलेख या सूचना मंगवा सकती है और जिला क्रीड़ा परिषद् ऐसा अभिलेख या सूचना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगी।

(4) राज्य क्रीड़ा परिषद्, जिला क्रीड़ा परिषद् को युक्तियुक्त नोटिस देने के बाद और इसके आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के बाद, जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा पारित किसी संकल्प को निलम्बित, रद्द या रूपान्तरित कर सकती है।

#### अध्याय—IV

#### अन्य क्रीड़ा परिषद्

क्रीड़ा परिषदों का गठन।

**15.** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रीड़ा से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों के समन्वयन और लागूकरण के प्रयोजन हेतु, राज्य क्रीड़ा परिषद्, जिला क्रीड़ा परिषद् और सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकरणों से परामर्श करके, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तिथि, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, से,—

(क) नगर निगम क्षेत्र में कोई निगम क्रीड़ा परिषद् ;

(ख) नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में कोई नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् ;

(ग) नगरपालिका समिति क्षेत्र में कोई नगर क्रीड़ा परिषद् ;

(घ) खण्ड पंचायत समिति क्षेत्र में कोई खण्ड क्रीड़ा परिषद्, का गठन कर सकती है।

निगम क्रीड़ा परिषद्।

**16.** (1) निगम क्रीड़ा परिषद् अनुसूची—III में विनिर्दिष्ट संरचना के अनुसार गठित होगी। राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निगम क्रीड़ा परिषद् की संरचना को परिवर्धित, रूपान्तरित, विखण्डित या परिवर्तित कर सकती है।

(2) उपाध्यक्ष, राज्य क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। उपाध्यक्ष ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो अध्यक्ष द्वारा उसको सौंपे जाएं और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में निगम क्रीड़ा परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) निगम क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के परामर्श से निगम क्रीड़ा परिषद् के नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करेगा।

निगम क्रीड़ा परिषद् की कार्यकारी समिति।

**17.** प्रत्येक निगम क्रीड़ा परिषद् के लिए इसके कार्यकलापों के दिन—प्रतिदिन के प्रशासन हेतु इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और निगम क्रीड़ा परिषद् के नामनिर्दिष्ट दो सदस्यों, जिन में से एक महिला होगी, से मिलकर कार्यकारी समिति बनेगी। कार्यकारी समिति के सदस्य निगम क्रीड़ा परिषद् के उपाध्यक्ष के परामर्श से निगम क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्।

**18.** (1) नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् अनुसूची—IV में विनिर्दिष्ट संरचना के अनुसार गठित होगी। राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् की संरचना को परिवर्धित, रूपान्तरित, विखण्डित या परिवर्तित कर सकती है।

(2) उपाध्यक्ष, राज्य क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। उपाध्यक्ष ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो अध्यक्ष द्वारा उसको सौंपे जाएं और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के परामर्श से, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् के नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करेगा।

- 19.** प्रत्येक नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् के लिए इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् के नामनिर्दिष्ट दो सदस्यों, जिनमें एक महिला होगी, से मिलकर कार्यकारी समिति बनेगी। कार्यकारी समिति के सदस्य नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् के उपाध्यक्ष के परामर्श से नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे। नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् की कार्यकारी समिति।
- 20.** (1) नगर क्रीड़ा परिषद् अनुसूची-V में विनिर्दिष्ट संरचना के अनुसार गठित होगी। राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नगर क्रीड़ा परिषद् की संरचना को परिवर्धित, रूपान्तरित, विखण्डित या परिवर्तित कर सकती है। नगर क्रीड़ा परिषद्।
- (2) नगर क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष, नगर क्रीड़ा परिषद् के नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करेगा।
- 21.** प्रत्येक नगर क्रीड़ा परिषद् के लिए इसके अध्यक्ष, सचिव और नगर क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्यों, जिनमें एक महिला होगी, से मिलकर कार्यकारी समिति बनेगी। नगर क्रीड़ा परिषद् की कार्यकारी समिति।
- 22.** (1) खण्ड क्रीड़ा परिषद् अनुसूची-VI में विनिर्दिष्ट संरचना के अनुसार गठित होगी। राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, खण्ड क्रीड़ा परिषद् की संरचना को परिवर्धित, रूपान्तरित, विखण्डित या परिवर्तित कर सकती है। खण्ड क्रीड़ा परिषद्।
- (2) उपाध्यक्ष, राज्य क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। उपाध्यक्ष ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो अध्यक्ष द्वारा उसको सौंपे जाएं और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में खण्ड क्रीड़ा परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
- (3) खण्ड क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के परामर्श से, खण्ड क्रीड़ा परिषद् के नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करेगा।
- 23.** प्रत्येक खण्ड क्रीड़ा परिषद् के लिए इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और खण्ड क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्यों, जिनमें एक महिला होगी, से मिलकर कार्यकारी समिति बनेगी। कार्यकारी समिति के सदस्य खण्ड क्रीड़ा परिषद् के उपाध्यक्ष के परामर्श से खण्ड क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे। खण्ड क्रीड़ा परिषद् की कार्यकारी समिति।
- 24.** (1) निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् और खण्ड क्रीड़ा परिषद् का सचिव,— अन्य क्रीड़ा परिषद् के सचिव के कर्तव्य और कृत्य।
- (i) अपनी-अपनी क्रीड़ा परिषद् और इसकी कार्यकारी समिति के संकल्प को प्रभाव देगा;
- (ii) अपनी-अपनी क्रीड़ा परिषद् की निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा;
- (iii) अपनी-अपनी क्रीड़ा परिषद् की प्राप्तियों और व्यय के लेखों को बनाएगा और रखेगा;
- (iv) अपनी-अपनी क्रीड़ा परिषद् के विवरण और लेखों की जांच करेगा और लेखा-परीक्षा करवाएगा;
- (v) विवरणियां, लेखे, विवरण या अन्य ब्यौरे, जब भी जिला क्रीड़ा परिषद् या किसी लेखा-परीक्षा प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।
- (2) निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् और खण्ड क्रीड़ा परिषद् का सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो अपनी-अपनी क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा उसको प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।
- 25.** निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् और खण्ड क्रीड़ा परिषद् निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेंगी, अर्थात् :— अन्य क्रीड़ा परिषद् के कृत्य।
- (क) अपनी अधिकारिता के भीतर पंजीकृत क्रीड़ा संगठनों और क्रीड़ा क्लबों की गतिविधियों का समन्वय करना ;
- (ख) अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर क्रीड़ा आयोजनों या प्रतियोगिताओं या टूर्नामेंटों का आयोजन करना ;
- (ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा इसको सौंपे जाएं।

सदस्यों की पदावधि।

**26.** (1) पदेन सदस्यों से भिन्न प्रत्येक सदस्य उसके नामनिर्देशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद् और नगर क्रीड़ा परिषद् के नामनिर्दिष्ट छात्र प्रतिनिधियों की पदावधि उनके नामनिर्देशन की तिथि से एक वर्ष होगी।

(2) कोई भी व्यक्ति दो लगातार अवधियों से अधिक के लिए सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा।

अन्य क्रीड़ा परिषद् की बैठकें।

**27.** (1) प्रत्येक निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् और खण्ड क्रीड़ा परिषद् वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी।

(2) इसके सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई बैठक के लिए गणपूर्ति होगी।

परिषदों, खिलाड़ियों और क्रीड़ा संगठनों के बीच विवादों का निपटारा।

**28.** (1) यदि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी मामले के सम्बन्ध में दो अथवा अधिक क्रीड़ा परिषदों के बीच या क्रीड़ा परिषद् और खिलाड़ी के बीच या दो अथवा अधिक खिलाड़ियों के बीच या दो अथवा अधिक क्रीड़ा संगठनों के बीच या किसी जिले के क्रीड़ा संगठन और खिलाड़ियों के बीच या जिले के भीतर किसी क्रीड़ा संगठन और किसी क्रीड़ा परिषद् के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो जिला क्रीड़ा परिषद् को विवाद के निपटारे के लिए शक्ति होगी।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा लिए गए किसी निर्णय से व्यथित कोई खिलाड़ी, संगठन, क्रीड़ा क्लब और क्रीड़ा परिषद् अपील अधिकरण को, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकता है और उस पर अपील अधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

क्रीड़ा प्रोन्नति बोर्ड।

**29.** (1) सिविल सेवाओं में से क्रीड़ा की प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित सदस्यों सहित मुख्य सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता के अधीन सिविल सेवा क्रीड़ा प्रोन्नति बोर्ड होगा, अर्थात् :-

- (i) प्रशासकीय सचिव, वित्त विभाग, हरियाणा ;
- (ii) प्रशासकीय सचिव, गृह विभाग, हरियाणा ;
- (iii) प्रशासकीय सचिव, क्रीड़ा और युवा कार्यक्रम विभाग, हरियाणा -उपाध्यक्ष ;
- (iv) पुलिस महानिदेशक, हरियाणा ;
- (v) निदेशक, क्रीड़ा और युवा कार्यक्रम विभाग, हरियाणा - सदस्य सचिव ;
- (vi) मान्यताप्राप्त कर्मचारी संगठन पदाधारियों या मान्यताप्राप्त क्रीड़ा कर्मचारी निकायों में से अध्यक्ष, सिविल सेवा क्रीड़ा प्रोन्नति बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्य।

(2) सिविल सेवाओं में से क्रीड़ा की प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सिविल सेवा क्रीड़ा प्रोन्नति बोर्ड को प्रत्येक कर्मचारी द्वारा दिए जाने वाले योगदान का विनिश्चय कर सकती है।

(3) सिविल सेवा क्रीड़ा प्रोन्नति बोर्ड स्वयं अपनी प्रक्रिया और गतिविधियों को विनियमित करेगा।

(4) कर्मचारियों, किसी अधिसूचित सरकारी विभाग और राज्य सरकार के पब्लिक सेक्टर उपक्रम में से क्रीड़ा की प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए राज्य क्रीड़ा परिषद् के परामर्श से क्रीड़ा प्रोन्नति बोर्ड का गठन कर सकती है।

(5) सम्बद्ध पब्लिक सेक्टर उपक्रम अपने-अपने क्रीड़ा प्रोन्नति बोर्ड की गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी निधियां निश्चित करेगा, जो विहित की जाएं।

(6) क्रीड़ा प्रोन्नति बोर्ड राज्य क्रीड़ा परिषद् के सहयोग से कृत्य करेगा।

(7) विभिन्न संस्थाओं के छात्रों में से क्रीड़ा की प्रोन्नति और शारीरिक योग्यता के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विद्यालय शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, तकनीकी शिक्षा इत्यादि प्रत्येक प्रवर्ग के लिए या तो संयुक्त रूप से या पृथक रूप से क्रीड़ा प्रोन्नति बोर्ड का गठन कर सकती है।

**अध्याय—V****क्रीड़ा संगठन और खिलाड़ियों का पंजीकरण**

**30.** (1) राज्य स्तर या जिला स्तर पर गतिविधियां चलाने वाला कोई क्रीड़ा संगठन इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत क्रीड़ा संगठन के रूप में राज्य क्रीड़ा परिषद् से पंजीकृत हो सकता है और ऐसे पंजीकरण के लिए कोई आवेदन जिला जिसमें इसका मुख्यालय स्थित है, ऐसे रूप में और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अध्यक्षीन, जो कोचिंग, प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण और अन्य क्रीड़ा संबंधित गतिविधियां आयोजित करने के लिए क्रीड़ा संगठनों को अनुदान प्रदान करने के दृष्टिगत विहित की जाएं, के जिला क्रीड़ा परिषद् को प्रस्तुत किया जाएगा।

क्रीड़ा संगठन  
का  
पंजीकरण।

(2) जिला क्रीड़ा परिषद् आवेदन को विचारेगी और यदि संतुष्टि हो जाती है कि मान्यता प्रदान करने के लिए शर्तों का अनुपालन किया गया है, तो आवेदन राज्य क्रीड़ा परिषद् को आवेदन की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन के भीतर पंजीकरण हेतु अपनी सिफारिश सहित प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) यदि आवेदन उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर राज्य क्रीड़ा परिषद् को ऐसी सिफारिश सहित नहीं भेजा जाता है या आवेदन रद्द कर दिया जाता है, तो जिला क्रीड़ा परिषद् आवेदक को आवेदन की प्राप्ति की तिथि से पचहत्तर दिन के भीतर लिखित में सूचित करेगी।

(4) उप-धारा (3) के अधीन किसी सूचना की प्राप्ति पर, आवेदक ऐसा आवेदन सीधा राज्य क्रीड़ा परिषद् को तीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

(5) राज्य क्रीड़ा परिषद् उप-धारा (2) या उप-धारा (4) के अधीन प्राप्त किसी आवेदन को विचारेगी और यदि संतुष्टि हो जाती है, तो ऐसे क्रीड़ा संगठन को पंजीकृत करेगी।

(6) किसी क्रीड़ा संगठन के पंजीकरण के संबंध में जिला क्रीड़ा परिषद् या राज्य क्रीड़ा परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी फीस सहित, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है और उस पर अपील अधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

(7) केवल किसी नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगरपालिका समिति या खण्ड पंचायत समिति के क्षेत्र में कार्य करने वाले क्रीड़ा क्लब सम्बद्ध निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् या खण्ड क्रीड़ा परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, से किसी क्रीड़ा क्लब के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं।

(8) उप-धारा (7) के अधीन पंजीकरण के लिए कोई आवेदन सम्बद्ध क्रीड़ा परिषद् को ऐसे रूप में और ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अध्यक्षीन, ऐसी फीस सहित, जो विहित की जाए, प्रस्तुत किया जाएगा।

(9) उप-धारा (8) के अधीन प्राप्त कोई आवेदन सम्बद्ध क्रीड़ा परिषद् द्वारा विचारा जाएगा और यदि संतुष्टि हो जाती है कि ऐसे पंजीकरण के लिए अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया गया है, तो ऐसा क्रीड़ा क्लब पंजीकृत किया जाएगा या अन्यथा आवेदन की अस्वीकृति का तथ्य आवेदक को सूचित किया जाएगा।

(10) उप-धारा (9) के अधीन लिए गए किसी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सम्बद्ध जिला क्रीड़ा परिषद् को, ऐसी फीस सहित ऐसी समय सीमा के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकता है।

(11) क्रीड़ा संगठन के पंजीकरण और ऐसे पंजीकरण के प्रत्याहरण के लिए निबंधन तथा शर्तों और ऐसा पंजीकरण प्रदान करने में जिला क्रीड़ा परिषद् तथा राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे पंजीकृत क्रीड़ा संगठन के विशेषाधिकार ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं।

**31.** (1) कोई खिलाड़ी जिला क्रीड़ा परिषद् में किसी खिलाड़ी के रूप में पंजीकृत करवा सकता है और ऐसे पंजीकरण के लिए कोई आवेदन जिला क्रीड़ा परिषद् को ऐसी रीति में तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन, जो लाभांशों, नकदी पुरस्कार, इनाम तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए विहित की जाएं, प्रस्तुत किया जाएगा।

खिलाड़ियों  
का पंजीकरण

(2) खिलाड़ी के रूप में पंजीकरण हेतु निबंधन तथा शर्तों और इस निमित्त जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे खिलाड़ियों के विशेषाधिकार ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं।

(3) जिला क्रीड़ा परिषद् के खिलाड़ी के पंजीकरण के सम्बन्ध में किसी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति अपील अधिकरण के समक्ष ऐसी फीस सहित ऐसे समय सीमा के भीतर तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील दायर कर सकता है और उस पर अपील अधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

**अध्याय—VI****विद्यमान जिला क्रीड़ा परिषदों का विघटन**

विद्यमान क्रीड़ा परिषदों का विघटन।

**32. (1)** इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, सम्बद्ध जिला की विद्यमान जिला क्रीड़ा परिषद् विघटित की गई समझी जाएगी।

(2) विद्यमान जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा किसी भी प्रकार की प्रयुक्त, उपभोग या अधिकृत सभी आस्तियां तथा हक और द्वारा स्वामित्वाधीन या में निहित या द्वारा धारित किसी भी प्रकार के सभी अधिकार ऐसे निदेशों के अधीन, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाएं, सम्बद्ध जिला क्रीड़ा परिषद् में निहित हो जाएंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन संबंधित जिला क्रीड़ा परिषद् के गठन पर, विद्यमान जिला क्रीड़ा परिषद् के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी सम्बद्ध जिला क्रीड़ा परिषद् का अधिकारी या अन्य कर्मचारी बन जाएगा और अपना पद उसी अवधि हेतु, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों तथा शर्तों पर और पेंशन, उपदान तथा अन्य मामलों के बारे में उन्हीं अधिकारों तथा विशेषाधिकारों सहित धारण करेगा जैसा वह विद्यमान जिला क्रीड़ा परिषद् के अधीन धारित कर रहा होगा, यदि यह धारा अधिनियमित नहीं की गई थी तथा पद तब तक धारण करता रहेगा जब तक जिला क्रीड़ा परिषद् में उसका नियोजन समाप्त नहीं किया जाता है।

(4) उप-धारा (3) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विद्यमान जिला क्रीड़ा परिषद् के कार्यकलापों के संबंध में नियोजन हेतु प्रतिनियुक्त और इस अधिनियमित के प्रारम्भ की तिथि से ठीक पूर्व ऐसे रूप में नियोजित राज्य सरकार का कोई अधिकारी सरकार की सेवा में प्रतिवर्तित हो जाएगा।

**अध्याय—VII****वित्त लेखे तथा लेखा—परीक्षा**

राज्य सरकार द्वारा अनुदान।

**33.** राज्य सरकार राज्य क्रीड़ा परिषद् को, धन की ऐसी धन—राशि अनुदान के रूप में, जो यह ठीक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए भुगतान करेगी। राज्य सरकार कोचिंग, प्रशिक्षण, प्रतियोगिताएं, क्रीड़ा आयोजन, साज—सामान तथा सेमिनार आयोजित करने हेतु या तो एकमुश्त धन—राशि आधार या बजट आबंटन में से विशिष्ट गतिविधि पर राज्य क्रीड़ा परिषद् या किसी जिला क्रीड़ा परिषद् के निपटान पर निधियां रख सकती है।

राज्य क्रीड़ा परिषद् निधि।

**34. (1)** राज्य क्रीड़ा परिषद्, राज्य क्रीड़ा परिषद् निधि कही जाने वाली कोई निधि स्थापित करेगी और इसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,—

- (क) धारा 33 के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिए गए धन की सभी धन—राशियां;
  - (ख) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राज्य क्रीड़ा परिषद् को किया गया कोई अनुदान या चन्दा;
  - (ग) किसी अन्य स्रोत से राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा प्राप्त की गई कोई राशि;
- (2) राज्य क्रीड़ा परिषद् निधि निम्नलिखित को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जाएगी,—
- (क) राज्य क्रीड़ा परिषद् के कार्यों के संबंध में व्यय; तथा
  - (ख) किन्हीं अन्य व्ययों जो राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा पूरे किये जाने अपेक्षित हैं।

जिला क्रीड़ा परिषद् निधि।

**35. (1)** प्रत्येक जिला क्रीड़ा परिषद्, जिला क्रीड़ा परिषद् कही जाने वाली कोई निधि गठित करेगी और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,—

- (क) जिला क्रीड़ा परिषद् को राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा भुगतान किए गए धन की सभी धन—राशियां या किया गया कोई अनुदान;
  - (ख) किसी व्यक्ति या स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था या अन्य संगठनों द्वारा जिला क्रीड़ा परिषद् को किया गया कोई अनुदान या चन्दा;
  - (ग) किसी अन्य स्रोत से जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा प्राप्त की गई कोई अन्य राशि।
- (2) जिला क्रीड़ा परिषद् निधि निम्नलिखित को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जाएगी,—
- (क) जिला क्रीड़ा परिषद् के कार्यों के संबंध में व्यय;
  - (ख) निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् तथा खण्ड क्रीड़ा परिषद् के कार्यों के संबंध में व्यय;
  - (ग) किन्हीं अन्य व्ययों जो जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा वहन किए जाने अपेक्षित हैं।

**36.** (1) प्रत्येक निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् और खण्ड क्रीड़ा परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, उसके नाम से निधि गठित होगी और जिला क्रीड़ा परिषद् से प्राप्त की गई राशि के अतिरिक्त किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्राप्त की गई राशि ऐसे निधि में जमा की जाएगी ।

निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् इत्यादि के लिए निधि का गठन।

(2) उप-धारा (1) के अधीन गठित की गई निधि ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में रखी, प्रयुक्त और लेखा-परीक्षित की जाएगी।

**37.** (1) प्रत्येक निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् और खण्ड क्रीड़ा परिषद्, प्रत्येक वर्ष में, उस वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित प्राप्ति और व्यय दर्शाते हुए अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट ऐसे रूप में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, तैयार करेगी और इसकी प्रति सम्बद्ध जिला क्रीड़ा परिषद् को भेजी जाएगी ।

बजट।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अनुमानित बजट विचारित करने के बाद, जिला क्रीड़ा परिषद् वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट ऐसे रूप में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, तैयार करेगी और उसकी प्रति राज्य क्रीड़ा परिषद् को भेजेगी ।

(3) राज्य क्रीड़ा परिषद्, जिला क्रीड़ा परिषदों द्वारा उसको भेजे गए बजट अनुमानों को विचारते हुए, अपना बजट अनुमान तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, भेजेगी ।

(4) उप-धारा (3) के अधीन उसको भेजे गए बजट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार उसकी जांच करेगी और उसमें किए जाने वाले ऐसे परिवर्तन, संशोधन या रूपान्तरण सुझाएगी, जो यह ठीक समझे और राज्य क्रीड़ा परिषद् को ऐसे सुझाव उसके विचारण के लिए भेजेगी ।

(5) राज्य क्रीड़ा परिषद् उप-धारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिए गए सुझावों, यदि कोई हों, के अनुसार, प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च से पूर्व अपने बजट में शामिल करेगी और जिला क्रीड़ा परिषद् के बजट में परिवर्तन, संशोधन या रूपान्तरण करेगी तथा इस प्रकार परिवर्तित, संशोधित या रूपांतरित किए गए बजट को राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा पारित किया जाएगा।

**38.** (1) राज्य क्रीड़ा परिषद् या जिला क्रीड़ा परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाएगी तथा आय और व्यय तथा तुलन पत्र सहित लेखों का वार्षिक विवरण, ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, तैयार करेगी

लेखे तथा लेखा-परीक्षा।

(2) परिषद् के लेखों की सुसंगत उपबंधों के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा जांच तथा लेखा-परीक्षा की जाएगी।

(3) राज्य क्रीड़ा परिषद् के लेखों का लेखा-परीक्षित विवरण और कार्य रिपोर्ट आगामी वर्ष की 31 जुलाई से पूर्व तथा यथा सम्भव शीघ्र, राज्य सरकार को भेजी जाएगी, यह राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

**39.** राज्य क्रीड़ा परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, प्रयोजन तथा ऋण की राशि के विषय में और प्रतिभूति तथा ब्याज की दर के बारे में, ऐसी शर्तों, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, के अधीन किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या किसी अन्य निगमित निकाय से धन की कोई धन-राशि उधार ले सकती है।

उधार लेने की शक्ति।

### अध्याय-VIII

#### अपील अधिकरण

**40.** (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन किसी विवाद, प्रश्न या किसी अन्य मामले के निपटारे के लिए तथा निम्नलिखित के बीच विवादों पर निर्णय लेने के लिए अपील अधिकरण गठित करेगी,—

अपील अधिकरण का गठन।

- (क) राज्य क्रीड़ा परिषद् तथा जिला क्रीड़ा परिषद् ;
- (ख) राज्य क्रीड़ा परिषद् तथा खिलाड़ी ;
- (ग) राज्य क्रीड़ा परिषद् तथा क्रीड़ा संगठन ;
- (घ) जिला क्रीड़ा परिषद् तथा खिलाड़ी ;
- (ङ) जिला क्रीड़ा परिषद् तथा क्रीड़ा संगठन ;
- (च) क्रीड़ा संगठन तथा खिलाड़ी।

- (2) अधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—
- (क) पदेन विधि सचिव, जो अधिकरण का अध्यक्ष होगा ;
- (ख) राज्य सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया कोई अहित व्यक्ति ;
- (ग) राज्य सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला क्रीड़ा में कोई विशेषज्ञ ।

(3) पदेन सदस्य से भिन्न अपील अधिकरण के सदस्यों की पदावधि तथा अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

(4) अपील अधिकरण सिविल न्यायालय के रूप में समझा जाएगा तथा वही शक्तियां रखेगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन किसी वाद का विचारण या किसी डिक्री या आदेश का निष्पादन करते समय किसी सिविल न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएं ।

(5) अपील अधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा और अपील करने वाले पक्षकारों पर बाध्य होगा ।

(6) सिविल न्यायालय जिसका ऐसा निर्णय निष्पादन के लिए भेजा गया है, द्वारा अपील अधिकरण के किसी निर्णय का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा ।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन ।

**41.** किसी सिविल न्यायालय में, किसी विवाद, प्रश्न या अन्य मामला जो अपील अधिकरण द्वारा इस अधिनियम द्वारा या के अधीन अवधारित किया जाना अपेक्षित है, के सम्बन्ध में कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी ।

अपजीकृत क्रीड़ा संगठन और खिलाड़ी की ओर से अधिकार के प्रवर्तन का वर्जन ।

**42.** किसी क्रीड़ा संगठन की ओर से या किसी खिलाड़ी द्वारा, जिसे या जो, जैसी भी स्थिति हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अपजीकृत नहीं किया गया है, किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिए कोई भी वाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाहियां, इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद अपील अधिकरण द्वारा संस्थित, प्रारम्भ, सुनवाई, विचारित या निर्णीत नहीं की जाएगी तथा कोई भी वाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे प्रारम्भ के बाद किसी न्यायालय द्वारा जारी, सुनवाई, विचारित या निर्णीत नहीं की जाएगी, जब तक ऐसा क्रीड़ा संगठन या खिलाड़ी इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अपजीकृत नहीं किया गया है ।

### अध्याय—IX

#### अधिकारी तथा अमला

अधिकारियों तथा अमले की नियुक्ति ।

**43.** (1) राज्य क्रीड़ा परिषद् का सचिव परिषद् की शक्तियों का प्रयोग, अन्य कर्तव्य तथा कृत्य करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से परिषदों के लिए ऐसे अधिकारी तथा अमला नियुक्त करेगा, जो अपेक्षित हो :

परन्तु सीधे रूप से की जाने वाली सभी नियुक्तियों में, पदों की ऐसी प्रतिशतता, जो विहित की जाए, खिलाड़ियों के लिए आरक्षित की जाएगी ।

(2) राज्य क्रीड़ा परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य सरकार या इसके संगठन या केन्द्रीय सरकार या इसके संगठन के किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति आधार पर, राज्य क्रीड़ा परिषद् या जिला क्रीड़ा परिषद् के कर्मचारी के रूप में, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों जो यह ठीक समझे, नियुक्त कर सकती है ।

(3) इस धारा में यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य क्रीड़ा परिषद् और जिला क्रीड़ा परिषद् के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

### अध्याय—X

#### विविध

सदस्यों को हटाया जाना ।

**44.** (1) कोई सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी समय अपना पद त्याग सकता है ।

(2) राज्य सरकार किसी सदस्य को हटाएगी, यदि वह,—

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध तथा कारावास से दण्डित किया गया है, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता वाला है; या



- (ग) विकृत चित्त हो जाता है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया जाता है; या
- (घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने के लिए असमर्थ हो जाता है; या
- (ङ) राज्य सरकार की राय में, सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जो उस व्यक्ति को पद पर बना रहने के लिए इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए अहितकर बनाता है :

परन्तु कोई भी व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उस व्यक्ति को मामले में सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।

- (3) उप-धारा (1) के अधीन या अन्यथा हुई कोई रिक्ति नए नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी।

**45.** (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशेषतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात् :-

- (क) जिला क्रीड़ा परिषद् या जिला क्रीड़ा परिषदों द्वारा सदस्यों का नामांकन;
- (ख) सदस्यों का त्याग पत्र तथा अनुवर्ती रिक्तियों और अन्य आकस्मिक रिक्तियों को भरना;
- (ग) राज्य क्रीड़ा परिषद् और जिला क्रीड़ा परिषद् द्वारा लेखों का रखरखाव तथा लेखों का लेखा-परीक्षित विवरण और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का प्रकाशन;
- (घ) निर्बन्धन तथा शर्तें, जिनके अधधीन राज्य क्रीड़ा परिषद् या जिला क्रीड़ा परिषद् संविदा कर सकती है या सम्पत्ति को धारण या व्ययन कर सकती है ;
- (ङ) राज्य क्रीड़ा परिषद् और जिला क्रीड़ा परिषद् के सचिव तथा स्थायी समिति की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य ;
- (च) रीति जिसमें राज्य क्रीड़ा परिषद्, जिला क्रीड़ा परिषद्, निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् तथा खण्ड क्रीड़ा परिषद् इत्यादि की बैठक समन की जाएगी और ऐसी बैठक तथा अन्य संबंधित मामलों की प्रक्रिया;
- (छ) राज्य क्रीड़ा परिषद् और जिला क्रीड़ा परिषद् के अधिकारियों तथा अमले की सेवा शर्तें ;
- (ज) पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा क्रीड़ा प्रोन्नति बोर्ड का गठन, क्रीड़ा प्रोन्नति बोर्ड की गतिविधियां और उसकी गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए निश्चित की जाने वाली निधियां ;
- (झ) राज्य क्रीड़ा परिषद् और जिला क्रीड़ा परिषद् के अधीन क्रीड़ा संगठन का पंजीकरण;
- (ञ) राज्य या जिला में मान्यताप्राप्त क्रीड़ा व्यक्तियों के रूप में वैयक्तिकों का पंजीकरण;
- (ट) निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् और खण्ड क्रीड़ा परिषद् द्वारा निधियों का गठन;
- (ठ) जिला क्रीड़ा परिषद् या राज्य क्रीड़ा परिषद् या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, को प्रस्तुत करने के लिए बजट तथा रीति और समय सीमा तैयार करना ;
- (ड) अपील अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;
- (ढ) अपील अधिकरण के सदस्यों की सेवा के निर्बन्धन तथा शर्तें ;
- (ण) राज्य क्रीड़ा परिषद् और जिला क्रीड़ा परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा के निर्बन्धन और शर्तें ;
- (त) कोई अन्य मामला, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकता है।

**46.** (1) राज्य क्रीड़ा परिषद्, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गए उपबन्धों के अधधीन तथा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए सामान्य रूप से विनियम बना सकती है।

राज्य क्रीड़ा परिषद् की विनियम बनाने की शक्ति।

(2) विशेषतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं,—

- (क) क्रीड़ा क्लबों के संबंधन के लिए शर्तें और प्रक्रिया ;
- (ख) कोई क्रीड़ा या खेल या टूर्नामेन्ट या क्रीड़ा आयोजन संचालित या आयोजित करने के लिए मानक, योग्यताएं और शर्तें ;
- (ग) क्रीड़ा संगठनों की स्थापना और खेल मैदानों का रखरखाव ;
- (घ) जिला क्रीड़ा परिषद्, निगम क्रीड़ा परिषद्, नगरपालिका क्रीड़ा परिषद्, नगर क्रीड़ा परिषद् तथा खण्ड क्रीड़ा परिषद् के कृत्य तथा शक्तियां ;
- (ङ) चन्दों और विन्यासों की स्वीकृति और इसका प्रबन्धन ;
- (च) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाना है या किया जा सकता है।

सदस्यों और  
अमले इत्यादि का  
लोक सेवक  
होना।

**47.** इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कर्तव्य का अनुपालन करते समय इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक सदस्य और अधिकारी और अमला भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवा के रूप में समझा जाएगा।

कठिनाईयां दूर  
करना।

**48. (1)** यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभाव देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्वसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसकी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन के रूप में प्रतीत हो :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

**अनुसूची-1**

(देखिए नियम 3)

राज्य क्रीड़ा परिषद् की संरचना

**सरकारी सदस्य**

- (क) मुख्यमंत्री, हरियाणा, अध्यक्ष;
- (ख) क्रीड़ा तथा युवा कार्यक्रम मंत्री, उपाध्यक्ष;
- (ग) वित्त मंत्री, सदस्य;
- (घ) शिक्षा मंत्री, सदस्य;
- (ङ.) विकास तथा पंचायत मंत्री, सदस्य;
- (च) स्वास्थ्य मंत्री, सदस्य;
- (छ) मुख्य सचिव, सदस्य;
- (ज) मुख्य मंत्री का प्रधान सचिव, सदस्य;
- (झ) प्रशासकीय सचिव, गृह विभाग, सदस्य;
- (ञ) प्रशासकीय सचिव, वित्त विभाग, सदस्य;
- (ट) प्रशासकीय सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, सदस्य;
- (ठ) प्रशासकीय सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग, सदस्य;
- (ड) प्रशासकीय सचिव, विकास तथा पंचायत विभाग, सदस्य;
- (ढ) प्रशासकीय सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, सदस्य;
- (ण) प्रशासकीय सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, सदस्य;
- (त) प्रशासकीय सचिव, क्रीड़ा तथा युवा कार्यक्रम विभाग, सदस्य;
- (थ) प्रशासकीय सचिव, स्वास्थ्य विभाग, सदस्य;
- (द) पुलिस महानिदेशक, सदस्य ।

**नामनिर्दिष्ट सदस्य**

- (क) क्रीड़ा पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्तियों में से कार्यकारी उपाध्यक्ष;
- (ख) विधान सभा के सदस्यों में से दो सदस्य;
- (ग) राज्य में विश्वविद्यालय के कुलपतियों में से दो सदस्य;
- (घ) अध्यक्ष/सचिव, हरियाणा ओलम्पिक संघ;
- (ङ.) मान्यताप्राप्त राज्य क्रीड़ा संगठनों/संघों में से दो अध्यक्ष/सचिव;
- (च) राज्य में क्रीड़ा की प्रोन्नति के लिए कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों में से दो सदस्य;
- (छ) राज्य में किसी विश्वविद्यालय के निदेशक, क्रीड़ा या शारीरिक शिक्षा में से एक सदस्य;
- (ज) क्रीड़ा औषधि/क्रीड़ा चोटिल प्रबंधन/क्रीड़ा मनोविज्ञान में विशेषज्ञों में से दो सदस्य;
- (झ) अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन में क्रीड़ा विशेषज्ञों/पुरस्कार विजेताओं/पदक विजेताओं में से दो सदस्य जिनमें एक महिला होगी ।
- (ञ) क्रीड़ा पत्रकारिता में एक सदस्य;
- (ट) क्रीड़ा प्रोन्नति में रुचि रखने वाली दो महिला सदस्य;
- (ठ) क्रीड़ा की प्रोन्नति में सम्बद्ध उद्योग से दो सदस्य ।

**अनुसूची-II**

(देखिए धारा 9)

जिला क्रीड़ा परिषदों की संरचना

**पदेन सदस्य**

- (क) उपायुक्त, जो जिला क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष होगा;
- (ख) पुलिस आयुक्त का प्रतिनिधि, जो पुलिस उपायुक्त/जिला पुलिस अधीक्षक की पदवी से नीचे का न हो;
- (ग) जिला परिषद् का अध्यक्ष;
- (घ) अधीक्षण अभियन्ता/कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क);
- (ङ) सरकारी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य;
- (च) जिला शिक्षा अधिकारी;
- (छ) जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी;
- (ज) नगर निगम का मेयर;
- (झ) जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी;
- (ञ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी;
- (ट) कार्यक्रम अधिकारी, महिला तथा बाल विकास;
- (ठ) जिला क्रीड़ा तथा युवा कार्यक्रम अधिकारी-सचिव, जिला क्रीड़ा परिषद् ।

**नामनिर्दिष्ट सदस्य**

- (क) क्रीड़ा पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्तियों में से उपाध्यक्ष;
- (ख) जिला ओलम्पिक संघ का सचिव;
- (ग) मान्यताप्राप्त जिला क्रीड़ा संगठनों/किस्ती मान्यताप्राप्त राज्य क्रीड़ा संगठन/संघ से सम्बद्ध संघों में से चार सदस्य;
- (घ) सम्बद्ध जिले की नगरपालिका परिषद्/नगरपालिका समितियों के सभापतियों में से एक सदस्य;
- (ङ) जिले में खण्ड पंचायत समिति के अध्यक्षों में से एक सदस्य;
- (च) जिले में ग्राम पंचायत के सरपंचों में से दो सदस्य जिनमें एक महिला सरपंच होगी;
- (छ) जिले में महाविद्यालयों में से एक शारीरिक शिक्षा अनुदेशक;
- (ज) जिले में क्रीड़ा राज्य स्तरीय उपलब्धियां रखने वाला एक पुरुष छात्र तथा एक महिला छात्रा;
- (झ) क्रीड़ा औषधि में पर्याप्त विशेषज्ञता रखने वाला एक पंजीकृत चिकित्सा व्यावसायी;
- (ञ) क्रीड़ा में अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तरीय उपलब्धियां रखने वाले दो खिलाड़ी, जिनमें एक महिला होगी ।

**अनुसूची-III**

(देखिए धारा 16)

निगम क्रीड़ा परिषदों की संरचना

**पदेन सदस्य**

- (क) नगर निगम का मेयर, जो निगम क्रीड़ा परिषद् का अध्यक्ष होगा;
- (ख) नगर निगम का निगम आयुक्त;
- (ग) नगर निगम का मुख्य अभिन्यता, अधीक्षण अभियन्ता (वरिष्ठतम);
- (घ) सम्पदा अधिकारी, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण;
- (ङ) नगर निगम का सचिव, जो निगम क्रीड़ा परिषद् का सचिव होगा;
- (च) नगर निगम क्षेत्र के भीतर महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य;
- (छ) उप जिला शिक्षा अधिकारी;
- (ज) जिला क्रीड़ा अधिकारी ।

**नामनिर्दिष्ट सदस्य**

- (क) नगर निगम क्षेत्र में क्रीड़ा में रुचि रखने वाले व्यक्तियों में से नगर क्रीड़ा परिषद् का उपाध्यक्ष;
- (ख) क्रीड़ा में अपनी साख की उपलब्धियां रखने वाले व्यक्तियों में से दो सदस्य जिनमें से एक महिला होगी;
- (ग) नगर निगम क्षेत्र के भीतर क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में अपनी साख की उपलब्धियां रखने वाले खिलाड़ी छात्रों में से दो सदस्य—एक पुरुष छात्र तथा एक महिला छात्रा;
- (घ) नगर निगम क्षेत्र के भीतर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों में से दो सदस्य जिनमें एक महाविद्यालय से होगा तथा दूसरा विद्यालय से होगा;
- (ङ) नगर निगम के पार्श्वों में से तीन सदस्य जिनमें एक महिला होगी और एक व्यक्ति अनुसूचित जाति से सम्बन्धित होगा;
- (च) निगम क्रीड़ा परिषद् से पंजीकृत क्रीड़ा संगठनों तथा क्लबों के पदाधारियों में से दो सदस्य;
- (छ) निगम क्षेत्र में कार्य कर रहे विद्यालयों के प्रधानाचार्यों में से दो सदस्य ।

**अनुसूची-IV***(देखिए धारा 18)*

नगरपालिका क्रीड़ा परिषद की संरचना

**पदेन सदस्य**

- (क) नगरपालिका परिषद का सभापति, जो नगरपालिका क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष होगा;
- (ख) नगरपालिका परिषद क्षेत्र का कार्यकारी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता;
- (ग) उप जिला शिक्षा अधिकारी,
- (घ) नगरपालिका परिषद का सचिव, जो नगरपालिका क्रीड़ा परिषद का सचिव होगा;
- (ङ) नगरपालिका परिषद क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाला तहसीलदार ।

**नामनिर्दिष्ट सदस्य**

- (क) क्रीड़ा में रुचि रखने वाले नगरपालिका परिषद क्षेत्र के व्यक्तियों में से नगरपालिका क्रीड़ा परिषद का उपाध्यक्ष;
- (ख) क्रीड़ा में अपनी साख की उपलब्धियां रखने वाले व्यक्तियों में से दो सदस्य, जिनमें से एक महिला होगी;
- (ग) क्रीड़ा में अपनी साख की उपलब्धियां रखने वाले खिलाड़ी छात्रों में से दो सदस्य—एक पुरुष छात्र तथा एक महिला छात्रा;
- (घ) शारीरिक शिक्षा अध्यापकों में से एक सदस्य;
- (ङ) नगरपालिका पार्श्वों में से तीन सदस्य जिनमें एक महिला होगी और एक व्यक्ति अनुसूचित जाति से सम्बन्धित होगा;
- (च) नगरपालिका क्रीड़ा परिषद से पंजीकृत क्रीड़ा संगठनों तथा क्लबों के पदाधारियों में से दो सदस्य ।

**अनुसूची- V***(देखिए धारा 20)*

नगर क्रीड़ा परिषदों की संरचना

**पदेन सदस्य**

- (क) नगरपालिका समिति का अध्यक्ष, जो इसका अध्यक्ष होगा;
- (ख) नगरपालिका समिति क्षेत्र का सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता;
- (ग) खण्ड शिक्षा अधिकारी;
- (घ) नगरपालिका समिति का सचिव, जो नगर क्रीड़ा परिषद् का सचिव होगा;
- (ङ) नगरपालिका समिति क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाला तहसीलदार;
- (च) नगरपालिका समिति क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी विद्यालय का एक प्रधानाचार्य ।

**नामनिर्दिष्ट सदस्य**

- (क) क्रीड़ा में अपनी साख की उपलब्धियां रखने वाले व्यक्तियों में से दो सदस्य जिनमें एक महिला होगी;
- (ख) क्रीड़ा में अपनी साख की उपलब्धियां रखने वाले क्रीड़ा छात्रों में से दो सदस्य—एक पुरुष छात्र तथा एक महिला छात्रा;
- (ग) शारीरिक शिक्षा अध्यापकों में से एक सदस्य;
- (घ) नगरपालिका समिति पार्षदों में से तीन सदस्य जिनमें एक महिला होगी तथा एक व्यक्ति अनुसूचित जाति से सम्बन्धित होगा;
- (ङ) नगरपालिका समिति से पंजीकृत क्रीड़ा संगठनों तथा क्लबों के पदाधारियों में से दो व्यक्ति ।

**अनुसूची—VI***(देखिए धारा 22)*

खण्ड क्रीड़ा परिषदों की संरचना

**पदेन सदस्य**

- (क) खण्ड पंचायत समिति का अध्यक्ष, जो खण्ड क्रीड़ा परिषद् का सभापति होगा;
- (ख) खण्ड पंचायत समिति का खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, जो खण्ड क्रीड़ा परिषद् का सचिव होगा;
- (ग) सहायक अभियन्ता, खण्ड पंचायत समिति पंचायती राज;
- (घ) खण्ड क्रीड़ा परिषद् के मुख्यालय की अधिकारिता रखने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी;
- (ङ) खण्ड क्रीड़ा परिषद् के मुख्यालय की अधिकारिता रखने वाला खण्ड शिक्षा अधिकारी ।

**नामनिर्दिष्ट सदस्य**

- (क) पंचायत समिति क्षेत्र में क्रीड़ा में रूचि रखने वाले व्यक्तियों में से खण्ड क्रीड़ा परिषद् का उपाध्यक्ष;
- (ख) खण्ड पंचायत समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट शारीरिक शिक्षा अध्यापकों में से दो सदस्य;
- (ग) खण्ड पंचायत समिति में विद्यालयों के माता-पिता-अध्यापक संगठनों के पदाधारियों में से दो सदस्य;
- (घ) खण्ड पंचायत समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट क्रीड़ा में अपनी उपलब्धियां रखने वाले व्यक्तियों में से दो सदस्य जिनमें एक महिला होगी;
- (ङ) खण्ड पंचायत समिति के सदस्यों में से तीन सदस्य जिनमें एक महिला होगी तथा एक व्यक्ति अनुसूचित जाति से सम्बन्धित होगा;
- (च) खण्ड पंचायत समिति से पंजीकृत क्रीड़ा संगठनों तथा क्लबों के अध्यक्षों में से दो सदस्य;



### उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण

हरियाणा सरकार स्वीकार करती है कि शारीरिक कार्यकलाप तथा खेल हरियाणा की संस्कृति तथा समाज का अनिवार्य भाग है। हमारे लिए खेलों का फायदा स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बद्धता, आर्थिक कार्यकलापों, सांस्कृतिक समृद्धि तथा जीवन की उन्नत क्वालिटी के रूप में है। हरियाणा सरकार का लक्ष्य शारीरिक कार्यकलाप तथा खेलों के अभ्यास के महत्वपूर्ण लाभों के बारे में हरियाणा के निवासियों में जागरूकता को बढ़ाना है। हरियाणा सरकार हरियाणा निवासियों के दैनिक जीवन में शारीरिक कार्यकलापों को अनिवार्य बनाते हुए स्वास्थ्य तथा तंदरुस्ती के मूल आमुख के रूप में शारीरिक कार्यकलापों के स्तर को बढ़ाने तथा खेलों में उनकी भागीदारी को बढ़ाने में उनको प्रोत्साहित करना तथा सहयोग देना चाहती है। हरियाणा सरकार ने देश में खेलों को मुख्य प्रोत्साहन देने का गौरव प्राप्त किया है। सभी स्तरों पर खेलों में भागीदारी, समावेश तथा श्रेष्ठता को बढ़ाने के लिए अपनी बचनबद्धता को दोहराती है। इसके दृष्टिगत हरियाणा खेल तथा शारीरिक उपयुक्तता पॉलिसी 2015 को उच्चतम नीतिपरक मानकों तथा मूल्यों की पाई गई है। हरियाणा खेल तथा शारीरिक उपयुक्तता पॉलिसी 2015 के अनुसार राज्य में खेल तथा शारीरिक उपयुक्तता को बढ़ाने के लिए, एथलैटिक्स दक्षता को बढ़ाने हेतु तथा सभी के लिए खेल की धारणा को बढ़ाने के लिए, राज्य स्तर, जिला स्तर, खण्ड स्तर, नगरनिगम स्तर, नगरपरिषद स्तर तथा नगरपालिका समिति स्तर पर वैधानिक खेल परिषद् गठित की जानी आशयित हैं। सम्बन्धित खेल परिषद में कोचिंग, प्रतियोगिताएं तथा अन्य खेल संबंधी कार्यकलापों के लिए जिम्मेवार होंगी।

उपर्युक्त के दृष्टिगत राज्य स्तर, जिला स्तर, खण्ड स्तर, नगरनिगम स्तर, नगरपरिषद स्तर तथा नगरपालिका समिति स्तर पर वैधानिक खेल परिषदें गठित की जानी हैं।

अनिल विज,  
खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:  
25 अगस्त, 2016

आर० के० नांदल,  
सचिव।

**प्रत्यायोजित विधान से सम्बंधित ज्ञापन**

प्रस्तावित अधिनियम की धारा 45 के अनुसार इस अधिनियम की उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करती है। कार्यकारिणी की शक्तियों का यह प्रत्यायोजन साधारण स्वरूप का है अतः हरियाणा विधान सभा कारोबार प्रक्रिया तथा संचालन नियमों के नियम 126 के अधीन यथा अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन संलग्न किया जाता है।

54580—H.V.S.—H.G.P., Chd.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 135-2016/Ext] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 25, 2016 (BHADRA 3, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

### Notification

The 25th August, 2016

**No.22-HLA of 2016/87.**— The Court Fees (Haryana Amendment) Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

**Bill No. 22- HLA of 2016**

### THE COURT FEES (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2016

A

### BILL

*further to amend the Court Fees Act, 1870 in its application to the State of Haryana.*

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the sixty seventh year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Court Fees (Haryana Amendment) Act, 2016. Short title.
2. In section 26 of the Court Fees Act, 1870, the following explanation shall be added, namely:- Amendment of Section 26 of Central Act 7 of 1870.

“Explanation.- For the purposes of this section,-

  - (i) “Stamp” means any mark, seal or endorsement by any agency or person duly authorized by the State Government and includes an adhesive or impressed stamp chargeable for the purposes of court fee under this Act; and
  - (ii) “Impressed stamp” means an impression by a franking or any other machine, or e-stamping”.
3. (1) The Court Fees (Haryana Amendment) Ordinance, 2016 (Haryana Ordinance No. 4 of 2016), is hereby repealed. Repeal and saving.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

To make the justice delivery system paperless and hassle-free, the system of e-Stamps for Court fees shall be introduced in Punjab and Haryana High Court, Chandigarh as well as in all District Courts and Sub-Divisional Courts of State of Punjab, Haryana and U.T., Chandigarh. With a view to facilitate citizens by providing online payment mechanism for court fees round the clock, to save precious time of the citizens, to obviate difficulties of shortage of regular stamps, to prevent re-use of stamps, loss of stamps and sale of counterfeit stamps, to provide an environment for ease of doing business the State intends to enable the citizens to purchase of court fee stamps through a 24x7 secure online mechanism developed by NIC Haryana. In view of exigency of the matter mentioned above, necessary amendment in Section 26 of Court Fee Act, 1870 in its application to the State of Haryana was to be implemented with immediate effect and it was not possible to wait till the next sitting of the House. Therefore, The Court Fees (Haryana Amendment) Ordinance, 2016 (4 of 2016) was promulgated on the 27th July, 2016.

2. The present measure seeks to replace the Ordinance.

CAPTAIN ABHIMANYU,  
Revenue and Disaster Management Minister, Haryana.

Chandigarh.  
The 25th August, 2016.

R.K. NANDAL,  
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 22-एच०एल०ए०

**न्यायालय फीस (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016**  
**न्यायालय फीस अधिनियम, 1870**  
**हरियाणा राज्यार्थ, को आगे**  
**संशोधित करने के लिए**  
**विधेयक।**

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. यह अधिनियम न्यायालय फीस (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 26 में, निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जाएगी, अर्थात्:- 1870 का केन्द्रीय अधिनियम 7 की धारा 26 का संशोधन।  
 "व्याख्या.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-  
 (i) "स्टाम्प" से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण या व्यक्ति द्वारा कोई चिह्न, मोहर या पृष्ठांकन तथा इसमें इस अधिनियम के अधीन न्यायालय फीस के प्रयाजनों के लिए प्रभार्य या चिपकाने वाली या छापित स्टाम्प भी शामिल है; तथा  
 (ii) "छापित स्टाम्प" से अभिप्राय है, किसी अंकन या किसी अन्य मशीन या ई-स्टाम्पिंग द्वारा कोई छाप।"
3. (1) न्यायालय फीस (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4), इसके द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन तथा व्यावृत्ति।  
 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

### उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

न्याय वितरण प्रणाली कागज रहित और परेशानी मुक्त बनाने के लिए कोर्ट फीस के लिए ई-स्टाम्पस की प्रणाली पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में तथा केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ में और साथ ही सभी जिला न्यायालयों और पंजाब हरियाणा राज्य के उप संभागीय न्यायालयों में आरम्भ किया जाएगा। उक्त विचार के दृष्टिगत चौबिसों घण्टों अदालत की फीस को उपलब्ध करवाने के लिए आनलाईन भुगतान तंत्र प्रदान करके नागरिकों की सुविधा के साथ नागरिकों के कीमती समय को बचाने के लिए, नियमित रूप से कोर्ट फीस की टिकटों एवं न्यायिक स्टाम्पस की कमी की कठिनाईयों का निराकरण करके कोर्ट फीस टिकटों तथा न्यायिक स्टाम्पस को फीस के रूप में उपयोग करने और टिकटों से प्राप्त आय की हानि, नकली टिकटों की बिक्री के रूप में रोकने के लिए तथा कोर्ट फीस की टिकटों तथा कोर्ट फीस स्टाम्पस के बिक्री के कार्य को आसान करने हेतु वातावरण प्रदान करने के लिए एन0आई0सी0 हरियाणा द्वारा विकसित एक 24x7 सुरक्षित आन-लाईन विधि के माध्यम से कोर्ट फीस टिकटों एवं कोर्ट फीस स्टाम्पस की खरीद को नागरिकों को सक्षम करने का ध्येय है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 को हरियाणा राज्य में लागू करने के लिए धारा 26 में आवश्यक संशोधन की जरूरत को देखते हुए अध्यादेश न्यायालय फीस (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2016 (अध्यादेश संख्या 4) को प्राख्यापित किया गया था।

2. वर्तमान विधेयक द्वारा अध्यादेश को प्राख्यापित करना है।

कैप्टन अभिमन्यु,  
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:  
दिनांक 25 अगस्त, 2016.

आर० के० नांदल,  
सचिव।



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No.135-2016/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 25, 2016 (BHADRA 3, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

### Notification

The 25th August, 2016

**No. 23-HLA of 2016/88.**— Shri Krishna Ayush University Kurukshetra Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

**Bill No. 23- HLA of 2016**

### SHRI KRISHNA AYUSH UNIVERSITY KURUKSHETRA BILL, 2016

A

### BILL

*to establish and incorporate a University in the State for the purpose of teaching and affiliating and ensuring proper and systematic instructions, training and research in Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy system of medicines to achieve excellence in these and connected fields and to administer Shri Krishna Government Ayurvedic College, Kurukshetra.*

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called Shri Krishna AYUSH University Kurukshetra Act, 2016. Short title and commencement
- (2) It shall come into force at once.
2. In this Act and in all Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder, unless the context otherwise requires,- Definitions.
- (a) “academic course” means a course of study in any discipline of AYUSH according to the syllabus and curriculum prescribed by the University;
- (b) “affiliated college” means a college or an institution admitted to the privileges of the University under this Act;

- (c) "AYUSH" means the Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy including all branches concerning preventive, promotive, curative and rehabilitative services;
- (d) "AYUSH course" means a course of all branches of AYUSH namely pre-clinical, para-clinical, clinical, para-medical and such other courses, as may be prescribed by the University at degree level or above or diploma;
- (e) "college" means a college maintained by, or admitted to the privileges, of the University under this Act;
- (f) "Department" means a unit set up for the purpose of imparting instructions for courses of study in AYUSH or any discipline allied thereto;
- (g) "employee" means any person appointed by the University and includes teachers and all other staff of the University;
- (h) "Government" means the Government of the State of Haryana;
- (i) "Head of Department" means a senior most Faculty member/teacher in respective speciality/super-speciality/subject/discipline in the University, an institution or an affiliated college;
- (j) "Homoeopathy" means the Homoeopathic System of medicine founded by Dr. Hahnemann and includes the allied system of Bio-Chemistry founded by Dr. Schussler;
- (k) "hostel" means a unit of residence for the students;
- (l) "institution" means an academic institution not being a college, maintained by or admitted to the privileges of the University;
- (m) "prescribed" means prescribed by the Statutes, Ordinances and Regulations made under this Act;
- (n) "principal" means the head of a college or institution and includes, when there is no principal, a vice-principal duly appointed as such and in the absence of the principal or the vice-principal, the person for the time being duly appointed to act as the principal;
- (o) "recognized teacher" means such person as are approved by the University for the purpose of imparting instructions in a college or an institution admitted to the privileges of the University;
- (p) "Schedule" means Schedule appended to this Act;
- (q) "Siddha" means the system of medicine, which is basically therapeutic in nature;
- (r) "State" means the State of Haryana;
- (s) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" mean respectively the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under this Act;
- (t) "student" means a person enrolled in the University, college or one of its affiliated colleges or institutions for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction duly instituted by the University;
- (u) "Unani" means the Unani System of Medicine, relating to promotion of health and prevention of diseases;
- (v) "University" means Shri Krishna AYUSH University Kurukshetra as incorporated under this Act;
- (w) "University teacher" means Professor, Associate Professor, Assistant Professor and such other person, as may be appointed for imparting instructions or conducting research in the University or in any college or institution maintained by the University and is designated as teacher by the Ordinances;
- (x) "Yoga and Naturopathy" means a way of life, founded by Patanjali Rishi and includes natural way of healing by air, light, water and earth.



3. (1) There shall continue to be a body corporate by the name of Shri Krishna AYUSH University Kurukshetra comprising the Chancellor, the Vice-Chancellor and the Pro Vice-Chancellor of the University and the members of the Court, the Executive Council and the Academic Council and all persons, who may hereafter become or be appointed as such members or officers, so long as they continue to hold such membership or office. Incorporation.

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property and to contract, and may by the said name sue or be sued.

4. (1) The limits of the area within which the University shall exercise its powers shall be such, as the Government may, from time to time, by notification, specify: Territorial exercise of powers.

Provided that different areas may be specified for different faculties.

(2) Notwithstanding anything contained in any other State law for the time being in force, any college situated within the limits of the area specified under sub-section (1) shall, with effect from such date, as may be notified in this behalf by the Government, be deemed to be associated with, and admitted to the privileges of the University and shall cease to be associated in any way with, or be admitted to, any privileges of any other university, and different dates may be notified for different colleges:

Provided that-

(i) any student of any college associated with, or admitted to, the other university before the said date, who was studying for any degree or diploma examination of that university, shall be permitted to complete his course in preparation thereof and the university shall hold for such students, examinations in accordance with the curricula of study in force in that university for such period, as may be prescribed;

(ii) any such student may, until any such examination is held by the University, be admitted to the examination of the other university and be conferred the degree, diploma or any other privilege of that university for which he qualifies on the result of such examination.

(3) The University shall not, itself or through franchise or agency, operate or open any off campus centre and study centre.

**Explanation.**—For the purpose of this sub-section,-

(i) “off campus centre” means a centre of the University, by whatever name called, established by it outside the main campus, operated and maintained as its constituent unit, having the University’s complement of facilities, faculty and staff; and

(ii) “study centre” means a centre, by whatever name called, established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education.

5. (1) Shri Krishna Government Ayurvedic College Kurukshetra with effect from the commencement of this Act, shall stand transferred to the University. Transfer of Shri Krishna Government Ayurvedic College to University.

(2) The control and management of all properties and assets pertaining thereto which were in existence at the time of the said transfer, together with any accretions and accessories thereto, shall stand transferred from Government and vest in the University.

(3) All properties and assets which were in existence at the time of the said transfer together with any accretions and accessories thereto, pertaining to Shri Krishna Government Ayurvedic College Kurukshetra except land and building belonging to State Drug Pharmacy and State Drug Testing Laboratory, whether acquired or created out of grants from the Government or otherwise and any cash balances held by the college on its account, whether in deposit, with any bank or otherwise, shall stand transferred from the college and vest in the University.

(4) All rights, powers and privileges, duties, debts, liabilities and obligations of the Government, contractual or otherwise, arising or accrued or incurred in relation to the affairs of any of the college shall stand transferred to the University.

(5) Any doubt or difference in regard to whether any asset or liability stands transferred under the foregoing clauses shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

(6) All references in any will, deed or other documents, whether made or executed before or after the commencement of this Act, which contains any bequest, gift, endowment or trust in favour of Government for the purpose of Shri Krishna Government Ayurvedic College Kurukshetra shall stand transferred to the University.

(7) Any student of Shri Krishna Government Ayurvedic College Kurukshetra who immediately prior to the commencement of this Act was studying for any examination of Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences, Rohtak shall continue his academic year as a student of that university and be permitted to complete his course in preparation thereof and be admitted to the examination.

(8) Members of Faculty elected by Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences, Rohtak for Central Council of Indian Medicine shall continue till the expiry of their respective term.

Utilization of assets etc.

6. The properties, assets and rights transferred to the University by virtue of section 4 shall continue to be utilized for the purposes for which they were being utilized or were intended to be utilized immediately before the commencement of this Act.

Bar on conferring, granting or issuing degrees, diplomas or certificates by unauthorized institutions.

7. (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other State law for the time being in force, no person or institution, other than the University, shall confer, grant or issue or hold himself or itself out as entitled to confer, grant or issue any degree, diploma or certificate in the specified areas of knowledge assigned to it within the territorial jurisdiction of the University which is identical with or is a colourable imitation of any degree, diploma or certificate conferred, granted or issued by the University.

(2) Contravention of the provisions of sub-section (1) shall be a cognizable offence punishable with imprisonment not exceeding three years or with a fine not exceeding one lac rupees or with both.

(3) Where an offence under this section has been committed by an institution, every person, in charge of and responsible to the institution for the conduct of its business at the time of the commission of the offence, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against as per the University rules.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), where an offence made under this section has been committed by an institution and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any partner, director, manager, secretary or other officer of the institution, such partner, director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

**Explanation.-** For the purpose of this section "institution" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals.

Powers and functions of University.

8. The University shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-

- (a) to provide for research and instruction in such branches of learning as the University may think fit and to take such steps, as it considers necessary for the advancement of learning and dissemination of knowledge;
- (b) to hold examinations and grant such degrees, diplomas and other academic distinctions or titles to persons as may be laid down in the Statutes, Ordinances or Regulations;
- (c) to confer honorary degrees or other distinctions on approved persons in the manner laid down in the Statutes;
- (d) to institute prizes, medals, research studentships, exhibitions and fellowships;

- (e) to receive gifts, donations or benefactions from the Government and to receive gifts, donations and transfers of movable or immovable property from transferors, donors, testators, as the case may be; and to create such corpus fund with the donations so received for the welfare of the University;
- (f) to institute principalship, professorship, associate professorship, assistant professorship and to create other posts of any description required by the University and to appoint persons to such posts;
- (g) to co-operate with educational and other institutions in India and abroad having objectives similar to those of the University in such manner, as may be conducive to their common goals;
- (h) to provide instructions including correspondence and such other courses to such persons, as are not members of the University, as it may determine;
- (i) to recognize persons for imparting instructions in any college or institution admitted to the privileges of the University;
- (j) to maintain colleges located within the State imparting AYUSH education;
- (k) to declare a college, an institution or a department as autonomous college or institution or department, as the case may be;
- (l) to borrow with the approval of the Government, on the security of the property of the University, money for the purposes of the University;
- (m) to supervise, control and regulate the residence, conduct and discipline of the students of the University and of colleges and institutions within the jurisdiction of the University;
- (n) to deal with any property belonging to or vested in the University, in such manner, as the University may deem fit for advancing the objects of the University;
- (o) to assess the needs of the State and Country in terms of subjects, fields of specialization, levels of education and training of manpower both on short and long term basis and to initiate necessary programmes to meet those needs;
- (p) to organize advanced studies and research programmes based on a deep understanding of the trends in such branches of learning, as the University may think fit;
- (q) to promote research, design and developmental activities that have a relevance to social needs and the development programmes of the State;
- (r) to initiate measures to enlist the co-operation of industries and Government employees to provide complementary facilities;
- (s) to provide for continuous experimentation in imparting knowledge, organization of training and preparation of text- books and other instructional materials;
- (t) to arrange for progressive introduction of continuous evaluation and re-orientation of the subjects in educational measurement;
- (u) to further entrepreneurial ability among its students;
- (v) to educate the public with regard to the requirement of, and opportunities for the advancement of learning and dissemination of knowledge;
- (w) to make special arrangements for the education of students and the students belonging to weaker sections of the society, in particular Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the University may consider desirable;
- (x) to frame Statutes, Ordinances or Regulations and alter, modify or rescind the same for all or any of the aforesaid purposes;
- (y) to do all such things, as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.

- University open to all races, castes and creeds. **9.** The University shall be open to all irrespective of sex, race, creed, caste or class and no test or condition shall be imposed as to religion, belief or profession in admitting or appointing members, students, teachers, workers, or in any other connection whatsoever and no benefaction shall be accepted which in the opinion of the authorities of the University involves conditions or obligations opposed to the spirit and objectives of this provision:
- Provided that nothing contained in this section shall be deemed to prevent the University from making any special provisions in respect of weaker sections of the society and in particular Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
- Teaching. **10.** All teaching in the University shall be conducted by and in the name of the University, in accordance with the Statutes, Ordinances and Regulations made in this behalf.
- Officers. **11.** The following shall be the officers of the University, namely:-
- (i) the Chancellor;
  - (ii) the Vice-Chancellor;
  - (iii) the Pro Vice-Chancellor;
  - (iv) the Registrar; and
  - (v) such other persons in the service of the University, as may be declared by the Statutes to be Officers of the University.
- Chancellor. **12.** (1) The Governor of Haryana by virtue of his office shall be the Chancellor of the University.
- (2) The Chancellor shall be the head of the University.
  - (3) The Chancellor shall, if present, preside over the convocation of the University for conferring degrees and meetings of the Court.
  - (4) The Chancellor shall have the right-
    - (i) to cause an inspection to be made, by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, laboratories and equipment and of any college or institution maintained by the University and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University; and
    - (ii) to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the administration of finances of the University, colleges or institutions.
  - (5) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and on receipt of such notice, the University shall have the right to make such representation to the Chancellor, as it may consider necessary.
  - (6) After considering the representation, if any, made by the University, the Chancellor may cause to be made such inspection or inquiry as is referred to in sub-section (4).
  - (7) Where any inspection or inquiry has been caused to be made by the Chancellor, the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and to be heard at such inspection or inquiry.
  - (8) The Chancellor may, if the inspection or inquiry is made in respect of the University or any college or institution maintained by it, address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the Chancellor and the action to be taken thereon as advised by the Chancellor.
  - (9) The Executive Council shall communicate through the Vice-Chancellor to the Chancellor such action, if any, as it proposes to take or has taken upon the result of such inspection or inquiry.

(10) Where the Executive Council does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor may, after considering any explanation furnished or representation made by the Executive Council, issue such directions, as he may think fit and the Executive Council shall comply with such directions.

(11) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Chancellor may, by order in writing, annul any proceeding of the University, which in his opinion is not in conformity with this Act, the Statutes or the Ordinances:

Provided that before making any such order, he shall call upon the University to show cause why such an order should not be made, and if any cause is shown within a reasonable time, he shall consider the same.

(12) The Chancellor may, at any time require or direct the University to act in conformity with the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder.

(13) The power exercised by the Chancellor under sub-sections (11) and (12) shall not be called in question in any civil court.

(14) Any employee of the University, who is aggrieved by the decision of the Executive Council or the Vice-Chancellor in respect of any disciplinary action taken against him, may address a memorial to the Chancellor in such manner, as may be prescribed by Statutes and the decision of the Chancellor shall be final.

(15) The Chancellor shall have such other powers, as may be prescribed by the Statutes.

**13.** (1) The Vice-Chancellor shall be appointed solely on academic considerations. He shall be a distinguished educationist having commitment to the values for which the University stands and abilities to provide leadership to the University by his academic worth, administrative competence and moral stature. Vice-Chancellor.

(2) The Government shall constitute a selection committee consisting of one nominee of the Chancellor and two nominees of the Executive Council, which shall prepare a panel of at least three names, in alphabetical order, from which the Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor, on the advice of the Government. The terms and conditions of the service of the Vice-Chancellor shall be determined by the Chancellor, on the advice of the Government.

(3) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of three years which may be renewed for not more than one term:

Provided that no person shall be appointed to, or continue in, the office of the Vice-Chancellor, if he has attained the age of sixty-eight years.

(4) The Chancellor may, on the advice of the Government, cause an inquiry to be held in accordance with the principles of natural justice, and remove the Vice-Chancellor from office, if he is found on such inquiry, to be a person patently unfit to be continued in such office.

(5) If the Vice-Chancellor is unable to perform his duties owing to his temporary incapacity on account of illness or any other reason or the office of the Vice-Chancellor falls vacant due to death or otherwise, the Pro Vice-Chancellor shall perform the duties of the Vice-Chancellor until the existing Vice-Chancellor is able to resume his office or until a regular Vice-Chancellor is appointed, as the case may be. In the absence of both Vice-Chancellor and Pro Vice-Chancellor, the Chancellor shall make such arrangements for the duties of the Vice-Chancellor to be performed by some authority until Vice-Chancellor or Pro Vice-Chancellor joins.

(6) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of all the authorities of the University.

(7) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act, except in the matters involving creation or abolition of a Faculty, Department, or post, the matter involving appointment or removal of an employee:

Provided that the Vice-Chancellor before exercising powers under this section shall record in writing the reasons, why the matter cannot wait till the meeting of the authority concerned:

Provided further that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor, whose decision thereon shall be final:

Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section shall have the right to represent to the Executive Council within one month from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor. The employee shall be informed that the action has been taken under emergency powers.

(8) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes or Ordinances.

Pro Vice- Chancellor. **14.** (1) The Pro Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the advice of the Government on such terms and conditions of service, as may be determined by him. He shall not be below the rank of a Professor.

(2) The Pro Vice-Chancellor shall hold office for a period of three years which may be renewed for not more than one term:

Provided that no person shall be appointed to, or continue in the office of the Pro Vice-Chancellor if he has attained the age of sixty-eight years.

(3) The Pro Vice-Chancellor shall exercise such duties, as assigned to him by the Vice-Chancellor.

Registrar. **15.** (1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor on the advice of the Government.

(2) The Registrar shall be the Chief Administrative Officer of the University. He shall work directly under the superintendence, direction and control of the Vice-Chancellor.

Other officers. **16.** The manner of appointment and powers and duties of other officers of the University shall be such, as may be prescribed by the Statutes.

Creation of teaching and non-teaching posts. **17.** Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall not create any teaching and non-teaching post or revise the pay scale of the teaching and non-teaching employees without obtaining the prior approval of the Government.

Authorities. **18.** The following shall be the authorities of the University, namely:-  
 (i) the Court;  
 (ii) the Executive Council;  
 (iii) the Academic Council;  
 (iv) the Finance Committee;  
 (v) the Faculties;  
 (vi) the Academic Planning Board; and  
 (vii) such other authorities, as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

Court. **19.** (1) The constitution of the Court and the term of office of its members shall be prescribed by the Statutes.

(2) Subject to the provisions of this Act, the Court shall have the following powers and functions, namely:-

- (a) to review, from time to time, the broad policies and programmes of the University and to suggest measures for the improvement and development of the University;
- (b) to consider and pass resolution on the annual report, annual budget and the annual accounts of the University and on the audit report of such accounts;
- (c) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice; and
- (d) to perform such other functions, as may be prescribed by the Statutes.

- 20.** (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University. Executive Council.
- (2) The constitution of the Executive Council, the term of office of its members and its powers and duties shall be such, as may be prescribed by the Statutes:
- Provided that the Pro Vice-Chancellor shall be the ex-officio member of the Executive Council.
- 21.** (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and Ordinances, co-ordinate and exercise general supervision over all academic policies of the University. Academic Council.
- (2) The constitution of the Academic Council, the term of office of its members and its powers and duties shall be such, as may be prescribed by the Statutes:
- Provided that the Pro Vice-Chancellor shall be the ex-officio member of the Academic Council.
- 22.** The constitution and functions of the Faculties shall be such, as may be prescribed by the Statutes. Faculties.
- 23.** The constitution of the Finance Committee, the term of office of its members and its powers and duties shall be such, as may be prescribed by the Statutes: Finance Committee.
- Provided that the Pro Vice-Chancellor shall be the ex-officio member of the Finance Committee.
- 24.** The constitution and functions of the Academic Planning Board shall be such, as may be prescribed by the Statutes. Academic Planning Board.
- 25.** Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:- Statutes and their scope.
- (a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University, as may be constituted from time to time;
  - (b) the classification, mode of appointment, powers and duties of the teachers and the officers of the University;
  - (c) the conditions of the service including, provision for pension or provident fund or insurance schemes for the benefit of the employees of the University;
  - (d) the conferment of honorary degrees;
  - (e) the establishment and abolition of Faculties and Departments;
  - (f) the institution of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes;
  - (g) the maintenance of discipline among the students;
  - (h) the conditions under which colleges and institutions may be admitted to the privileges of the University and the withdrawal;
  - (i) the delegation of powers vested in the authorities or officers of the University; and
  - (j) all other matters which by this Act, are to be or may be provided for, by the Statutes.
- 26.** (1) On the commencement of this Act, the Statutes of the University shall be those as set out in the Schedule. Framing of Statutes.
- (2) The Government or the Executive Council may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes in the manner hereinafter provided in this section:
- Provided that the Executive Council shall not make, amend or repeal any Statute, affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes, and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council.
- (3) The Academic Council may propose to the Executive Council a draft of any Statute relating to academic matters for consideration by the Executive Council.

(4) Every new Statute or addition to the Statute or any amendment or repeal of a Statute shall require the approval of the Chancellor who may approve, disapprove or remit it for further consideration. A Statute passed by Government or the Executive Council shall have no validity until it has been assented to by the Chancellor.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Chancellor, either suo moto or on the advice of the Government, may direct the Executive Council, to make, amend or repeal the Statutes in respect of any matter specified by him and if the Executive Council fails to implement such a direction within sixty days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Executive Council for its inability to comply with such direction, make, amend or repeal the Statutes suitably.

Ordinances and their scope.

**27.** Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the admission of students to the University and their enrolment as such;
- (b) the admission to the examinations, degrees and diplomas of the University and further to make progressively the fee structure so flexible that the courses could become self-financing to the extent possible;
- (c) the conditions under which students shall be admitted to the degree or diploma courses and to the examinations of the University and the eligibility for such degrees and diplomas;
- (d) the fees to be charged for courses of study in the University and for admission to the examinations, degrees and diplomas of the University; and further to make progressively the fee structure so flexible that the courses could become self-financing to the extent possible;
- (e) the conditions of the award of fellowships, studentships, exhibitions, medals and prizes;
- (f) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;
- (g) the conditions of residence of students of the University; and
- (h) all other matters which by this Act or the Statutes are to be made or may be provided for by the Ordinances.

Framing of Ordinances.

**28.** (1) The Ordinances shall be made, amended, repealed or added to by the Executive Council:

Provided that no Ordinance shall be made-

- (i) affecting the admission or enrolment of students or prescribing examinations to be recognized as equivalent to the University examinations; and
- (ii) affecting the conditions, mode of appointment or duties of examiners or the conduct or standard of examination or any courses of study, unless the draft of such Ordinance has been proposed by the Academic Council.

(2) The Executive Council may return to the Academic Council for reconsideration, either in whole or in part, any draft proposed by the Academic Council under sub-section (1) alongwith its suggestions:

Provided that the Executive Council shall not amend the draft proposed by the Academic Council itself. It may, however, reject such draft when submitted to it by the Academic Council for the second time.

(3) All Ordinances made by the Executive Council shall have effect from such date, as it may direct and every Ordinance made shall be communicated, as soon as may be, to the Chancellor.

Regulations.

**29.** (1) The authorities of the University may make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances-

- (a) laying down the procedure to be observed at their meetings; and
- (b) providing for all matters which by this Act, the Statutes or the Ordinances are to be prescribed by Regulations.



(2) Every authority of the University shall make Regulations providing for giving of notice to the members of such authority of the dates of meetings and of the business to be considered at meetings and for keeping the record of the proceedings of the meetings.

**30.** The annual report of the University giving details of broad programmes, policies and finances, amendments of Statutes and Ordinances made during the year under report, shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall be submitted to the Court on or after such date, as may be prescribed by the Statutes and the Court shall consider the report in its annual meeting.

Annual report.

**31.** (1) The annual accounts and the balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall be prepared once at least once in every year and at intervals of not more than fifteen months be audited by the Director, Local Audit, Haryana or any other auditor that may be appointed by the Government. The annual accounts when audited shall be published in the Haryana Government Gazette and a copy of the annual accounts alongwith the report of the Director, Local Audit, Haryana or the Auditor shall be submitted to the Court and the Chancellor alongwith the observations of the Executive Council. Any observations made by the Chancellor on the annual accounts shall be brought to the notice of the Court and observations of the Court, if any, shall after being considered by the Executive Council, be submitted to the Chancellor.

Annual accounts.

(2) The annual accounts and the balance sheet of the University shall also be submitted to the Government at the time of its submission to the Chancellor.

**32.** (1) Every salaried officer and teacher, except the Vice-Chancellor, shall be appointed under a written contract, which shall be lodged with the University and any dispute arising out of a contract between the University and any of the officers or teachers shall, at the request of the teacher or officer concerned or at the instance of the University, be referred to a Tribunal of arbitration consisting of one member appointed by the Executive Council, one member nominated by the officer or teacher concerned and one nominee of the Chancellor. The decision of the majority of the members of the Tribunal shall be final and no suit shall lie in any civil court in respect of the matter decided by the Tribunal.

Conditions of service of officers and teachers.

(2) Every such request shall be deemed to be a submission to arbitration within the meaning of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Central Act 26 of 1996).

**33.** (1) The University shall institute, for the benefit of its officers, teachers and other employees, such pension, provident fund and insurance fund, as it may deem fit.

Pension, provident fund and insurance fund.

(2) Where any provident fund and insurance fund have been so constituted, the provisions of the Provident Fund Act, 1925 (Central Act 19 of 1925), shall be applicable to it as if it were a Government Provident Fund.

**34.** No act done, or proceeding taken, under this Act by any authority or other body of the University shall be invalid merely on the ground-

Vacancy not to invalidate proceedings.

- (a) of any vacancy or defect in the constitution of the authority or body; or
- (b) of any defect or irregularity in election, nomination or appointment of a person acting as a member thereof; or
- (c) of any defect or irregularity in such act or proceeding, not affecting the merits of case.

**35.** If any question arises whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

Certain disputes to be referred to Chancellor.

**36.** If any difficulty arises with respect to the establishment of the University or in connection with the first meeting of any authority of the University or otherwise in first giving effect to the provisions of this Act, the Government may, at any time, before any authority of the University has been constituted by order, make any appointment or do anything, consistent, so far as may be, with the provisions of this Act, which appears to it necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty and every such order shall have effect as if such appointment or action had been made or taken in the manner provided in this Act.

Power to remove difficulties.

Mode of proof of  
University record.

**37.** Notwithstanding anything to the contrary contained in the Indian Evidence Act, 1872 (Central Act 1 of 1872) or in any other law for the time being in force, a copy of any receipt, application, notice, order, proceedings, resolution of any authority or committee of the University or other documents in possession of the University, or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as evidence of such receipt, application, notice, order, proceedings, resolution, document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

Protection of action  
taken in good faith.

**38.** No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act, the Statutes or Ordinances.

Vesting of properties.

**39.** (1) All properties, movable or immovable except land and building belonging to State Drug Pharmacy and State Drug Testing Laboratory and all the interest of whatsoever nature and kind therein, vested in Shri Krishna Government Ayurvedic College Kurukshetra and the courses run thereunder and the posts created, filled before the commencement of this Act, shall vest in the University.

(2) All debts, obligations and liabilities incurred, all contracts entered into and all matters and things engaged to be done by Shri Krishna Government Ayurvedic College Kurukshetra relating to it shall be deemed to have been incurred, entered into, or engaged to be done by, with or for the University.

**THE SCHEDULE***[see sections 2(p) and 26 (1)]*

- 1.** (i) The Vice-Chancellor shall be ex-officio Chairman of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee and shall, in the absence of the Chancellor, preside over the convocations of the University held for conferring degrees and over the meetings of the Court. The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at, and to address, any meeting of any authority or other body of the University, but shall not be entitled to vote thereat, unless he is the member of such authority or body. Powers and duties of Vice-Chancellor.
- (ii) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that the provisions of the Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are duly observed and shall take all necessary steps to ensure such observance.
- (iii) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the Court, the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee and any other authority or body of the University.
- (iv) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall give effect to the decisions of the authorities of the University.
- (v) The decision of the Vice-Chancellor regarding seniority for nomination to the various authorities or bodies of the University shall be final.
- 2.** (1) The Pro Vice-Chancellor shall be ex-officio Vice-Chairman of the Executive Council, Academic Council, Finance Committee, Selection Committee, Establishment Committee and the Planning Board and in the absence of the Vice-Chancellor, preside over the meetings of the Executive Council, Academic Council, Finance Committee, Selection Committee, Establishment Committee and the Planning Board. Pro Vice-Chancellor.
- (2) It shall be the duty of the Pro Vice-Chancellor to see, in the absence of the Vice-Chancellor, that the provisions of the Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are duly observed and shall take all necessary steps to ensure such observance.
- (3) The Pro Vice-Chancellor, in the absence of the Vice-Chancellor, shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the Court, Executive Council, Academic Council, Finance Committee, Selection Committee, Establishment Committee, Planning Board and any other authority or body of University.
- (4) The Pro Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of those branches of University administration that are assigned to him by the Vice-Chancellor and shall give effect in those branches to the decisions of the authorities of University.
- 3.** (i) The Registrar shall be ex-officio Secretary of the Executive Council and Faculties but shall not be deemed to be a member of any of these authorities and shall be ex-officio Member-Secretary of the Court and the Academic Council. Registrar.
- (ii) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is by reason of illness or any other cause is unable to perform the duties of the office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint temporarily for the purpose till the regular appointment is made by the Chancellor on the advice of the Government.
- (iii) It shall be the duty of the Registrar-
- (a) to be the custodian of the records, common seal and such other property of the University, as the Vice-Chancellor shall commit to his charge;
- (b) to issue all notices convening meetings of the Court, the Executive Council, the Academic Council, the Faculties and of any committee appointed by any authority of the University;
- (c) to keep the minutes of all meetings of the Court, the Executive Council, the Academic Council, the Faculties and any committee appointed by the authorities of the University;

- (d) to conduct the official correspondence of the Court, the Executive Council, the Academic Council and the Faculties;
  - (e) to supply to the Chancellor, copies of the agenda, the minutes of the meetings of the authorities of the University, as soon as they are issued;
  - (f) to perform such other duties as may, from time to time, be assigned to him the by Vice-Chancellor.
- (iv) The Registrar shall have power to administer warning or to impose the penalty of censure or withholding of increments upon such of the employee, excluding teachers of the University and the academic staff, as may be specified in the orders of the Executive Council and to suspend them pending enquiry:

Provided that no such penalty shall be imposed unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

- (v) An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order of the Registrar imposing any of the penalties specified in clause (iv).
- (vi) In case the inquiry discloses that a punishment, beyond the powers of the Registrar is called for, the Registrar shall, upon conclusion of the inquiry make a report to the Vice-Chancellor along with his recommendations:

Provided that an appeal shall lie to the Executive Council against an order of the Vice-Chancellor imposing any penalty.

- (vii) The Registrar shall be the authorized officer to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall act in such capacity when the appropriate authority of the University has taken a decision in the matter. The Registrar shall also exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by Statutes or the Ordinances.
- (viii) The Registrar shall be appointed by the Vice-Chancellor on the advice of the Government by deputation or by transfer of a person from any Ayurvedic College recognized by the Central Council of India Medical of the State having minimum eleven years of teaching experience or five years of teaching experience as Reader and shall not be less than fifty years in age. Preference shall be given to a person having degree in law.

Other officers.

4. The following persons in the service of the University are also declared to be the officers of the University, namely:-

- (a) Proctor;
- (b) Chief Warden;
- (c) Dean of Students' Welfare, if any;
- (d) Dean, Academic Affairs;
- (e) Dean of Colleges;
- (f) Librarian;
- (g) Controller of Examination;
- (h) Finance Officer.

Appointment of other officers.

5. The Proctor, the Chief Warden, the Dean of Students' Welfare, Dean Academic Affairs shall be appointed by the Executive Council, on the recommendations of the Vice-Chancellor from amongst the teachers of the University, who shall not be below the rank of Professor, on such terms and conditions, as the Vice-Chancellor may recommend to the Executive Council:

Provided that the term of Dean, Academic Affairs shall be two years extendable by another one year, if deemed proper, by the Executive Council, on the recommendations of the Vice-Chancellor.

**6.** The Dean of Colleges, if any, shall be a whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Executive Council, on the recommendations of the Vice-Chancellor, on such terms and conditions, as may be prescribed by the Statutes. He shall discharge such duties, as may be assigned to him by the Vice-Chancellor, from time to time. Dean of colleges.

**7.** (1) The Finance Officer shall be a whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of the Selection Committee, on such terms and conditions, as may be prescribed by the Statutes. Finance Officer.

(2) The Finance Officer shall be ex-officio Secretary of the Finance Committee but shall not be deemed to be a member of such Committee.

(3) When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer is by reason of illness or any other cause is unable to perform the duties of his office, the duties of the officer shall be performed by such person, as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(4) The Finance Officer shall-

- (a) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise it as regards its financial policy; and
- (b) perform such other functions, as may be assigned to him by the Executive Council or as may be prescribed by the Statutes.

(5) Subject to the control of the Executive Council, the Finance Officer shall-

- (a) hold and manage the property and investments of the University including trust and endowed property;
- (b) ensure that the limits fixed by the Finance Committee for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted;
- (c) be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the University and for their presentation to the Executive Council;
- (d) keep a constant watch on the state of the cash and bank balances and on the state of investments;
- (e) watch the progress of the collection of revenue and advise on the method of collection to be employed;
- (f) ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipment are maintained up-to-date and that stock checking of equipment and other connected materials in all offices, special centers, specialized laboratories, colleges and institutions maintained by the University is conducted;
- (g) bring to the notice of the Vice-Chancellor any unauthorized expenditure and other financial irregularities and suggest action to be taken against the person responsible for it;
- (h) call for from any officer, centre, laboratory, college or institution maintained by the University, any information or returns that he may consider necessary for the performance of his duties.

(6) The receipt of the Finance Officer or of the person duly authorized in this behalf by the Executive Council for any money payable to the University shall be sufficient discharge for payment of such money.

**8.** (1) The Controller of Examinations, shall be whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Executive Council, on the recommendations of the Establishment Committee, on such terms and conditions, as may be prescribed by Executive Council. Controller of examinations.

(2) It shall be the duty of the Controller of Examinations-

- (a) to conduct examinations in a disciplined and efficient manner;
- (b) to arrange for the setting of papers with strict regard of secrecy;
- (c) to arrange for the evaluation of answer-sheets in accordance with the planned time schedule for results;

- (d) to constantly review the system of examinations in order enhance the level of impartiality and objectivity with a view to make it better instrument for assessing the attainments of students;
- (e) any other matter connected with the system of examinations which may, from time to time, be assigned to him by the Vice-Chancellor.

Librarian.

**9.** The Librarian shall be whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of the Establishment Committee on such terms and conditions, as may be prescribed by the Executive Council.

Court and its constitution.

**10.** (1) The Court shall consist of following members, namely:-

(a) Ex-Officio Members-

- (i) The Chancellor;
- (ii) Vice Chancellor;
- (iii) Pro Vice-Chancellor;
- (iv) Secretary to Government, Haryana, Finance Department, or in his absence, his nominee not below the rank of Joint Secretary;
- (v) Secretary to Government, Haryana, Health and Medical Education Department or in his absence, his nominee not below the rank of the Joint Secretary;
- (vi) Director General, AYUSH or his nominee not below the rank of Deputy Director, AYUSH;
- (vii) Director, AYUSH, Haryana;
- (viii) Dean of Faculties;
- (ix) Dean of Colleges;
- (x) The Registrar;
- (xi) Dean of Students' Welfare, if any;
- (xii) Controller of Examinations;
- (xiii) Dean of Academic Affairs;
- (xiv) Librarian;
- (xv) Finance Officer;

(b) Other members-

- (i) two members to be elected by the Haryana Legislative Assembly from amongst its members;
- (ii) professors of the University not exceeding ten on the basis of seniority by rotation;
- (iii) five teachers to be elected from amongst the readers and lecturers of the University of whom at least two shall be readers;
- (iv) one principal from the colleges admitted to the privileges of the University, on the basis of seniority, by rotation;
- (v) one principal to be elected from amongst themselves by the principals holding their posts in substantive capacity in Ayurvedic Colleges of the State;
- (vi) four teachers other than principals to be elected from amongst themselves by the teachers holding their posts in a substantive capacity in Ayurvedic colleges of the State:

Provided that not more than one teacher under this sub-clause, shall belong to any one college.

- (vii) Shri Krishna Ayush University Kurukshetra Students' Union two secretaries to be elected from amongst themselves by Secretaries of the Students' Union in Ayurvedic Colleges in the State for the period from the date of election till the 31st May of the academic year;

- (viii) fifteen representatives (ten from amongst eminent AYUSH academicians and five representatives from industry, commerce, medicine, engineering, law etc.) to be nominated by the Chancellor for a term of three years;
- (ix) one of the principals of colleges maintained by the University, by rotation for a term of three years;
- (x) two persons elected from amongst themselves by the representatives of the managements of non-Government colleges. The representatives of the managements shall be from amongst the members of the concerned management.

(c) The Registrar shall be Member-Secretary of the Court:

Provided that no salaried servant of the University, including its allied institutions, shall be eligible for election or nomination under any of the preceding sub-clauses except sub-clauses (ii) to (vi) and (x) and that if any person elected or nominated under any of the preceding sub-clauses except sub-clauses (ii) to (vi) and (x) is subsequently appointed to any salaried post in the University or its allied institutions, he shall cease to be a member of the Court:

Provided further that no person shall be eligible for nomination or election to the Court except under sub-clause (vii) unless he has attained the age of twenty-five years.

(2) Save as otherwise expressly provided, the members of the Court other than ex-officio members, shall hold office for a term of two years.

(3) At all meetings of the Court, two-fifths of the members shall form a quorum.

(4) If the required number of members for purposes of quorum is not present within half-an-hour after the appointed time of the meeting, the meeting shall not be held and the Registrar shall make a record of that fact.

(5) The method of election shall be by simple majority voting by ballot and the election shall be conducted in accordance with the rules framed by the Vice-Chancellor.

**11.** (1) The Court shall meet at least once a year on a date to be fixed by the Vice-Chancellor. Meetings of court.

(2) A special meeting of the Court may be convened at any time by the Chancellor, or the Vice-Chancellor on a written request by one-third of its members.

**12.** (1) The Executive Council shall consist of the following persons, namely:-

Executive council and its constitution.

I. Ex-officio-members-

- (i) The Vice-Chancellor;
- (ii) The Pro Vice-Chancellor;
- (iii) The Secretary to Government, Haryana, Finance Department, or in his absence, his nominee not below the rank of Joint Secretary;
- (iv) The Secretary to Government, Haryana, Health and Medical Education Department, or in his absence, his nominee not below the rank of the Director, AYUSH;
- (v) The Director General, AYUSH or in his absence, his nominee not below the rank of Deputy Director, AYUSH;

II. Other members-

- (a) two principals (other than the Deans of Faculties) of Ayurvedic colleges of the State, by rotation, on the basis of seniority by age;
- (b) two Deans of Faculties /Principals of college/institutions by rotation;

- (c) one out of the professors of the University Teaching Departments other than the Deans under sub-clause (a), by rotation for one year, on the basis of seniority;
- (d) one teachers of the University Teaching Departments other than professor by rotation on the basis of seniority;
- (e) two persons as the Chancellor's nominee from amongst distinguished educationists of national or international eminence or distinguished serving/retired civil servants;
- (f) one out of the Non Teaching employees of the University, by rotation for one year, on the basis of seniority.

(2) The Registrar shall be ex-officio Secretary of the Executive Council.

(3) Three-fifths of the members shall form a quorum.

(4) Save as otherwise expressly provided, the members of the Executive Council, other than ex-officio members shall hold office for a term of two years.

(5) Any member who ceases to hold the qualifications by virtue of which he was elected or nominated as member to the Executive Council shall cease to be a member thereof.

Decision of Executive Council.

**13.** Any decision of the Executive Council in the matters involving additional financial liability and those relating to the annual budget of the University shall hold good only if at least one representative of the Government is present at the time of taking such decision and has consented to that decision.

Power of Executive Council.

**14.** The Executive Council shall exercise the following powers, namely:-

- (a) to hold, control and administer the revenue, property and funds of the University;
- (b) to create teaching and academic posts, to determine the number and emoluments of such posts and to define the duties and conditions of service of professors, readers, lecturers and other academic staff and principals of colleges and institutions maintained by the University as per the Central Council of Indian Medicine:

Provided that in the matters of creation of new posts involving additional financial liability shall hold good only if the representative of the Government i.e. Finance Secretary or in his absence, his representative and Secretary, Health or in his absence his representative is present at the time of taking such decision and has consented to that decision:

Provided further that in case the Government representative from the Finance or Health Department is not present in two consecutive meetings even after the proper notice, then the Executive Council may approve the proposal regarding creation of posts:

Provided further that in respect of the number, qualifications and the emoluments of teachers and academic staff, the Executive Council shall take action after consideration of the recommendations of the Academic Council and the Finance Committee;

- (c) to appoint professors, readers, lecturers, other academic staff and principals of colleges and institutions maintained by the University, on the recommendations of the Selection Committee constituted for the purpose and to fill in temporary vacancies therein;
- (d) to create administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto, in the manner prescribed by the Statutes;
- (e) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose to appoint such agents, as it may think fit;
- (f) to invest any money belonging to the University including any unapplied income in such stocks, funds, shares or securities as it shall, from time to time think fit or in the purchase of immovable property in India with like powers of varying such investments from time to time;



- (g) to transfer or accept transfer of any movable and immovable property on behalf of the University;
- (h) to provide buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;
- (i) to select a common seal for the University;
- (j) to delegate any of its powers to the Vice-Chancellor, the Registrar or such other employee or authority of the University or to a committee appointed by it, as it may deem fit;
- (k) to enter into, vary, carry out, or cancel contracts on behalf of the University;
- (l) to make, amend or repeal the Statutes;
- (m) to make decisions regarding maintenance of discipline among students;
- (n) to exercise such other powers and perform such other duties, as may be conferred or imposed on the Executive Council by the Act or the Statutes or the Ordinances; and
- (o) to exercise all powers of the University not otherwise provided for by the Act, the Statutes, or the Ordinances.

**15.** The Academic Council shall consist of the following persons, namely:-

Academic Council  
and its constitution.

I. Ex-officio members-

- (i) The Vice-Chancellor;
- (ii) Pro Vice-Chancellor;
- (iii) Additional Chief Secretary, Health Department Haryana or Director, Medical Education and Research or in his absence, a nominee not below the rank of Deputy Director, AYUSH;
- (iv) The Registrar;
- (v) The Dean of Faculties;
- (vi) The Dean, Students' Welfare, if any;
- (vii) The Dean, Academic Affairs;
- (viii) The Dean of Colleges;
- (ix) The Chairpersons of the Departments;
- (x) The Chief Warden of University Hostels;
- (xi) The Proctor;
- (xii) The Controller of Examinations, if any;
- (xiii) The Librarian of the University Library;
- (xiv) One out of the principals of colleges maintained by the University, by rotation, provided that he is not a member of the Executive Council;
- (xv) Professor(s) Emeritus appointed by the University/Emeritus Fellow appointed by the University Grants Commission (but without having right to vote or seek election).

II. Other members-

- (i) one professor appointed by the University from each Department, by rotation, on the basis of seniority;
- (ii) three educationists of national or international eminence to be nominated by the vice-chancellor, from outside the University, provided that not more than one of them shall be from the same field;

III. (i) The Registrar shall be the Member-Secretary of Academic Council;

- (ii) three-fifths of the members shall form a quorum;
- (iii) save as otherwise expressly provided, the members of the Academic Council, other than ex-officio members, shall hold office for a term of two years;
- (iv) the method of election shall be by simple majority voting by ballot and the elections shall be conducted in accordance with the rules framed by the Vice-Chancellor.

Powers of Academic Council.

- 16.** (1) The Academic Council shall exercise the following powers, namely :-
- (a) to exercise general supervision over the academic policies of the University and to give directions regarding methods of instruction, co-operative teaching among colleges and institutions, evaluation of research or improvements in academic standards;
  - (b) to consider matters of general academic interest either on its own initiatives or on a reference by the Chancellor, the Vice-Chancellor, the Executive Council or a Faculty and to take appropriate action thereon;
  - (c) to recommend to the Executive Council, the creation and abolition of teaching posts;
  - (d) to prescribe syllabi and courses of study for various examinations on the recommendations of the faculties;
  - (e) to frame such regulations consistent with the Statutes and Ordinances regarding the academic functions of the University, discipline, residence, admissions, awards of fellowships, studentships, scholarships, medals and prizes, fee concessions, corporate life and attendance; and
  - (f) to exercise such other powers and perform such other duties, as may be conferred or assigned to the Academic Council by this Act, the Statutes, or the Ordinances.

(2) All decisions of the Academic Council concerning syllabi, courses of studies and conducting of examinations in so far as they are not provided for by the Statutes and Ordinances shall be final.

Composition of Finance Committee.

- 17.** (1) The Finance Committee shall consist of the following persons, namely:-
- (I) Ex-officio members-
    - (a) the Vice- Chancellor (Chairperson);
    - (b) the Pro Vice-Chancellor;
    - (c) the Secretary to Government, Haryana, Finance Department or in his absence, his nominee not below the rank of Joint Secretary;
    - (d) the Secretary to Government, Haryana, Health Department or in his absence, his nominee not below the rank of the Director, AYUSH;
  - (II) Other members –
    - (a) Two outside member having expertise in finance to be nominated by the Chancellor on the recommendation of the Vice- Chancellor;
    - (b) Two Deans of Faculties to be nominated by the Vice-Chancellor.
- (2) The Registrar shall be the Member- Secretary of the Committee.
- (3) Nominated members of the Finance Committee shall hold office for a term of two years.
- (4) Five members, out of whom at least two members shall be a Government nominee, shall form the quorum.

Functions and powers of Finance Committee.

**18.** (1) The Finance Committee shall examine the accounts and scrutinize the proposals for expenditure and shall submit the annual budget to the Executive Council for approval. No expenditure in the budget shall be incurred by the University without the prior approval of the Finance Committee which shall fix limits for the total recurring and non- recurring expenditure for the year based on the resources and the income of the University. No expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits so fixed.

(2) It shall examine and recommend to the Executive Council the creation of teaching and other posts.

(3) The annual accounts and the official estimate of the University shall be laid before the Finance Committee for its consideration and comments thereon and thereafter submitted to the Executive Council for approval.

- 19.** There shall be the following Faculties, namely:- Faculties.
- (1) Faculty of Ayurveda;
  - (2) Faculty of Yoga and Naturopathy;
  - (3) Faculty of Unani;
  - (4) Faculty of Sidha;
  - (5) Faculty of Homeopathy;
  - (6) such other faculty, as the Executive Council on the recommendation of Academic Council may prescribe by the Statutes.
- 20.** (1) Each Faculty shall consist of – Constitution of Faculties.
- (i) Dean of the Faculty (Chairperson);
  - (ii) Chairman of the Departments included in that Faculty;
  - (iii) One professor from each Department on the basis of seniority by rotation;
  - (iv) One reader and one lecturer appointed or recognized by the University in the Departments included in the Faculty by rotation according to seniority;
  - (v) Two principals of Ayurvedic colleges admitted to the privileges of the University on the basis of seniority by rotation.
- (2) Members nominated shall hold office for a period of two years:  
 Provided that the Executive Council, at the request of the Academic Council, may increase the number of members of a Faculty.
- (3) The Registrar shall be the Secretary of every Faculty.
- (4) Two-fifths of the members in each Faculty shall form the quorum.
- 21.** (1) There shall be a Dean of each Faculty who shall be appointed by the Vice Chancellor. The Dean shall be appointed in rotation on the basis of seniority amongst the professors in various Departments comprising the Faculty: Deans of Faculties.
- Provided that a professor appointed as Dean shall get his next turn after all the professors in the Faculty have been appointed as Dean in order of their seniority:
- Provided further that in case there is no professor in the Faculty, the Dean shall be appointed from amongst the readers in the concerned Departments.
- (2) Suitable remuneration shall be attached to the office of the Dean who shall hold office for a term of two years.
- (3) The Dean shall convene meetings of the Faculty and shall preside over them.
- (4) The Dean shall be responsible for the co-ordination of teaching therein and the execution of the decisions of the Faculty.
- (5) The Dean shall have the right to be present and to take part in discussion at any meeting of committee of the Faculty.
- 22.** Subject to control of the Academic Council, the powers of the Faculty shall be- Powers of Faculty.
- (a) to co-ordinate teaching and research work of the University in the Departments assigned to the Faculty;
  - (b) to recommend to the Academic Council courses of studies and syllabi for the different examinations after necessary report from the Boards of Studies;
  - (c) to receive reports from the Departments for the creation and abolition of posts and to forward them to the Academic Council with such recommendations, as it may consider reasonable;
  - (d) to discuss and suggest to the Academic Council, schemes for the advancement of standards of teaching and examinations; and
  - (e) to deal with any matter that may be referred to it by the Academic Council or the Vice-Chancellor or the Dean of the Faculty.

Chairperson of  
Department.

**23.** (1) Each teaching department shall have a Chairperson who shall be appointed by the Vice-Chancellor for a period of three years by rotation:

Provided that-

- (a) if a Department has two or more professors, the Chairpersonship shall rotate by seniority only among the professor; provided that a professor appointed as Chairman shall get his next turn after all the professors in the Department have been appointed as Chairperson in order of their seniority ;
- (b) if a Department has only one professor, the Chairpersonship shall rotate between the professor and the senior-most Reader;
- (c) if a Department has no Professor, the Chairpersonship shall rotate between the two senior-most Readers;
- (d) the Vice-Chancellor, if he considers it necessary for any administrative reason, may deviate from the principle of seniority, in which case he shall report the matter to the Executive Council at its next meeting .

(2) In the case of a Department where no teacher is eligible for appointment as Chairperson or for such Departments where instruction is imparted only upto the under-graduate level in the colleges, the Dean of the concerned Faculty shall be the Chairperson.

(3) In case a senior person is on long leave, the next eligible person shall be appointed as Chairperson of the Department and he shall continue as such till the completion of his term, even if the senior person returns from leave during that period. However, the senior person shall be eligible for appointment as Chairperson after the expiry of the term of the present incumbent.

(4) In case the Chairperson of the Department by reason of illness, absence or any other cause, is unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by the next eligible person, unless, the Vice- Chancellor orders otherwise.

(5) In case a person refuses to accept the offer of appointment as Chairperson or resigns on his own, he shall not be eligible for appointment as Chairperson of the Department till his turn comes again after the completion of the rotation circle among the eligible teachers.

(6) If the Vice- Chancellor deems it necessary, he may appoint the next eligible person as Chairperson irrespective of the fact that the term of the present Chairperson has not yet expired, in such case, he shall report the matter to the Executive Council at its next meeting.

Appointments.

**24.** (1) All appointments to teaching posts shall be made by the Executive Council on the recommendations of the Selection Committee.

(2) Appointments to Group A posts (non-teaching/technical) shall be made by the Executive Council, on the recommendation of the Establishment/Selection Committee.

- (3) (i) Appointments to posts other than Group A shall be made by the Vice-Chancellor after complying with the due procedure laid down in the rules or orders.
- (ii) Appointments on daily wages in respect of Group C and D employees shall be made by the Registrar after complying with the due procedure laid down in the rules or orders;

(4) Notwithstanding anything contained in clauses (1), (2) and (3) above, the Vice-Chancellor may, where he considers necessary, make an adhoc or temporary appointment for a period not exceeding six months, if it is not possible or desirable to make regular appointment. Where the appointing authority is the Executive Council, the decision taken by the Vice-Chancellor shall be reported to the Executive Council in its next meeting.

**25.** (1) A Selection Committee for any appointment of Professor/ Reader/ Lecturer specified below shall consist of – Selection Committee.

- (i) The Vice-Chancellor;
- (ii) The Dean of the Faculty;
- (iii) The Chairperson of the Department concerned, if he is a Professor ;
- (iv) The senior-most Professor in the Department except where otherwise decided by the Vice- Chancellor;
- (v) Three persons not connected with the University, nominated by the Vice-Chancellor from a panel of names drawn up by the Academic Council on the basis of their special knowledge of , or interest in the subject with which the person is concerned :

Provided that the Vice- Chancellor may add more names to the panel in special circumstances and report these to the Academic Council at its next meeting.

- (vi) A nominee of the Chancellor.

(2) The panel names drawn up by the Academic Council and the additions, if any, made thereto by the Vice-Chancellor, as provided in the Statutes, shall be subject to approval of the Chancellor for a period of two years from the date of issue of the orders:

Provided that in case one of the experts fails to turn up at Selection Committee, after accepting the invitation to attend the same, the proceedings of the meeting shall not be invalidated:

Provided further that the proceedings of the meetings of a Selection Committee shall not be invalidated in case of any of the ex- officio members of the Selection Committee fails to attend the meeting.

(3) The Vice- Chancellor shall preside over at the meetings of a Selection Committee and the Registrar shall act as its Secretary. The meeting of a Selection Committee shall be convened by or under the directions of the Vice-Chancellor.

(4) The Selection Committee shall consider and submit to the Executive Council the recommendations as to the appointment referred to it. If the Executive Council is unable to accept the recommendations made by the Committee, it shall record its reasons and submit the case to the Chancellor for final orders.

**26.** The constitution of the Establishment Committee shall be such as determined by the Ordinances. Establishment Committee.

**27.** (1) The Academic Planning Board shall consist of – Constitution and functions of Academic Planning Board.

- (a) the Vice- Chancellor;
- (b) not more than seven persons of high standing on education who shall be appointed by the Chancellor on the recommendations of the Vice-Chancellor for a term of two years;
- (c) the Registrar, who shall be the Secretary to the Board.

(2) The recommendations of the Board shall be implemented after they are approved by appropriate authorities of the University.

(3) It shall advise on the planning and development of the University particularly in respect of the standards of education and research in the University.

**28.** Convocation of the University for conferring of degrees and for other purposes shall be held in such manner, as may be laid down by the Executive Council from time to time, by means of an Ordinance: Convocation.

Provided that every proposal to confer an honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.

**29.** There shall be University Teaching Departments duly created by the Academic Council on the recommendation of the Vice- Chancellor in the various Faculties of the University. Departments.

Assignment of  
Department of Studies  
to Faculties.

**30.** The Departments of Studies shall be assigned to various Faculties by the Academic Council on the recommendation of the Vice- Chancellor.

Board of Studies.

**31.** (1) Every Department included in a Faculty, shall have two Boards of Studies, one for under- graduate studies and the other for post- graduate studies and research.

(2) The Board of under-graduate studies shall consists of-

- (i) the Chairperson of the Department;
- (ii) one professor appointed or recognized by the University in the Department, to be nominated by the Vice-Chancellor, by rotation, according to seniority;
- (iii) one reader and one lecturer appointed or recognized by the University in the Department, to be nominated by the Vice- Chancellor, according to seniority;
- (iv) six teachers (including principals) of under-graduate courses from the Ayurvedic colleges in the subject concerned, to be nominated by the Vice- Chancellor, by rotation, according to seniority, to be determined by the length of under- graduate teaching experience ensuring that there is not more than one such member from any one college:

Provided that no such teacher shall be nominated for two consecutive terms:

Provided further that a teacher who has been nominated as a member of the Faculty shall not be nominated under this sub-clause.

- (v) two outside experts to be nominated by the Vice- Chancellor on the recommendation of the Chairperson of the Department:

Provided that the Executive Council at the request of the Academic Council may increase the number of members of a Board of under-graduate studies, under sub-clause (iv) above.

(3) The Board of post-graduate Studies and Research shall consist of-

- (i) the Chairperson of the Department;
- (ii) all the professors appointed or recognized by the University in the Department;
- (iii) two readers and two lecturers appointed or recognized by the University in the Department to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation according to seniority;
- (iv) two teachers including the Heads of the Post- Graduate Departments in Ayurvedic colleges admitted to the privileges of the University in the subject concerned with at least ten years teaching experience, out of which five years shall be as a Post-Graduate Degree teacher, to be nominated by the Vice-Chancellor, by rotation according to seniority to be determined by the length of post- graduate teaching experience:

Provided that if the number of Ayurvedic colleges having Post-Graduate Department is more than six, then one more teacher of the subject concerned shall be nominated but not more than one such member shall be from the same college.

- (v) two outside experts to be nominated by the Vice-Chancellor, on the recommendation of the Chairman of the Department:

Provided that the Executive Council at the request of the Academic Council, may increase the number of members of a Board of post-graduate studies under sub-clause (iv) above.

- (4) (i) The Board of under-graduate studies shall recommend to the Academic Council, through the Faculty concerned, courses and syllabi of studies and text books for the various subjects for under-graduate courses and the Board of post-graduate studies shall make such recommendations in respect of the courses for Post-Graduate classes and Research Degrees.

- (ii) The Boards of Studies shall also make recommendations to the Academic Council, regarding the appointments of paper setters and examiners for the under-graduate or the post-graduate courses, as the case may be.
- (iii) The Board of Studies shall deal with any other matter that may be referred to them by the Faculty. The Chairperson of the Department shall be the Chairperson of the Board. Members, other than ex- officio members, shall hold office for a term of two years:

Provided that a person whose book or any other publication is to be the subject of consideration before the Board, shall not be attached to the Board:

Provided further that a person who, in one way or the other, is involved in publication of cheap notes, guides or help books shall not be eligible to be a member of a Board of Studies.

- 32.** A degree, diploma, certificate and other academic distinctions may be withdrawn by the University-
- (a) if the candidature of the person concerned has been cancelled or result quashed in accordance with the manner laid down by the Act; or
  - (b) if the candidate has misbehaved at a convocation of the University; provided that the question whether a person has misbehaved in terms of this Statute shall be finally decided by the Vice- Chancellor; or
  - (c) when sufficient evidence is laid before the Academic Council showing that any person on whom a degree or diploma etc. was conferred by the University has been convicted of what is in their opinion a serious offence, the Academic Council may recommend to the Executive Council that such a degree or diploma be cancelled.
- Withdrawal of degree/diploma etc.
- 33.** Approval, recognition to a teacher may be withdrawn by the University-
- (a) if the teacher fails to perform duties in accordance with the manner laid down by the Ordinances;
  - (b) if sufficient evidence is laid before the Executive Council that the teacher has committed an act which in their opinion is a serious offence, the Executive Council may withdraw approval, recognition of the teacher.
- Withdrawal of approval, recognition of teachers.
- 34.** The University shall provide for the benefits of its officers, teachers and other employees, gratuity, ex- gratia grant etc. on the pattern of the Government.
- Gratuity, ex-gratia grant etc.
- 35.** The number and value of fellowships, scholarships, medals and prizes to be awarded shall be determined by the Executive Council either on its own initiative or on the recommendations of the Academic Council or the Finance Committee.
- Fellowship, scholarship, medals and prizes.
- 36.** (1) Notwithstanding anything contained in these Statutes, a person, who is a member of any authority or body of the University in his capacity as a member of a particular authority or body or as a holder of particular appointment, shall hold office so long only as he continues to be a member of that particular authority or body or the holder of that particular appointment, as the case may be:
- Limitation of terms of membership.
- Provided that teacher-member of any authority or body of the University who resigns his services or proceeds on leave for six months or more shall cease to be a member of the respective body and a substitute shall be appointed. If the period of his leave is less than six months, his membership shall be held in abeyance till his return or the expiry of the period of six months, whichever is later. No substitute member shall be appointed or elected, where the membership is held in abeyance.
- (2) If a teacher is on leave for a period of six months or more, he shall not be eligible for nomination or re-election for that particular vacancy. He shall, however, be eligible for nomination or election in a vacancy which may arise after his return from leave.

Termination of membership etc.

**37.** Notwithstanding anything contained in these Statutes or the Ordinances of the University, no person, who has been convicted of any offence involving moral turpitude or has been dismissed for misconduct from a Government or Semi-Government institution or from a University or an educational institution of any kind, shall be eligible to become, or to continue as a member of any authority of the University or of any committee appointed by the University. A person under suspension shall not be allowed to sit in any meeting of the above authorities or committees during the period of his suspension.

Disqualification of membership.

**38.** If a person is debarred by the Academic Council from any work of the University on account of any kind of malpractice on his part in connection with a University examination, such a person shall be disqualified to become, or to continue as a member of any body or authority of the University so long as the bar lasts.

Delegation of administrative and financial powers to the officers/teachers/employees.

**39.** (1) The officers, teachers and other employees of the University may exercise, subject to the control of the Vice-Chancellor and the superior officers concerned, such administrative and/ or financial powers, as the Executive Council may delegate through Ordinances or Rules or Regulations or by resolutions adopted by it.

(2) The Vice-Chancellor or the Registrar with the approval of the Vice-Chancellor may delegate to an officer, teacher or any other employee of the University such powers, as he considers necessary, which have been vested in them by the Statutes, Ordinances and Regulations.



**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Presently in the State of Haryana, there is only one Government Ayurvedic College i.e. Shri Krishna Government Ayurvedic College, Kurukshetra and there is no Government College for Homeopathy, Unani, Siddha, Yoga and Naturopathy. Further, there is no Post Graduate Institution in the State to impart Higher Education in the above said field of Ancient Medical Science.

So, keeping in view the importance, affectivity and utility of these Ancient Therapies, there is, an inevitable requirement of a University for affiliation, management and the control of various colleges/institutions, there curriculum for various courses including UG/PG and certificate courses and to conduct examinations and awarding degree/ diploma and promote research for advancement and development of AYUSH System.

The establishment of the Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra will be beneficial for human beings and people of Haryana in particular.

ANIL VIJ,  
Health Minister, Haryana.

Chandigarh:  
The 25th August, 2016.

R. K. NANDAL,  
Secretary.

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Clause 25 of the proposed Bill provides for the delegation of powers vested in the authorities or officers of the University, Clause 26 of the proposed bill empowers the Executive Council to frame the Statutes with the approval of Chancellor. Clause 28 of the proposed bill delegates the power to the Executive Council to frame the Ordinances. Similarly, Clause 29 of the bill delegates the powers to the authorities of the University to make regulations to carry out the purposes of the Act. This delegation of power to the authorities is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rule of the Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2016 का विधेयक संख्या 23—एच०एल०ए०

श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विधेयक, 2016  
 आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होमियोपैथि  
 चिकित्सा पद्धति में अध्यापन तथा सम्बद्ध के प्रयोजन और उचित तथा  
 सुव्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान को सुनिश्चित करने  
 के लिए तथा इन और संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता भी प्राप्त  
 करने के लिए तथा श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय,  
 कुरुक्षेत्र के प्रशासन के लिए राज्य में विश्वविद्यालय  
 स्थापित तथा निगमित करने हेतु  
 विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।
- (2) यह तुरन्त लागू होगा।
2. इस अधिनियम में तथा इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
  - (क) "शैक्षणिक पाठ्यक्रम" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय द्वारा विहित पाठ्य विवरण तथा पाठ्यचर्या के अनुसार आयुष के किसी शिक्षण में कोई अध्ययन पाठ्यक्रम;
  - (ख) "सम्बद्ध महाविद्यालय" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त कोई महाविद्यालय या संस्था;
  - (ग) "आयुष" से अभिप्राय है, निवारक, प्रोत्साहक, रोगनाशक तथा पुनर्वासन सेवाओं से संबंधित सभी शाखाओं सहित आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होमियोपैथि;
  - (घ) "आयुष पाठ्यक्रम" से अभिप्राय है, आयुष की सभी शाखाओं का पाठ्यक्रम अर्थात् प्री-क्लीनिकल, पैरा-क्लीनिकल, क्लीनिकल, पैरा-मैडिकल तथा ऐसे अन्य पाठ्यक्रम, जो उपाधि या उससे ऊपर या उपाधि-पत्र स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा विहित किए जाएं;
  - (ङ) "महाविद्यालय" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों द्वारा अनुरक्षित, या अनुमति प्राप्त कोई महाविद्यालय;
  - (च) "विभाग" से अभिप्राय है, आयुष या उससे सहबद्ध किसी शिक्षण में अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा देने के प्रयोजन के लिए स्थापित कोई इकाई;
  - (छ) "कर्मचारी" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा सभी अन्य अमला भी शामिल हैं;
  - (ज) "सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;
  - (झ) "विभागाध्यक्ष" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय, किसी संस्था या सम्बद्ध महाविद्यालय में संबंधित विशिष्ट/अति-विशिष्ट/विषय/शिक्षण में वरिष्ठतम संकाय सदस्य/अध्यापक;
  - (ञ) "होमियोपैथि" से अभिप्राय है, डाक्टर हाहनेमन द्वारा स्थापित होमियोपैथि चिकित्सा पद्धति तथा इसमें शामिल है डाक्टर सस्लर द्वारा स्थापित जीव-रसायन विज्ञान की सहबद्ध पद्धति;
  - (ट) "छात्रावास" से अभिप्राय है, छात्रों के लिए निवास की कोई इकाई;
  - (ठ) "संस्था" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों द्वारा अनुरक्षित, या से अनुमति प्राप्त विश्वविद्यालय न होते हुए, कोई शैक्षणिक संस्था;
  - (ड) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा विहित;

- (ढ) "प्रधानाचार्य" से अभिप्राय है, किसी महाविद्यालय या संस्था का अध्यक्ष तथा इसमें शामिल है, जब कोई प्रधानाचार्य नहीं है, तो ऐसे रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त उप-प्रधानाचार्य तथा प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में, प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक् रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति ;
- (ण) "मान्यताप्राप्त अध्यापक" से अभिप्राय है, ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था में विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया गया है;
- (त) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;
- (थ) "सिद्धा" से अभिप्राय है, चिकित्सा पद्धति, जो मूल रूप में प्रकृति चिकित्सीय है;
- (द) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;
- (ध) "परिनियमों", "अध्यादेशों" तथा "विनियमों" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम;
- (न) "विद्यार्थी" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से संस्थित उपाधि, उपाधि-पत्र या विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियां अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या इसके सम्बद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं में से किसी एक में पंजीयत कोई व्यक्ति;
- (प) "यूनानी" से अभिप्राय है, स्वास्थ्य के उन्नयन तथा रोगों के निवारण से संबंधित यूनानी चिकित्सा पद्धति;
- (फ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन यथा निगमित श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र;
- (ब) "विश्वविद्यालय अध्यापक" से अभिप्राय है, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य तथा ऐसा अन्य व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षण देने या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया जाए तथा अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया गया है ;
- (भ) "योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा" से अभिप्राय है, पतंजलि ऋषि द्वारा स्थापित कोई जीवन मार्ग तथा इसमें शामिल है हवा, प्रकाश, जल तथा भूमि द्वारा स्वस्थ करने का प्राकृतिक मार्ग।

निगमन ।

3. (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति तथा प्रति-कुलपति तथा संसद, कार्य परिषद् तथा शिक्षा परिषद् के सदस्यों और सभी व्यक्तियों, जो इसके बाद, ऐसे सदस्यों अथवा अधिकारियों के रूप में बनें या नियुक्त किए जाएं, जब तक वे ऐसी सदस्यता पर या पद पर बने रहें, से मिलकर श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के नाम से निगमित निकाय बना रहेगा ।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उसे सम्पत्ति अर्जित, धारण तथा व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी, और वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा या उस पर उक्त नाम से वाद चलाया जा सकेगा ।

शक्तियों का क्षेत्रीय प्रयोग ।

4. (1) क्षेत्र की सीमायें जिनके भीतर विश्वविद्यालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा ऐसी होंगी, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट करे:

परन्तु भिन्न-भिन्न संकायों के लिए भिन्न-भिन्न क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं ।

(2) उस समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित कोई महाविद्यालय ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाये, से विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से सहयुक्त तथा अनुमति प्राप्त समझा जायेगा तथा वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य विश्वविद्यालय के किन्हीं विशेषाधिकारों से सहयुक्त या अनुमति प्राप्त नहीं रहेगा तथा भिन्न-भिन्न महाविद्यालयों के लिये भिन्न-भिन्न तिथियां अधिसूचित की जा सकती हैं:

परन्तु-

- (i) उक्त तिथि से पूर्व अन्य विश्वविद्यालय से सहयुक्त या अनुमति प्राप्त किसी महाविद्यालय का कोई विद्यार्थी, जो उस विश्वविद्यालय की किसी उपाधि या उपाधि-पत्र परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा था, उसकी तैयारी के संबंध में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा और विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के लिये, उस विश्वविद्यालय में लागू अध्ययन के पाठ्यचर्या के अनुसार, ऐसी अवधि, जो विहित की जाए, के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा;

- (ii) कोई ऐसा विद्यार्थी, जब तक कोई ऐसी परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नहीं की जाती है, अन्य विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट किया जा सकता है और उसे उस विश्वविद्यालय की ऐसी उपाधि, उपाधि-पत्र या कोई अन्य विशेषाधिकार प्रदत्त किया जा सकता है, जिसके लिए वह ऐसी परीक्षा के परिणाम पर अर्हता प्राप्त करता है ।

(3) विश्वविद्यालय, स्वयं या फ्रैंचाइज या अभिकरण के माध्यम से कोई ऑफ कैम्पस केन्द्र तथा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं करेगा या नहीं खोलेगा:

**व्याख्या.—** इस उपधारा के प्रयोजन हेतु,—

- (i) "ऑफ कैम्पस केन्द्र" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय की सुविधाओं, संकाय तथा अमले के पूरक रखने वाला, इसकी संघटक इकाई के रूप में, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित तथा अनुरक्षित मुख्य कैम्पस से बाहर, इसके द्वारा, किसी भी नाम से ज्ञात, स्थापित कोई केन्द्र; तथा
- (ii) "अध्ययन केन्द्र" से अभिप्राय है, दूरस्थ शिक्षण के संदर्भ में विद्यार्थियों द्वारा अपेक्षित मंत्रणा, परामर्श या कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी नाम से ज्ञात, स्थापित तथा अनुरक्षित या मान्यताप्राप्त कोई केन्द्र ।

5. (1) श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कुरुक्षेत्र इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से विश्वविद्यालय को अंतरित हो जायेगा ।

श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का विश्वविद्यालय को अंतरण ।

(2) उससे संबंधित सभी सम्पत्तियां तथा आस्तियां, जो उक्त अंतरण के समय पर विद्यमान थी, के साथ-साथ उसमें कोई वृद्धि तथा सहायक सरकार से अंतरित हो जायेगी तथा विश्वविद्यालय में निहित हो जाएगी ।

(3) राज्य औषधि फार्मसी तथा राज्य औषधि जांच प्रयोगशाला से संबंधित भूमि और भवन को छोड़कर श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कुरुक्षेत्र से संबंधित सभी सम्पत्तियां तथा आस्तियां, जो उक्त अंतरण के समय पर विद्यमान थीं, के साथ-साथ उसमें कोई वृद्धि तथा सहायक, चाहे सरकार से अनुदानों या अन्यथा से अर्जित या सृजित की गई हैं तथा महाविद्यालय द्वारा इसके लेखा में, चाहे किसी बैंक में जमा हो या अन्यथा से कोई नकद अतिशेष महाविद्यालय से अंतरित हो जायेगा तथा विश्वविद्यालय में निहित हो जाएगा ।

(4) महाविद्यालय के किन्हीं मामलों के संबंध में उत्पन्न या प्रोद्भूत या उपगत सरकार, संविदात्मक या अन्यथा के सभी अधिकार, शक्तियां तथा विशेषाधिकार, कर्तव्य, ऋण, दायित्व तथा बाध्यताएं विश्वविद्यालय को अंतरित हो जायेंगी ।

(5) पूर्वगामी खण्डों के अधीन अंतरित चाहे कोई आस्ति या दायित्व के संबंध में कोई संदेह या भिन्नता हो, सरकार को निर्दिष्ट की जायेगी, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा ।

(6) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या के बाद की गई या निष्पादित कोई विल, विलेख या अन्य दस्तावेजों के सभी संदर्भ, जो श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कुरुक्षेत्र के प्रयोजन के लिए सरकार के पक्ष में कोई वसीयत, उपहार, विन्यास या न्यास रखता है, तो विश्वविद्यालय को अंतरित हो जायेगा ।

(7) श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र का कोई विद्यार्थी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक की किसी परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा था उस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में उसका शैक्षणिक वर्ष निरन्तर रहेगा तथा उसकी तैयारी के संबंध में उसके पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा तथा परीक्षा में दाखिल किया जायेगा ।

(8) भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् के लिए पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा चयनित संकाय के सदस्य उनकी अपनी-अपनी अवधि की समाप्ति तक निरन्तर बने रहेंगे ।

6. धारा 4 के फलस्वरूप विश्वविद्यालय को अंतरित सम्पत्तियां, आस्तियां तथा अधिकार प्रयोजनों, जिनके लिए वे इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व उपयोग किए जा रहे थे या उपयोग किए जाने के लिए आशयित थे, निरन्तर उपयोग किए जायेंगे ।

आस्तियों इत्यादि का उपयोग ।

अप्राधिकृत संस्थाओं द्वारा उपाधियों, उपाधि पत्रों या प्रमाण पत्रों को प्रदत्त करने, अनुदत्त करने, या जारी करने पर वर्जन।

7. (1) इस अधिनियम तथा उस समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय से भिन्न कोई भी व्यक्ति या संस्था, विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उसको सौंपे गए ज्ञान के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कोई उपाधि, उपाधि-पत्र या प्रमाण-पत्र प्रदत्त, अनुदत्त या जारी नहीं करेगा/करेगी, या स्वयं को कोई ऐसी उपाधि, उपाधि-पत्र या प्रमाण-पत्र प्रदत्त, अनुदत्त या जारी करने के लिए हकदारी प्रकट नहीं करेगा/करेगी, जो उस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त, अनुदत्त या जारी की गई किसी उपाधि, उपाधि-पत्र या प्रमाण-पत्र के समरूप हो या उसकी मिलती-जुलती नकल का हो।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन तीन वर्ष से अनधिक के कारावास या एक लाख रुपये से अनधिक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय सज़ेय अपराध होगा।

(3) जहाँ इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी संस्था द्वारा किया गया हो, तो वहाँ अपराध किए जाने के समय, संस्था के कार्य के संचालन के लिए इसका कार्यभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, अपराध के दोष के रूप में समझा जायेगा और विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होगा।

(4) उप-धारा (3) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस धारा के अधीन किया गया अपराध किसी संस्था द्वारा किया गया हो तथा यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध संस्था के किसी भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, अथवा अपराध का किया जाना उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जाता है, वहाँ ऐसा भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोष के रूप में समझा जायेगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के लिए दायी होगा।

**व्याख्या.—** इस धारा के प्रयोजन के लिए "संस्था" से अभिप्राय है, कोई निगमित निकाय और इसमें शामिल है कोई फर्म या अन्य व्यक्ति संगम।

विश्वविद्यालय की शक्तियां तथा कृत्य।

8. विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

- (क) विद्या की ऐसी शाखाओं जिन्हें विश्वविद्यालय ठीक समझे में अनुसंधान तथा शिक्षण के लिए व्यवस्था करना, तथा विद्या और ज्ञान के प्रसार के अभिवर्धन लिए ऐसे कदम उठाना जो वह आवश्यक समझता है ;
- (ख) परीक्षाएं आयोजित करना तथा व्यक्तियों, जो परिनियमों, अध्यादेशों अथवा विनियमों में अधिकथित किए जाएं, को ऐसी उपाधियां, उपाधि-पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियां या मानोपाधियां प्रदान करना;
- (ग) अनुमोदित व्यक्तियों को परिनियमों में अधिकथित की गई रीति में सम्मानिक उपाधियां अथवा विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियां प्रदत्त करना;
- (घ) पुरस्कार, पदक, अनुसंधान, अध्ययन-वृत्तियां, छात्र-सहायता वृत्तियां तथा अध्येता-वृत्तियां संस्थित करना;
- (ङ) सरकार से उपहार, दान या धर्मदान प्राप्त करना तथा अंतरकों, दाताओं, वसीयतकर्ताओं, जैसी भी स्थिति हो, से चल या अचल सम्पत्ति के उपहार, दान तथा अन्तरण प्राप्त करना; और विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए इस प्रकार प्राप्त दानों से कायिक निधि का सृजन करना;
- (च) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित प्रधानाचार्य पद, आचार्य पद, सह-आचार्य पद, सहायक आचार्य पद संस्थित करना और किसी किस्म के अन्य पद सृजित करना और ऐसे पदों पर व्यक्ति नियुक्त करना;
- (छ) भारत तथा विदेश में, विश्वविद्यालय के समान उद्देश्य रखने वाली उन शिक्षा संबंधी तथा अन्य संस्थाओं को ऐसी रीति में सहयोग देना जो उनके सामूहिक लक्ष्यों में सहायक हों;
- (ज) ऐसे व्यक्तियों, जो विश्वविद्यालय के सदस्य न हों, के लिए पत्राचार शिक्षा तथा ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों सहित शिक्षण की व्यवस्था करना, जो वह अवधारित करे;
- (झ) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यक्तियों को मान्यता देना;
- (ञ) आयुष शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य में अवस्थित महाविद्यालयों को अनुरक्षित करना;
- (ट) किसी महाविद्यालय, संस्था या विभाग को स्वायत्त महाविद्यालय या संस्था या विभाग, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में घोषित करना;
- (ठ) सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना;

- (ड) विश्वविद्यालय के तथा विश्वविद्यालय की अधिकारिता के भीतर महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के विद्यार्थियों के निवास, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा विनियमन करना;
- (ढ) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या उसमें निहित किसी सम्पत्ति की कार्यवाही, ऐसी रीति जो विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए ठीक समझे, में करना;
- (ण) अल्प तथा दीर्घकालिक दोनों के आधार पर, विषयों, विशेष क्षेत्रों, शिक्षा स्तरों तथा मानव शक्ति के प्रशिक्षण के अनुसार राज्य तथा देश की जरूरतों का मूल्यांकन करना तथा उन जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम आरम्भ करना;
- (त) विद्या की ऐसी शाखाएं, जो विश्वविद्यालय उचित समझे, में प्रवृत्तियों के गहन ज्ञान पर आधारित उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान कार्यक्रमों को आयोजित करना;
- (थ) ऐसे अनुसंधान, रूपांकन (डिजाईन) तथा विकासात्मक क्रियाकलापों को उन्नत करना जो सामाजिक जरूरतों तथा राज्य के विकास कार्यक्रमों से संबंध रखते हों;
- (द) पूरक सुविधाएं देने के लिए उद्योगों तथा सरकारी कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उपाय प्रारम्भ करना;
- (ध) ज्ञान देने, प्रशिक्षण का आयोजन करने तथा पाठ्य-पुस्तकों तथा अन्य शिक्षा संबंधी सामग्रियों को तैयार करने में निरन्तर प्रयोग का प्रबंध करना;
- (न) शिक्षात्मक उपायों में विषयों के निरन्तर मूल्यांकन तथा पुनः अनुकूलन के उत्तरोत्तर प्रवेश के लिए प्रबंध करना;
- (प) अपने विद्यार्थियों में उद्यम संबंधी योग्यता को बढ़ावा देना;
- (फ) विद्या की प्रगति तथा ज्ञान के प्रसार के लिए आवश्यकता तथा अवसरों के बारे में जनता को शिक्षित करना;
- (ब) विद्यार्थियों तथा समाज के ऐसे कमजोर वर्गों, विशेष रूप में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों से संबंधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध करना, जो विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;
- (भ) पूर्वोक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए परिनियम, अध्यादेश अथवा विनियम बनाने तथा उन्हें परिवर्तित, उपांतरित या विखण्डित करने;
- (म) ऐसे सभी कार्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी अथवा किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ।

9. विश्वविद्यालय लिंग, मूलवंश, पंथ, जाति अथवा वर्ग को विचार में लाए बिना सभी के लिए खुला होगा तथा सदस्यों, विद्यार्थियों, अध्यापकों, कर्मचारों को प्रविष्ट अथवा नियुक्त करने में अथवा किसी अन्य संबंध में, चाहे जो भी हो, धर्म, विश्वास अथवा वृत्ति के बारे में, कोई भी परीक्षा थोपी नहीं जाएगी या शर्त नहीं लगाई जाएगी और ऐसा कोई भी धर्मदान स्वीकार नहीं किया जायेगा जिसमें विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की राय में, इस उपबंध के भाव तथा उद्देश्यों के विरुद्ध शर्तें अथवा बाध्यताएं आती हों:

विश्वविद्यालय का सभी मूलवंशों, जातियों तथा पंथों के लिए खुला होना ।

परन्तु इस धारा में दी गई कोई भी बात विश्वविद्यालय को समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के बारे में कोई विशेष उपबंध करने से रोकने वाली नहीं समझी जायेगी ।

10. विश्वविद्यालय में सारा अध्यापन, विश्वविद्यालय द्वारा तथा उसके नाम पर इस निमित्त बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के अनुसार चलाया जाएगा ।

अध्यापन ।

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:-

अधिकारी ।

- (i) कुलाधिपति;
- (ii) कुलपति;
- (iii) प्रति-कुलपति
- (iv) कुल-सचिव (रजिस्ट्रार); और
- (v) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किए जाएं ।

- कुलाधिपति ।
12. (1) हरियाणा के राज्यपाल अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे ।
- (2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होगा ।
- (3) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हों, उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह तथा संसद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।
- (4) कुलाधिपति को निम्नलिखित अधिकार होंगे—
- (i) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हें वह निर्दिष्ट करे, द्वारा विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं तथा उपकरणों का तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था का तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, किए गए या करवाये गये अध्यापन तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण करवाना; और
- (ii) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थाओं के वित्त प्रबन्धन से संबंधित किसी मामले के बारे में वैसी ही रीति में की जाने वाली जांच करवाना ।
- (5) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, कराए जाने वाले निरीक्षण या की जाने वाली जांच के अपने आशय का विश्वविद्यालय को नोटिस देगा और ऐसे नोटिस की प्राप्ति पर, विश्वविद्यालय को कुलाधिपति को ऐसा अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा, जो वह आवश्यक समझे ।
- (6) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, कुलाधिपति ऐसा निरीक्षण या जांच करवा सकता है जो उप-धारा (4) में निर्दिष्ट है ।
- (7) जहां कुलाधिपति द्वारा किए जाने वाला कोई निरीक्षण या जांच करवाई गई हो, वहां विश्वविद्यालय ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित रहने और सुनवाई किए जाने का अधिकार होगा ।
- (8) कुलाधिपति, यदि विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था के बारे में निरीक्षण या जांच की गई है, तो ऐसे निरीक्षण या जांच के निष्कर्ष के संदर्भ में, कुलाधिपति को संबोधित करेगा, और कुलाधिपति, कुलाधिपति के दृष्टिकोण तथा कुलाधिपति द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार उस पर की जाने कार्रवाई कार्य परिषद् को संसूचित करेगा ।
- (9) कार्य परिषद्, कुलाधिपति को कुलाधिपति के माध्यम से, ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जो ऐसे निरीक्षण या जांच के निष्कर्ष पर करने का प्रस्ताव करती है या कर चुकी है, संसूचित करेगी ।
- (10) जहां कार्य परिषद्, युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपति की संतुष्टि के अनुसार कार्यवाई नहीं करती, तो कुलाधिपति, कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जो वह ठीक समझे और कार्य परिषद् ऐसे निर्देशों का पालन करेगी ।
- (11) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति, लिखित में आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को निष्प्रभाव कर सकता है, जो उसकी राय में, इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप न हों:
- परन्तु कोई ऐसा आदेश करने से पहले, वह विश्वविद्यालय से कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि क्यों न ऐसा आदेश किया जाये, और यदि युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कारण दिया गया है, तो वह उस पर विचार करेगा ।
- (12) कुलाधिपति, किसी भी समय, विश्वविद्यालय से इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबन्धों के अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा कर सकता है या निर्देश दे सकता है ।
- (13) उप-धारा (11) तथा (12) के अधीन कुलाधिपति द्वारा प्रयोग की गई शक्तियां, किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जायेंगी ।
- (14) विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, जो उसके विरुद्ध की गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई के बारे में कार्य परिषद् या कुलाधिपति के निर्णय से व्यथित हो, कुलाधिपति को अभ्यावेदन ऐसी रीति में संबोधित कर सकता है जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाये और कुलाधिपति का निर्णय अन्तिम होगा ।
- (15) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें ।



13. (1) कुलपति केवल शैक्षणिक तर्कों पर नियुक्त किया जायेगा। वह ऐसे वचनबद्ध मूल्यों जिसके लिए विश्वविद्यालय स्थापित है तथा अपनी शैक्षणिक योग्यता, प्रशासनिक सक्षमता तथा नैतिक महत्ता द्वारा विश्वविद्यालय को नेतृत्व उपलब्ध करवाने की योग्यता रखने वाला कोई विख्यात शिक्षाविद् होगा। कुलपति।

(2) सरकार, कुलाधिपति के एक नामनिर्दिष्ट तथा कार्य परिषद् के दो नामनिर्दिष्टियों को मिलाकर कोई चयन समिति गठित करेगी, जो वर्णानुक्रम में कम से कम तीन नामों का कोई पैनल तैयार करेगी, जिसमें से कुलाधिपति, सरकार के परामर्श पर, कुलपति नियुक्त करेगा। कुलपति की सेवा के निबंधन तथा शर्तों, सरकार के परामर्श पर, कुलाधिपति द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

(3) कुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसे एक अवधि से अधिक के लिए नवीकृत नहीं किया जा सकता:

परन्तु कोई भी व्यक्ति, यदि उसने अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, को कुलपति के पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा अथवा पद पर बना नहीं रहेगा।

(4) कुलाधिपति, सरकार के परामर्श पर, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार की जाने वाली कोई जांच करवा सकता है तथा कुलपति को पद से हटा सकता है, यदि वह, ऐसी जांच पर, ऐसे पद पर प्रत्यक्ष रूप से बने रहने के अयोग्य व्यक्ति पाया जाता है।

(5) यदि कुलपति बीमारी या किसी अन्य कारण से अपनी अस्थाई अशक्तता के फलस्वरूप अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, या कुलपति का पद मृत्यु के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है, जब तक वर्तमान कुलपति अपना पद पुनः ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं हो जाता है, या जब तक कोई नियमित कुलपति नियुक्त नहीं किया जाता है, जैसी भी स्थिति हो, तो प्रति-कुलपति, कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेगा। कुलपति तथा प्रति-कुलपति दोनों की अनुपस्थिति में, जब तक कुलपति या प्रति-कुलपति अपना पद ग्रहण नहीं करता है, कुलाधिपति किसी प्राधिकारी द्वारा कुलपति के कर्तव्यों को सम्पादित किए जाने के लिए ऐसा प्रबन्ध करेगा।

(6) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी तथा शिक्षा अधिकारी होगा और उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण होगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरण के निर्णयों को लागू करेगा।

(7) कुलपति, यदि उसकी राय हो कि किसी मामले पर तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह संकाय, विभाग या पद के सृजन अथवा समाप्ति को अन्तर्वलित करने वाले मामलों, किसी कर्मचारी की नियुक्ति या उसे हटाए जाने वाले मामले के सिवाय, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को प्रदत्त की गई किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है:

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने से पहले कुलपति कारण अभिलिखित करेगा कि मामले में सम्बद्ध प्राधिकरण की बैठक तक इन्तजार क्यों नहीं किया जा सकता:

परन्तु यह और कि यदि सम्बद्ध प्राधिकरण की राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है, जिसका निर्णय उस पर अन्तिम होगा:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी भी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई किसी कार्रवाई से व्यथित है, उसे ऐसी कार्रवाई पर निर्णय की संसूचना की तिथि से एक मास के भीतर कार्य परिषद् के पास प्रतिवेदन करने का अधिकार होगा और उस पर कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट कर सकती है, उपांतरित कर सकती है या उल्ट कर सकती है। कर्मचारी को सूचित किया जायेगा कि कार्रवाई अपात् शक्तियों के अधीन की गई है।

(8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिणियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

14. (1) प्रति-कुलपति, कुलाधिपति द्वारा, सरकार के परामर्श पर, सेवा के ऐसे निबंधन तथा शर्तों, जो उस द्वारा अवधारित की जाएं, पर नियुक्त किया जाएगा। वह आचार्य की पदवी से नीचे का नहीं होगा। प्रति-कुलपति।

(2) प्रति-कुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसे एक अवधि से अधिक के लिए नवीकृत नहीं किया जाएगा:

परन्तु कोई भी व्यक्ति प्रति-कुलपति के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा या नहीं बना रहेगा, यदि उसने अड़सठ वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(3) प्रति-कुलपति ऐसे कर्तव्यों का पालन प्रयोग करेगा जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे जाएं।

- कुल-सचिव । 15. (1) कुल-सचिव सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।  
(2) कुल-सचिव, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा वह प्रत्यक्ष रूप से कुलपति के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा ।
- अन्य अधिकारी । 16. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जाएं ।
- अध्यापन तथा अध्यापनेत्तर पदों का सृजन । 17. इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना कोई अध्यापन और अध्यापनेत्तर पद सृजित नहीं करेगा या अध्यापन और अध्यापनेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षित नहीं करेगा ।
- प्राधिकरण । 18. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्:—  
(i) संसद;  
(ii) कार्य परिषद्;  
(iii) शिक्षा परिषद्;  
(iv) वित्त समिति;  
(v) संकाय;  
(vi) शिक्षा योजना बोर्ड; और  
(vii) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के रूप में घोषित किए जाएं ।
- संसद । 19. (1) संसद का गठन तथा इसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जायेगी ।  
(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद की निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे, अर्थात्:—  
(क) विश्वविद्यालय की मुख्य नीतियों तथा कार्यक्रमों का, समय-समय पर, पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिए उपाय सुझाना;  
(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक बजट तथा वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना तथा संकल्प पारित करना;  
(ग) कुलाधिपति को किसी भी ऐसे मामले के बारे में परामर्श देना जो उसे परामर्श के लिए निर्दिष्ट किया जाए; और  
(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।
- कार्य परिषद् । 20. (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा ।  
(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं:  
परन्तु प्रति-कुलपति कार्य परिषद् का पदेन सदस्य होगा ।
- शिक्षा परिषद् । 21. (1) शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगा, और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की सभी शिक्षा नीतियों का समन्वय करेगा तथा उन पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगा ।  
(2) शिक्षा परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं:  
परन्तु प्रति-कुलपति शिक्षा परिषद् का पदेन सदस्य होगा ।
- संकाय । 22. संकायों के गठन तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।
- वित्त समिति । 23. वित्त समिति का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं:  
परन्तु प्रति-कुलपति वित्त समिति का पदेन सदस्य होगा ।
- शिक्षा योजना बोर्ड । 24. शिक्षा योजना बोर्ड का गठन तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

25. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:—

परिनियम तथा उनका क्षेत्र ।

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, का गठन, शक्तियां तथा कृत्य;
- (ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अधिकारियों का वर्गीकरण, नियुक्ति का ढंग, शक्तियां तथा कर्तव्य;
- (ग) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिनमें उनके लाभ के लिए पेंशन या भविष्य निधि या बीमा योजना के लिए उपबंध शामिल हैं;
- (घ) सम्मानिक उपाधियां प्रदत्त करना;
- (ङ) संकायों तथा विभागों की स्थापना तथा समाप्ति;
- (च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, छात्र-सहायता वृत्तियां, पदकों तथा पुरस्कारों को संस्थित करना;
- (छ) विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना;
- (ज) शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों तथा संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों को अनुमति दी जा सकती है तथा उन्हें वापिस लिया जा सकता है;
- (झ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और
- (ञ) सभी अन्य मामले जो इस अधिनियम द्वारा उपबंधित किए जाने हैं अथवा परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जा सकते हैं ।

26. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, विश्वविद्यालय के परिनियम वे होंगे, जो अनुसूची में दिए गए हैं ।

परिनियम बनाना ।

(2) कार्य परिषद्, समय-समय पर, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या इस धारा में इसमें, इसके बाद, उपबंधित रीति में, परिनियमों का संशोधन अथवा निरसन कर सकती है:

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की हैसियत, शक्तियां या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को तब तक नहीं बनाएगी, संशोधित या निरसित नहीं करेगी, जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित में राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो, और इस प्रकार अभिव्यक्त की गई किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा ।

(3) शिक्षा परिषद्, कार्य परिषद् को शैक्षणिक विषयों से संबंधित किसी परिनियम के प्रारूप को कार्य परिषद् के विचार के लिए प्रस्तावित कर सकती है ।

(4) प्रत्येक नये परिनियम या परिनियम में परिवर्धन अथवा किसी परिनियम के किसी संशोधन अथवा निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो इसे स्वीकृत, अस्वीकृत कर सकता है अथवा इस पर आगे विचार करने के लिए इसे लौटा सकता है । सरकार या कार्य परिषद् द्वारा पारित किसी परिनियम की तब तक विधिमान्यता नहीं होगी जब तक इसे कुलाधिपति द्वारा सहमति न दे दी गई हो ।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति, या तो स्वप्रेरणा से या सरकार के परामर्श पर, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में, कार्य परिषद् को परिनियमों को बनाने, संशोधित करने या निरसन करने का निर्देश दे सकता है और यदि कार्य परिषद्, इसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर ऐसे निर्देश को कार्यान्वित करने में असफल रहती है, तो कुलाधिपति ऐसे निर्देश का अनुपालन करने में कार्य परिषद् द्वारा अपनी अक्षमता के लिए संसूचित कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, परिनियम उचित रूप से बना सकता है, संशोधित कर सकता है या निरसित कर सकता है ।

27. इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अध्याधीन, अध्यादेश निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:—

अध्यादेश तथा उनका क्षेत्र ।

- (क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का दाखिला तथा उनका ऐसे रूप में पंजीयन ;
- (ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा उपाधि-पत्रों के लिए दाखिला तथा आगे फीस ढांचे को उत्तरोत्तर इस प्रकार लचीला बनाना कि पाठ्यक्रम सम्भव सीमा तक स्वतः वित्तपोषण हो सके;
- (ग) शर्तें, जिनके अधीन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की उपाधि अथवा उपाधि-पत्र, पाठ्यक्रमों तथा परीक्षाओं में दाखिला दिया जाएगा तथा ऐसी उपाधियों और उपाधि-पत्रों तथा प्रमाण-पत्रों के लिए पात्रता;

- (घ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा उपाधि-पत्रों में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस; तथा आगे फीस के ढांचे को उत्तरोत्तर इस प्रकार लचीला बनाना कि संभव सीमा तक पाठ्यक्रम स्वतः वित्तपोषित हो सकें;
- (ङ) अध्येता-वृत्तियां, छात्र-वृत्तियां, छात्र-सहायता वृत्ति, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;
- (च) परीक्षाओं का संचालन, जिसमें परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों तथा अनुसूचितों की पदावधि तथा नियुक्ति की रीति तथा कर्तव्य सम्मिलित हैं;
- (छ) विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें; तथा
- (ज) सभी अन्य मामले जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा बनाए जाने हैं अथवा अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जा सकते हैं ।

अध्यादेश  
बनाना ।

28. (1) अध्यादेश, कार्य परिषद् द्वारा बनाए, संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जायेंगे:

परन्तु कोई भी ऐसा अध्यादेश—

- (i) जो विद्यार्थियों के दाखिले या उनके पंजीयन को अथवा विहित परीक्षाओं को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बराबर मान्यता दिए जाने को प्रभावित करने वाला हो; और
- (ii) जो परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें, ढंग या कर्तव्यों या परीक्षाओं अथवा किन्हीं अध्ययन पाठ्यक्रमों के संचालन या स्तर को प्रभावित करने वाला हो,

तब तक नहीं बनाया जायेगा जब तक ऐसे अध्यादेश का प्रारूप शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है ।

(2) कार्य परिषद् उपधारा (1) के अधीन शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को, अपने सुझावों सहित, या तो पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में, पुनर्विचार के लिए शिक्षा परिषद् को लौटा सकती है:

परन्तु कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित प्रारूप को स्वयं संशोधित नहीं करेगी । तथापि वह ऐसे प्रारूप को, जब उसे शिक्षा परिषद् द्वारा दूसरी बार इसे प्रस्तुत किया जाये, अस्वीकार कर सकती है ।

(3) कार्य परिषद् द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश, ऐसी तिथि से प्रभावी होंगे, जो वह निर्दिष्ट करे और बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश कुलाधिपति को, यथाशीघ्र, संसूचित किया जाएगा ।

विनियम ।

29. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम बना सकते हैं, जो—

- (क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करेंगे; और
- (ख) ऐसे सभी मामले उपबंधित करेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के माध्यम से विनियमों द्वारा विहित किए जाने हैं ।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण, ऐसे प्राधिकरण के सदस्यों को बैठकों की तिथियों तथा बैठकों में विचार किए जाने वाले कार्य की सूचना देने के लिए और बैठकों की कार्यवाहियों के अभिलेख रखने के लिए उपबंध करने वाले विनियम बनाएगा ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

30. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान बनाए गए विस्तृत कार्यक्रमों, नीतियों तथा वित्त व्यवस्थाओं, परिनियमों तथा अध्यादेशों के संशोधन का विवरण देते हुए, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी और संसद को ऐसी तिथि को या इसके बाद, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, प्रस्तुत की जाएगी और संसद अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी ।

वार्षिक लेखे ।

31. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा तुलन-पत्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार तथा अधिक से अधिक पन्द्रह मास के अन्तरालों पर निदेशक, स्थानीय लेखा-परीक्षा, हरियाणा या किसी अन्य लेखा-परीक्षक, जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाये, द्वारा लेखा-परीक्षित किया जाएगा । वार्षिक लेखे, लेखा-परीक्षित किए जाने पर हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और वार्षिक लेखों की प्रति निदेशक, स्थानीय लेखा-परीक्षा, हरियाणा अथवा लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट सहित, संसद तथा कुलाधिपति को कार्य परिषद् की टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत की जाएगी । वार्षिक लेखों पर कुलाधिपति द्वारा की गई कोई टिप्पणी संसद के ध्यान में लाई जाएगी तथा संसद की टिप्पणियां, यदि कोई हों, कार्य परिषद् द्वारा विचार किए जाने के बाद, कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी ।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा तुलन-पत्र कुलाधिपति को उनके प्रस्तुतीकरण के समय सरकार को भी प्रस्तुत किए जाएंगे ।

**32.** (1) कुलपति के सिवाय, प्रत्येक वैतनिक अधिकारी तथा अध्यापक, लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायगी तथा विश्वविद्यालय और किन्हीं अधिकारियों या अध्यापकों के बीच संविदा से पैदा होने वाला कोई विवाद संबंधित अध्यापक या अधिकारी के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर माध्यस्थम्-अधिकरण जो कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य तथा कुलपति का एक नामनिर्दिष्टिती को मिलाकर बने, को निर्दिष्ट किया जाएगा। अधिकरण के सदस्यों के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा निर्णित विषय के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं हो सकेगा।

अधिकारियों तथा अध्यापकों की सेवा शर्तें।

(2) प्रत्येक ऐसा अनुरोध, माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम 26), के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए निवेदन के रूप में समझा जाएगा।

**33.** (1) विश्वविद्यालय जैसा वह उचित समझे, अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी पेंशन, भविष्य-निधि तथा बीमा-निधि संस्थित करेगा।

पेंशन, भविष्य-निधि और बीमा-निधि।

(2) जहां कोई भविष्य-निधि और बीमा-निधि इस प्रकार गठित की गई है, वहां भविष्य-निधि अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम 19), के उपबंध इसको ऐसे लागू होंगे, मानो यह सरकारी भविष्य-निधि थी।

**34.** इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय द्वारा किया गया कोई भी कार्य, अथवा की गई कोई कार्यवाही केवल निम्नलिखित आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी-

रिक्तियों के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

(क) प्राधिकरण या निकाय के गठन में किसी रिक्ति या त्रुटि; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन अथवा नियुक्ति में किसी त्रुटि या अनियमितता; या

(ग) मामले के गुणागुण को प्रभावित न करने वाले ऐसे कार्य या कार्यवाही में किसी त्रुटि या अनियमितता।

**35.** यदि कोई सन्देह उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय में किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का सदस्य सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या ऐसा सदस्य बने रहने का हकदार है, तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

कतिपय विवादों का कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाना।

**36.** यदि विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की पहली बैठक के संबंध में, या अन्यथा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रथम बार प्रभाव देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, किसी भी समय, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का गठन किए जाने से पहले, आदेश द्वारा कोई नियुक्ति कर सकती है, या ऐसी कोई बात कर सकती है जो इस अध्यादेश के उपबंधों से, जहां तक हो सके, संगत हो, जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजनों के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो और प्रत्येक ऐसा आदेश, उसी प्रकार प्रभावी होगा मानो ऐसी नियुक्ति या कार्यवाही इस अधिनियम में उपबंधित रीति में की गई थी।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

**37.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1), अथवा तत्समय लागू किसी विधि में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी रसीद, आवेदन-पत्र, नोटिस, आदेश, कार्यवाहियों, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा समिति के संकल्प अथवा विश्वविद्यालय के कब्जे में अन्य दस्तावेजों अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुल-सचिव द्वारा प्रमाणित की गई है, तो ऐसी रसीद, आवेदन-पत्र, नोटिस, आदेश, कार्यवाहियों, संकल्प, दस्तावेज अथवा रजिस्टर में विद्यमान प्रविष्टि साक्ष्य के रूप में प्राप्त की जाएगी तथा जहां उसकी मूल प्रति, यदि प्रस्तुत की गई हो, साक्ष्य में स्वीकार्य हो, उन मामलों तथा संव्यवहारों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जायेगी।

विश्वविद्यालय अभिलेख के प्रमाण का ढंग।

**38.** विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध किसी बात, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण।

**39.** (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र में निहित राज्य औषधि फार्मसी तथा राज्य औषधि जांच प्रयोगशाला से संबंधित भूमि और भवन को छोड़कर सभी चल अथवा अचल सम्पत्तियां तथा उनमें सभी हित चाहे किसी स्वरूप तथा किस्म के हों और उसके अधीन चलाए जा रहे पाठ्यक्रम तथा सृजित, भरे गये पद विश्वविद्यालय में निहित हो जाएंगे।

सम्पत्तियों का निहित होना।

(2) श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र से संबंधित उस द्वारा सभी ऋण, बाध्यताएं तथा उपगत दायित्व, की गई सभी संविदाएं तथा किए जाने वाले सभी मामले तथा बातें विश्वविद्यालय द्वारा, से या के लिए उपगत की गई, संविदा की गई या की जाने वाली समझी जाएंगी।

### अनुसूची

[ देखिये धारा 2(त) तथा 26 (1) ]

कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य।

1. (i) कुलपति, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, उपाधियाँ प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षान्त समारोहों और संसद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की किसी बैठक में उपस्थित होने और उसे सम्बोधित करने का हकदार होगा, किन्तु जब तक वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो, वहाँ पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा।
- (ii) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्धों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और वह ऐसी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेगा।
- (iii) कुलपति को संसद, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् तथा वित्त समिति तथा विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय की बैठकें बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।
- (iv) कुलपति, विश्वविद्यालय के मामलों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णयों को प्रभावशील करेगा।
- (v) विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों या निकायों में नाम-निर्देशन के लिये वरिष्ठता के बारे में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

प्रतिकुलपति।

2. (1) प्रतिकुलपति कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद्, वित्त समिति, चयन समिति, स्थापना समिति और योजना बोर्ड का पदेन उपाध्यक्ष होगा और कुलपति की अनुपस्थिति में, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद्, वित्त समिति, चयन समिति, स्थापना समिति और योजना बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
- (2) यह देखना प्रतिकुलपति का कर्तव्य होगा कि कुलपति की अनुपस्थिति में, अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्धों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और वह ऐसी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेगा।
- (3) प्रतिकुलपति को, कुलपति की अनुपस्थिति में, संसद, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद्, वित्त समिति, चयन समिति, स्थापना समिति, योजना बोर्ड तथा विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय की बैठकें बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।
- (4) प्रतिकुलपति विश्वविद्यालय प्रशासन की उन शाखाओं के मामलों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे जाते हैं तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णयों को उन शाखाओं में प्रभावशील करेगा।

कुल-सचिव।

3. (i) कुल-सचिव, कार्य परिषद् तथा संकायों का पदेन सचिव होगा किन्तु इन प्राधिकरणों में से किसी को भी सदस्य के रूप में नहीं समझा जायेगा, और वह संसद और शिक्षा परिषद् का पदेन सदस्य-सचिव होगा।
- (ii) जब कुल-सचिव का पद रिक्त हो जाता है या जब कुल-सचिव बीमारी के कारण अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो, तो जब तक सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नियमित नियुक्ति नहीं की जाती है, पद के कर्तव्य ऐसे व्यक्ति द्वारा निभाए जायेंगे, जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिये अस्थाई रूप से नियुक्त करे।
- (iii) कुल-सचिव का यह कर्तव्य होगा –
  - (क) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति, जो कुलपति उसके प्रभार में सौंपे, का अभिरक्षक होना ;
  - (ख) संसद, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद्, संकायों और विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति की बैठकें बुलाने के सभी नोटिस जारी करना ;
  - (ग) संसद, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद्, संकायों और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति की सभी बैठकों के कार्यवृत्त रखना ;
  - (घ) संसद, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् तथा संकायों के शासकीय पत्र-व्यवहार का संचालन करना;
  - (ङ) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त की प्रतियाँ, उनके जारी होते ही यथाशीघ्र भेजना ;

(च) ऐसे अन्य कर्तव्य जो कुलपति द्वारा, समय-समय पर, उसे सौंपे जायें, का पालन करना ।

(iv) कुल-सचिव को विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा शैक्षणिक अमले, जो कार्य परिषद् के आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें, को छोड़कर, ऐसे कर्मचारियों को चेतावनी देने या परिनिन्दा की शास्ति अधिरोपित करने या वेतनवृद्धियां रोकने तथा लंबित जांच के दौरान उन्हें निलम्बित करने की शक्ति होगी :

परन्तु कोई भी ऐसी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जायेगी जब तक सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो।

(vi) खण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट किन्हीं शास्तियों में से किसी को अधिरोपित करने वाले कुल-सचिव के किसी आदेश के विरुद्ध अपील कुलपति को होगी।

(vi) यदि जांच से प्रकट होता है कि दण्ड, कुल-सचिव की शक्तियों से परे का है, तो कुल-सचिव जांच के निष्कर्ष पर अपनी सिफारिशों सहित कुलपति को रिपोर्ट करेगा :

परन्तु कुलपति के किसी शास्ति को अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील कार्य परिषद् को होगी ।

(vii) कुल-सचिव विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने तथा अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी होगा और ऐसी हैसियत में कार्य करेगा जब विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकरण द्वारा मामले में निर्णय ले लिया गया हो। कुल-सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का भी प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें ।

(viii) कुल-सचिव, सरकार के परामर्श पर, अध्यापन का कम से कम ग्यारह वर्ष का अनुभव या उपाचार्य के रूप में अध्यापन का पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले राज्य की भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त किसी आयुर्वेदिक महाविद्यालय से किसी व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा वह पचास वर्ष से कम की आयु का नहीं होगा। विधि में उपाधि रखने वाले व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा।

4. विश्वविद्यालय की सेवा में निम्नलिखित व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में भी अन्य अधिकारी।  
घोषित किया जाता है, अर्थात् :-

- (क) कुलानुशासक (प्रॉक्टर) ;
- (ख) मुख्य रक्षक (चीफ वार्डन) ;
- (ग) विद्यार्थी कल्याण अध्यक्ष, यदि कोई हो ;
- (घ) अध्यक्ष, शैक्षणिक मामले ;
- (ङ) महाविद्यालयों का अध्यक्ष ;
- (च) पुस्तकाध्यक्ष ;
- (छ) परीक्षा नियंत्रक ;
- (ज) वित्त अधिकारी ।

5. कुलानुशासक, मुख्य रक्षक, विद्यार्थी कल्याण अध्यक्ष तथा अध्यक्ष, शैक्षणिक मामले की नियुक्ति, कुलपति की सिफारिशों पर, विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से, जो प्राचार्य की पदवी से नीचे के न हों, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, कार्य परिषद् द्वारा की जायेगी जैसा कुलपति कार्य परिषद् को सिफारिश करें : अन्य अधिकारियों की नियुक्ति।

परन्तु अध्यक्ष, शैक्षणिक मामले की अवधि दो वर्ष की होगी जो कुलपति की सिफारिशों पर, कार्य परिषद् द्वारा, यदि उचित समझे, एक और वर्ष के लिए विस्तारयोग्य होगी।

6. महाविद्यालयों का अध्यक्ष, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा कुलपति की सिफारिशों पर, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वह ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो कुलपति द्वारा, समय-समय पर, उसे सौंपे जाएं। महाविद्यालयों का अध्यक्ष।

वित्त अधिकारी।

7. (1) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा चयन समिति की सिफारिशों पर, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, जो परिणियमों द्वारा विहित की जायें, पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा, किन्तु ऐसी समिति के सदस्य के रूप में नहीं समझा जायेगा।

(3) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो जाता है या जब वित्त अधिकारी बीमारी के कारण अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो अधिकारी के कर्तव्य ऐसे व्यक्ति द्वारा किये जायेंगे, जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे।

(4) वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा तथा इसको इसकी वित्तीय नीतियों के सम्बन्ध में परामर्श देगा; तथा

(ख) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जायें या जो परिणियमों द्वारा विहित किये जायें।

(5) कार्य परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वित्त अधिकारी—

(क) न्यास तथा विन्यास की गई सम्पत्ति सहित विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निवेशों को धारण करेगा तथा प्रबन्ध करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आवर्तक तथा अनावर्तक खर्च वित्त समिति द्वारा वर्ष के लिये नियत सीमाओं से अधिक न हो तथा सभी धन उसी प्रयोजनार्थ खर्च किये जाएं, जिनके लिये वे प्रदान अथवा आबंटित किए गए हैं ;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा बजट तैयार करने के लिए और उन्हें कार्य परिषद् को प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा ;

(घ) नकदी तथा बैंक में अतिशेषों की स्थिति पर और निवेश की स्थिति पर लगातार नज़र रखेगा;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नज़र रखेगा तथा नियोजित किए जाने वाले संग्रहण के ढंग पर परामर्श देगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण, भूमि, फर्नीचर तथा उपकरणों के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित सभी कार्यालयों, विशेष केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों तथा संस्थाओं में उपकरण तथा अन्य सम्बन्धित सामग्री के स्टॉक निरीक्षण का संचालन किया जाये;

(छ) किसी अनधिकृत खर्च तथा अन्य वित्तीय अनियमिततायें कुलपति के ध्यान में लाएगा तथा उसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के सुझाव देगा;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय अथवा संस्था के किसी अधिकारी से, कोई सूचना या विवरणी जो वह अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक समझे, मंगवाएगा।

(6) विश्वविद्यालय को भुगतानयोग्य किसी धन के लिए वित्त अधिकारी अथवा कार्य परिषद् द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति की रसीद ऐसे धन के भुगतान के लिये पर्याप्त रूप से उन्मोचन होगी।

परीक्षा नियंत्रक।

8. (1) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और स्थापना समिति की सिफारिशों पर, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, जो कार्य परिषद् द्वारा विहित की जायें, पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक का यह कर्तव्य होगा —

(क) परीक्षाओं का अनुशासनबद्ध और दक्षतापूर्ण रीति में संचालन करना ;

(ख) गोपनीयता का पूर्ण ध्यान रखते हुए, प्रश्न-पत्र बनवाने की व्यवस्था करना ;

(ग) परीक्षा परिणामों के लिये योजनाबद्ध समय अनुसूची के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिये व्यवस्था करना ;



- (घ) निष्पक्षता तथा विषयनिष्ठता के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से परीक्षा प्रणाली का निरन्तर पुनर्विलोकन करना ताकि इसे विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिये बेहतर साधन बनाया जा सके ;
- (ङ) परीक्षा प्रणाली से सम्बन्धित ऐसे अन्य मामले, जो कुलपति द्वारा, समय-समय पर, उसे सौंपे जायें, करना।

9. पुस्तकाध्यक्ष, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और स्थापना समिति की सिफारिशों पर, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, जो कार्य परिषद् द्वारा विहित की जायें, पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा। पुस्तकाध्यक्ष।

10. (1) संसद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

संसद तथा इसका गठन।

(क) पदेन सदस्य -

- (i) कुलाधिपति ;
- (ii) कुलपति ;
- (iii) प्रतिकुलपति ;
- (iv) सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, या उसकी अनुपस्थिति में, उसका नामनिर्देशिनी जो सयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;
- (v) सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग या उसकी अनुपस्थिति में, उसका नामनिर्देशिनी जो सयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;
- (vi) महानिदेशक, आयुष या उसका नामनिर्देशिनी जो उप निदेशक, आयुष की पदवी से नीचे का न हो ;
- (vii) निदेशक, आयुष, हरियाणा ;
- (viii) संकायों के अध्यक्ष;
- (ix) महाविद्यालयों के अध्यक्ष;
- (x) कुल-सचिव ;
- (xi) विद्यार्थी कल्याण अध्यक्ष, यदि कोई हो ;
- (xii) परीक्षा नियंत्रक ;
- (xiii) अध्यक्ष, शैक्षणिक मामले ;
- (xiv) पुस्तकाध्यक्ष ;
- (xv) वित्त अधिकारी ;

(ख) अन्य सदस्य -

- (i) हरियाणा विधान सभा द्वारा इसके सदस्यों में से चुने जाने वाले दो सदस्य;
- (ii) विश्वविद्यालय के आचार्य जो दस से अधिक न हों, ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से ;
- (iii) विश्वविद्यालय के उपाचार्य तथा प्राध्यापकों में से चुने जाने वाले पांच अध्यापक जिनमें से कम से कम दो उपाचार्य होंगे ;
- (iv) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त महाविद्यालयों से एक प्रधानाचार्य, ज्येष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ;
- (v) राज्य के आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में अधिष्ठायी हैसियत में उनके पद धारण करने वाले प्रधानाचार्यों द्वारा स्वयं में से चुने जाने वाला एक प्रधानाचार्य ;
- (vi) राज्य के आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में अधिष्ठायी हैसियत में उनके पद धारण करने वाले अध्यापकों द्वारा स्वयं में से चुने जाने वाले प्रधानाचार्यों से भिन्न चार अध्यापक :

परन्तु इस उप-खण्ड के अधीन एक से अधिक अध्यापक किसी एक महाविद्यालय से संबंधित नहीं होगा ;

- (vii) निर्वाचन की तिथि से शैक्षणिक वर्ष की 31 मई तक की अवधि के लिए राज्य में आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में विद्यार्थी यूनियन के सचिवों द्वारा स्वयं में से श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विद्यार्थी यूनियन में से चुने जाने वाले दो सचिव ;
- (viii) कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले पन्द्रह प्रतिनिधि (विख्यात आयुष शिक्षाविदों में से दस तथा उद्योग, वाणिज्य, चिकित्सा-शास्त्र इंजीनियरिंग, विधि इत्यादि से पांच प्रतिनिधि) ;
- (ix) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से एक, तीन वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम द्वारा ;
- (x) गैर-सरकारी महाविद्यालयों के प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों द्वारा स्वयं में से चुने गए दो व्यक्ति। प्रबन्धकों के प्रतिनिधि सम्बद्ध प्रबंधकों के सदस्यों में से होंगे।

(ग) कुल-सचिव संसद का सदस्य-सचिव होगा :

परन्तु इसकी समवर्गी संस्थाओं सहित विश्वविद्यालय का कोई वैतनिक कर्मचारी उप-खंड (ii) से (vi) तथा (x) के सिवाय किन्हीं पूर्ववर्ती उपखंडों के अधीन निर्वाचन या नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा तथा कि यदि उप-खंड (ii) से (vi) तथा (x) के सिवाय पूर्ववर्ती किन्हीं उपखंडों के अधीन निर्वाचित अथवा नामनिर्देशित किसी व्यक्ति को बाद में विश्वविद्यालय अथवा इसकी समवर्गी संस्थाओं में किसी वैतनिक पद पर नियुक्त किया जाता है, तो वह संसद का सदस्य नहीं रहेगा :

परन्तु यह और कि उप-खंड (vii) के सिवाय कोई भी व्यक्ति जब तक उसने पच्चीस वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो संसद में नामनिर्देशन अथवा निर्वाचन हेतु पात्र नहीं होगा।

(2) अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित हैं, उसके सिवाय, पदेन सदस्यों से भिन्न, संसद के सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।

(3) संसद की सभी बैठकों में, गणपूर्ति दो बटा पांच सदस्यों से होगी।

(4) यदि बैठक के नियत समय के बाद आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ अपेक्षित संख्या में सदस्य उपस्थित न हो, तो बैठक आयोजित नहीं की जाएगी तथा कुल-सचिव उस तथ्य का अभिलेख करेगा।

(5) निर्वाचन का ढंग मत पत्र द्वारा साधारण बहुमत से होगा तथा निर्वाचन का संचालन कुलपति द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

संसद की बैठक।

11. (1) संसद की बैठक कुलपति द्वारा नियत की गई तिथि को वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

(2) संसद की विशेष बैठक कुलाधिपति या कुलपति द्वारा इसके एक तिहाई सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

कार्य परिषद् तथा इसका गठन।

12. (1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

I. पदेन सदस्य-

(i) कुलपति ;

(ii) प्रतिकुलपति ;

(iii) सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, या उसकी अनुपस्थिति में, उसका नामनिर्देशिती जो सयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;

(iv) सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग या उसकी अनुपस्थिति में, उसका नामनिर्देशिती जो निदेशक, आयुष की पदवी से नीचे का न हो ;

(v) महानिदेशक, आयुष या उसकी अनुपस्थिति में, उसका नामनिर्देशिती जो उप निदेशक, आयुष की पदवी से नीचे का न हो ;

II. अन्य सदस्य -

(क) राज्य के आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के दो प्रधानाचार्य (संकायों के अध्यक्षों से अन्यथा), आयु की ज्येष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ;

(ख) अध्यक्ष दो संकायों के महाविद्यालयों/ संस्थाओं के प्रधानाचार्य, चक्रानुक्रम से ;

- (ग) उपखण्ड (क) के अधीन अध्यक्षों से अन्यथा विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों के आचार्यों में से एक, एक वर्ष के लिए, वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ;
- (घ) आचार्य से अन्यथा विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों का एक अध्यापक, वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ;
- (ङ) राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विख्यात शिक्षाविदों अथवा विख्यात सेवारत/ सेवानिवृत्त सिविल कर्मचारियों में से कुलाधिपति के नामनिर्देशितियों के रूप में दो व्यक्ति ;
- (च) विश्वविद्यालय के अध्यापनेत्तर कर्मचारियों में से एक, एक वर्ष के लिए, वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ।
- (2) कुल-सचिव कार्य परिषद् का पदेन सचिव होगा ।
- (3) गणपूर्ति तीन बटा पांच सदस्यों से होगी ।
- (4) अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय, पदेन सदस्यों से अन्यथा, कार्य परिषद् के सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे ।
- (5) कोई सदस्य जो अर्हता धारण करने से प्रविरत हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वह कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्देशित किया गया था, तो वह उसके सदस्य के रूप में नहीं रहेगा ।

13. विश्वविद्यालय के अतिरिक्त वित्तीय दायित्वों वाले तथा वार्षिक बजट से संबंधित उन मामलों में कार्य-परिषद् का कोई निर्णय केवल तभी लागू होगा जब ऐसा निर्णय लेते समय सरकार का कम से कम एक प्रतिनिधि उपस्थित हो तथा उसने ऐसे निर्णय की सहमति दे दी हो ।

कार्य परिषद् का निर्णय ।

14. कार्य परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी, अर्थात् :-

कार्य परिषद् की शक्तियां ।

- (क) विश्वविद्यालय के राजस्व, सम्पत्ति तथा निधियों का धारण, नियन्त्रण तथा प्रबन्ध करना ;
- (ख) अध्यापन तथा शैक्षणिक पद सृजित करना, ऐसे पदों की संख्या तथा परिलब्धियों अवधारित करना और भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य शैक्षणिक अमले और प्रधानाचार्यों के कर्तव्य तथा सेवा शर्तें परिनिश्चित करना ;

परन्तु अतिरिक्त वित्तीय दायित्व वाले नए पद के सृजन के मामले तभी लागू रहेंगे यदि सरकार के प्रतिनिधि अर्थात् वित्त सचिव या उसकी अनुपस्थिति में, उसका प्रतिनिधि तथा सचिव, स्वास्थ्य अथवा उसकी अनुपस्थिति में, उसका प्रतिनिधि, ऐसे निर्णय लेते समय उपस्थित है और उस निर्णय की सहमति दे दी है:

परन्तु यह और कि यदि उचित नोटिस के बाद भी दो लगातार बैठकों में वित्त या स्वास्थ्य विभाग से सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, तो कार्य परिषद् पद सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव का अनुमोदन कर सकती है :

परन्तु यह और कि अध्यापकों और शैक्षणिक अमले की संख्या, अर्हताओं तथा परिलब्धियों के बारे में, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् तथा वित्त समिति की सिफारिशों पर विचार के बाद कार्रवाई करेगी ;

- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों, अन्य शैक्षणिक अमले तथा प्रधानाचार्यों को प्रयोजन के लिये गठित चयन समितियों की सिफारिशों पर नियुक्त करना और उनमें अस्थायी रिक्तियां भरना ;
- (घ) प्रशासनिक, लिपिक-वर्गीय तथा अन्य पद सृजित करना और परिनियमों द्वारा विहित रीति में उन पर नियुक्तियां करना ;
- (ङ) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे, निवेशों, सम्पत्ति, कारबार तथा सभी अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबन्ध तथा विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ताओं (एजेंटों) को नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझे ;
- (च) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कोई भी धन, जिसमें ऐसे स्टॉकों, निधियों, हिस्सों या प्रतिभूतियों में उपयोग में न लाई गई कोई आय भी शामिल है, जिन्हें वह, समय-समय पर, ठीक समझे या समय-समय पर ऐसे निवेशों में परिवर्तित करने की उसी प्रकार की शक्तियों सहित भारत में अचल सम्पत्ति की खरीद में निवेश करना ;
- (छ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल तथा अचल सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण स्वीकार करना ;

- (ज) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिये निर्माणों, परिसरों, फर्नीचर तथा उपकरणों तथा अन्य आवश्यक साधनों की व्यवस्था करना ;
- (झ) विश्वविद्यालय के लिये कोई सामान्य मुद्रा चुनना ;
- (ञ) विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल-सचिव या ऐसे अन्य कर्मचारी या प्राधिकरण या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी कोई शक्ति, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करना ;
- (ट) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, फेरबदल करना, उन्हें कार्यान्वित्त करना अथवा रद्द करना ;
- (ठ) परिनियम बनाना, संशोधन करना अथवा निरसन करना;
- (ड) विद्यार्थियों में अनुशासन बनाये रखने के सम्बन्ध में निर्णय करना ;
- (ढ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा कार्य परिषद् को प्रदत्त की जाएं या पर अधिरोपित की जाएं ; तथा
- (ण) विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करना जो अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबन्धित न हो।

शिक्षा परिषद्  
और इसका  
गठन।

15. शिक्षा परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

I. (क) पदेन सदस्य—

- (i) कुलपति ;
- (ii) प्रतिकुलपति
- (iii) अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा या निदेशक, चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान या उसकी अनुपस्थिति में, उसका नामनिर्देशिती जो उप निदेशक, आयुष की पदवी से नीचे का न हो ;
- (iv) कुल-सचिव ;
- (v) संकायों के अध्यक्ष ;
- (vi) विद्यार्थी कल्याण अध्यक्ष, यदि कोई हो ;
- (vii) अध्यक्ष, शैक्षणिक मामले ;
- (viii) महाविद्यालय अध्यक्ष ;
- (ix) वभागों के अध्यक्ष ;
- (x) विश्वविद्यालय छात्रावासों का मुख्य वार्डन ;
- (xi) कुलानुशासक;
- (xii) परीक्षा नियन्त्रक, यदि कोई हो ;
- (xiii) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का पुस्तकाध्यक्ष;
- (xiv) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों में से एक, चक्रानुक्रम से, बशर्ते वह कार्य-परिषद् का सदस्य न हो ;
- (xv) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अवकाश-प्राप्त आचार्य (आचार्यों)/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त अवकाश-प्राप्त अधिसदस्य (किन्तु मत देने अथवा चुनाव लड़ने के अधिकार के बिना)।

II. अन्य सदस्य —

- (i) प्रत्येक विभाग से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त एक आचार्य, वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ;
- (ii) कुलपति द्वारा, विश्वविद्यालय के बाहर से, नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के तीन शिक्षाविद्, बशर्ते कि उन में से एक से अधिक उसी क्षेत्र से नहीं होगा ;

III. (i) कुल-सचिव शिक्षा परिषद् का सदस्य-सचिव होगा ।

(ii) तीन बटा पांच सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।

(iii) अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय, पदेन सदस्यों से भिन्न, शिक्षा परिषद् के सदस्य, दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।

(iv) निर्वाचन का ढंग मतपत्र द्वारा साधारण बहुमत से होगा और निर्वाचनों का संचालन कुलपति द्वारा बनाए गये नियमों के अनुसार किया जायेगा ।

16. (1) शिक्षा परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी, अर्थात् :- शिक्षा परिषद् की शक्तियां।
- (क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करना और महाविद्यालयों तथा संस्थाओं में शिक्षा पद्धतियों, सहकारी अध्यापन, शैक्षणिक स्तरों में अनुसंधान या सुधारों के मूल्यांकन के संबंध में निदेश देना ;
- (ख) या तो स्वयं अपनी प्रेरणा पर या कुलाधिपति, कुलपति, कार्य परिषद् अथवा किसी संकाय के प्रतिनिर्देश से, सामान्य शैक्षणिक हित के मामलों पर विचार करना तथा उन पर उचित कार्रवाई करना ;
- (ग) कार्य परिषद् को अध्यापन पद सृजित करने तथा समाप्त करने की सिफारिश करना;
- (घ) संकायों की सिफारिशों पर विभिन्न परीक्षाओं के लिये पाठ्य विवरण तथा पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन विहित करना ;
- (ङ) विश्वविद्यालय के शिक्षा सम्बन्धी कृत्यों, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्येता-वृत्तियों, अध्ययन-वृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों तथा पुरस्कारों को प्रदान करने, फीसों की रियायतों, सामूहिक जीवन तथा उपस्थिति के सम्बन्ध में परिणियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियमों को बनाना ; और
- (च) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम, परिणियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा शिक्षा परिषद् को प्रदत्त की जायें या सौंपे जायें।
- (2) अध्ययन के पाठ्य-विवरण, पाठ्यक्रमानुसार तथा परीक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में शिक्षा परिषद् के सभी निर्णय, जहां तक वे परिणियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित न हों, अंतिम होंगे।
17. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात् :- वित्त समिति का गठन।
- I. पदेन सदस्य-
- (क) कुलपति (अध्यक्ष) ;
- (ख) प्रतिकुलपति ;
- (ग) सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, या उसकी अनुपस्थिति में, उसका नामनिर्देशिनी जो सयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;
- (घ) सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग या उसकी अनुपस्थिति में, उसका नामनिर्देशिनी जो निदेशक, आयुष की पदवी से नीचे का न हो ;
- II. अन्य सदस्य -
- (क) कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले वित्त में सुविज्ञता रखने वाले दो बाह्य सदस्य ;
- (ख) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले संकायों के दो अध्यक्ष।
- (2) कुल-सचिव समिति का सदस्य-सचिव होगा।
- (3) वित्त समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।
- (4) पांच सदस्यों, जिनमें से कम से कम दो सदस्य सरकार द्वारा नामनिर्देशिनी होंगे, से गणपूर्ति होगी।
18. (1) वित्त समिति लेखों की परीक्षा और व्यय के प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी तथा कार्य परिषद् को वार्षिक बजट अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगी। वित्त समिति जो विश्वविद्यालयों के साधनों तथा आय पर आधारित वर्ष के लिये कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करेगी, के पूर्व अनुमोदन के बिना, विश्वविद्यालय द्वारा, बजट में से कोई व्यय उपगत नहीं किया जायेगा। इस प्रकार नियत सीमाओं से अधिक कोई व्यय विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया जायेगा।
- (2) यह अध्यापन तथा अन्य पदों के सृजन की जांच करेगी तथा कार्य परिषद् को सिफारिश करेगी।
- (3) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा शासकीय प्राक्कलन, वित्त समिति के सामने, उस पर उसके विचार तथा टिप्पणियों के लिये रखे जायेंगे तथा उसके बाद कार्य परिषद् को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे।
- वित्त समिति के कृत्य तथा शक्तियां।

संकाय।

19. निम्नलिखित संकाय होंगे, अर्थात्: —
- (1) आयुर्वेद संकाय ;
  - (2) योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा संकाय ;
  - (3) यूनानी संकाय ;
  - (4) सिद्धा संकाय ;
  - (5) होमियोपैथि संकाय ;
  - (6) ऐसे अन्य संकाय जिन्हें कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् की सिफारिश पर, परिनियमों द्वारा विहित करें।

संकायों का गठन।

20. (1) प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित होंगे —
- (i) संकाय का डीन (अध्यक्ष) ;
  - (ii) उस संकाय में सम्मिलित विभागों का अध्यक्ष ;
  - (iii) प्रत्येक विभाग से एक आचार्य वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ;
  - (iv) संकाय में सम्मिलित विभागों में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्यता-प्राप्त एक उपाचार्य तथा एक प्राध्यापक वरिष्ठता के अनुसार, चक्रानुक्रम से ;
  - (v) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के दो प्रधानाचार्य वरिष्ठता के आधार, चक्रानुक्रम से ।
- (2) नामनिर्दिष्ट सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे :  
परन्तु कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् के अनुरोध पर, किसी संकाय के सदस्यों की संख्या बढ़ा सकती है।
- (3) कुल-सचिव प्रत्येक संकाय का सचिव होगा।
  - (4) प्रत्येक संकाय में सदस्यों के दो बटा पांच से गणपूर्ति होगी।

संकायों के अध्यक्ष।

21. (1) प्रत्येक संकाय का अध्यक्ष होगा जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा। अध्यक्ष, संकाय में सम्मिलित विभिन्न विभागों में आचार्यों में से वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जायेगा :  
परन्तु अध्यक्ष के रूप में नियुक्त आचार्य अगली बार तब नियुक्त किया जायेगा जब संकाय के सभी आचार्य अपनी वरिष्ठता के क्रम में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो चुके होंगे :  
परन्तु यह और कि यदि संकाय में कोई आचार्य नहीं है, तो सम्बन्धित विभागों में उपाचार्यों में से अध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी।
- (2) अध्यक्ष, जो दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा, के पद के साथ उपयुक्त पारिश्रमिक होगा।
  - (3) अध्यक्ष, संकाय की बैठकें बुलाएगा तथा उनकी अध्यक्षता करेगा।
  - (4) अध्यक्ष, उनमें अध्यापन के समन्वय के लिये तथा संकाय के निर्णय के निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगा।
  - (5) अध्यक्ष को संकाय की समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने और उसके विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा।

संकाय की शक्तियां।

22. शिक्षा परिषद् के नियन्त्रण के अधधीन, संकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी—
- (क) संकाय को सौंपे गए विभागों में विश्वविद्यालय के अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य में तालमेल लाना ;
  - (ख) अध्ययन बोर्डों से आवश्यक रिपोर्ट के बाद, विभिन्न परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन तथा पाठ्य विवरणों की शिक्षा परिषद् को सिफारिश करना ;
  - (ग) विभागों से पद सृजित करने तथा समाप्त करने के लिये रिपोर्ट प्राप्त करना तथा उन्हें शिक्षा परिषद् को ऐसी सिफारिशों के साथ भेजना, जो वह युक्तियुक्त समझे ;
  - (घ) अध्यापन तथा परीक्षाओं के स्तरों की उन्नति के लिये स्कीमों के बारे में शिक्षा परिषद् से विचार-विमर्श करना तथा सुझाव देना ; और
  - (ङ) किसी मामले के संबंध में कार्रवाई करना जो उसे शिक्षा परिषद् या कुलपति या संकाय के अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जाये।

23. (1) प्रत्येक अध्यापन विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए, चक्रानुक्रम से, नियुक्त किया जायेगा : विभाग का अध्यक्ष ।

परन्तु—

- (क) यदि किसी विभाग में दो या अधिक आचार्य हों, तो अध्यक्ष पद केवल आचार्यों में से वरिष्ठता द्वारा चक्रानुक्रम से होगा, परन्तु अध्यक्ष के रूप में नियुक्त आचार्य अगली बार तब नियुक्त किया जायेगा जब विभाग में सभी आचार्य अपनी वरिष्ठता के क्रम में अध्यक्ष नियुक्त हो चुके होंगे ;
- (ख) यदि किसी विभाग में केवल एक ही आचार्य हो, तो अध्यक्ष पद, आचार्य तथा वरिष्ठतम उपाचार्य के बीच चक्रानुक्रम से होगा ;
- (ग) यदि किसी विभाग में कोई आचार्य न हो, तो अध्यक्ष पद वरिष्ठतम दो उपाचार्यों के बीच चक्रानुक्रम से होगा ;
- (घ) कुलपति, यदि वह किसी प्रशासकीय कारण से ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो वह वरिष्ठता के सिद्धांत में परिवर्तन कर सकता है, उस दशा में वह मामले की रिपोर्ट कार्य परिषद् को उसकी अगली बैठक में देगा ।

(2) ऐसे विभाग की दशा में, जहां कोई अध्यापक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र न हो, या ऐसे विभागों के लिए जहां महाविद्यालयों में केवल पूर्व स्नातक स्तर तक के लिये शिक्षा दी जाती है, संबंधित संकाय का अध्यक्ष ही उसका अध्यक्ष होगा ।

(3) यदि कोई वरिष्ठ व्यक्ति लम्बे अवकाश पर हो, तो अगला पात्र व्यक्ति विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जायेगा और वह अपनी समयावधि पूरी होने तक ऐसे रूप में निरन्तर बना रहेगा, यद्यपि वरिष्ठ व्यक्ति उस अवधि के दौरान अवकाश से वापस भी आ जाये। तथापि, वरिष्ठ व्यक्ति, वर्तमान पदधारी की समयावधि की समाप्ति के बाद, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा ।

(4) यदि विभाग का अध्यक्ष, बीमारी के कारण, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से, अपने पद के कर्तव्य का पालन में असमर्थ हो, तो जब तक कुलपति अन्यथा आदेश न करे, पद के कर्तव्य का पालन अगले पात्र व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

(5) यदि कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार करता है या स्वेच्छा से त्याग-पत्र देता है, तो वह विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक पात्र अध्यापकों में से चक्रानुक्रम से चक्र की समाप्ति के बाद उसकी बारी फिर से न आ जाये।

(6) यदि कुलपति, यह आवश्यक समझे, तो वह इस तथ्य को विचार में लाए बिना कि वर्तमान अध्यक्ष की समयावधि अभी समाप्त नहीं हुई है, अगले पात्र व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है, ऐसी दशा में वह मामले की रिपोर्ट कार्य परिषद् को उसकी अगली बैठक में देगा ।

24. (1) अध्यापन पदों पर सभी नियुक्तियां चयन समिति की सिफारिशों पर, कार्य परिषद् द्वारा की जायेंगी । नियुक्तियां ।

(2) ग्रुप-क (अध्यापनेतर/तकनीकी) पदों पर नियुक्तियां, स्थापना/चयन समिति की सिफारिश पर, कार्य परिषद् द्वारा की जाएंगी ।

(3) (i) ग्रुप-क से भिन्न पदों पर नियुक्तियां, नियमों अथवा आदेशों में अधिकथित सम्यक् प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् कुलपति द्वारा की जाएंगी ।

(ii) ग्रुप-ग तथा घ कर्मचारियों के संबंध में दैनिक वेतन आधार पर नियुक्तियां, नियमों अथवा आदेशों में अधिकथित सम्यक् प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् कुल-सचिव द्वारा की जाएंगी ।

(4) उपर्युक्त खण्ड (1), (2) और (3) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, जहां वह आवश्यक समझे, यदि नियमित नियुक्ति करना संभव अथवा वांछनीय न हो, छह मास से अनुधिक अवधि के लिये तदर्थ या अस्थायी नियुक्ति कर सकता है। जहां कार्य परिषद् नियुक्ति प्राधिकारी हो, कुलपति द्वारा लिया गया निर्णय कार्य परिषद् को उसकी अगली बैठक में सूचित किया जाएगा ।

25. (1) नीचे विनिर्दिष्ट आचार्य/उपाचार्य/प्राध्यापक की किसी नियुक्ति के लिए, चयन समिति में चयन समिति ।  
निम्नलिखित शामिल होंगे—

- (i) कुलपति ;
- (ii) संकाय का अध्यक्ष ;

- (iii) सम्बद्ध विभाग का अध्यक्ष, यदि वह आचार्य हो ;
- (iv) विभाग में वरिष्ठतम आचार्य सिवाय उसके जहां कुलपति द्वारा अन्यथा निर्णीत हो ;
- (v) उस विषय में जिससे व्यक्ति सम्बद्ध है, अपने विशेष ज्ञान, अथवा रुचि के आधार पर, शिक्षा परिषद् द्वारा तैयार की गई नामावली से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए विश्वविद्यालय से सम्बन्ध न रखने वाले तीन व्यक्ति :

परन्तु कुलपति विशेष परिस्थितियों में नामावली में अधिक नाम जोड़ सकता है और इन नामों की रिपोर्ट शिक्षा परिषद् को उसकी अगली बैठक में करेगा;

- (vi) कुलाधिपति का नामनिर्देशिती ।

(2) परिणियमों में यथा उपबन्धित, शिक्षा परिषद् द्वारा तैयार की गई नामावलियां तथा कुलपति द्वारा उनमें किये गए परिवर्धन, यदि कोई हों, आदेशों के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति के अनुमोदन के अधधीन होंगे :

परन्तु यदि चयन समिति में उपस्थित होने के निमन्त्रण को स्वीकार करने के बाद भी विशेषज्ञों में से कोई एक उपस्थित होने में असफल रहता है, तो बैठक की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी :

परन्तु यह और कि चयन समिति की बैठक की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी यदि चयन समिति का कोई पदेन सदस्य बैठक में उपस्थित होने में असफल रहता है ।

(3) कुलपति चयन समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और कुल-सचिव उसके सचिव के रूप में कार्य करेगा। चयन समिति की बैठक कुलपति द्वारा, या उसके निर्देशों के अधीन बुलाई जायेगी।

(4) चयन समिति उसे निर्दिष्ट की गई नियुक्ति के बारे में विचार करेगी और कार्य परिषद् को सिफारिश प्रस्तुत करेगी। यदि कार्य परिषद् समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने में असमर्थ हो, तो वह इसके कारण अभिलिखित करेगी और मामला कुलाधिपति को अन्तिम आदेशों के लिये प्रस्तुत करेगी ।

स्थापना  
समिति।

26. स्थापना समिति का गठन ऐसा होगा, जो अध्यादेशों द्वारा अवधारित किया जाए।

शिक्षा योजना  
बोर्ड का गठन  
और कृत्य।

27. (1) शिक्षा योजना बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे—

(क) कुलपति ;

(ख) शिक्षा में उच्च जानकारी रखने वाले सात से अन्धिक व्यक्ति, जो कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे ;

(ग) कुल-सचिव, जो बोर्ड का सचिव होगा।

(2) बोर्ड की सिफारिशों को, विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकरणों द्वारा उन्हें अनुमोदित किये जाने के बाद, कार्यरूप दिया जायेगा ।

(3) यह विश्वविद्यालय में विशेषकर शिक्षा और अनुसंधान के स्तरों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की योजना और विकास पर परामर्श देगा।

दीक्षान्त  
समारोह।

28. उपाधियां प्रदत्त करने के लिए तथा अन्य प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह ऐसी रीति में आयोजित किया जायेगा, जो कार्य परिषद् द्वारा, समय-समय पर, अध्यादेश द्वारा, अधिकथित की जाये :

परन्तु सम्मानार्थ उपाधि प्रदत्त करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन रहते हुए होगा ।

विभाग।

29. विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में कुलपति की सिफारिश पर शिक्षा परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से सृजित विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग होंगे ।

संकायों को  
अध्ययन विभाग  
का समनुदेशन।

30. कुलपति की सिफारिश पर, शिक्षा परिषद् द्वारा अध्ययन विभाग विभिन्न संकायों को समनुदेशित किये जायेंगे ।



31. (1) संकाय में सम्मिलित प्रत्येक विभाग में, दो अध्ययन बोर्ड होंगे, एक पूर्व स्नातक अध्ययन के अध्ययन बोर्ड। लिये और दूसरा स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान के लिये होगा।

(2) पूर्व स्नातक अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे –

- (i) विभाग का अध्यक्ष ;
- (ii) कुलपति द्वारा, वरिष्ठता के अनुसार, चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले, विश्वविद्यालय द्वारा विभाग में नियुक्त अथवा मान्यताप्राप्त एक आचार्य ;
- (iii) कुलपति द्वारा, वरिष्ठता के अनुसार, नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले विश्वविद्यालय द्वारा विभाग में नियुक्त अथवा मान्यताप्राप्त एक उपाचार्य तथा एक प्राध्यापक;
- (iv) आयुर्वेदिक महाविद्यालयों से सम्बद्ध विषय में, पूर्व स्नातक अध्यापन अनुभव काल द्वारा अवधारित की जाने वाली वरिष्ठता के अनुसार, चक्रानुक्रम से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों के छह अध्यापक (जिनमें प्रधानाचार्य भी शामिल हैं), किन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी एक महाविद्यालय से एक से अधिक ऐसा सदस्य न हो :

परन्तु कोई भी ऐसा अध्यापक दो क्रमिक अवधियों के लिये नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि अध्यापक, जो संकाय के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है, इस उप-खण्ड के अधीन नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा ;

- (v) विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर, कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो बाहरी विशेषज्ञ :

परन्तु कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् के अनुरोध पर, उपर्युक्त उप-खण्ड (iv) के अधीन, पूर्व स्नातक अध्ययन बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ा सकती है।

(3) स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे –

- (i) विभाग का अध्यक्ष ;
- (ii) विश्वविद्यालय द्वारा विभाग में नियुक्त अथवा मान्यताप्राप्त सभी आचार्य ;
- (iii) कुलपति द्वारा, वरिष्ठता के अनुसार, चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले विश्वविद्यालय द्वारा विभाग में नियुक्त अथवा मान्यताप्राप्त दो उपाचार्य और दो प्राध्यापक ;
- (iv) स्नातकोत्तर अध्यापन अनुभव काल द्वारा अवधारित की जाने वाली वरिष्ठता के अनुसार, कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले सम्बद्ध विषय में कम से कम दस वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित, जिसमें से पांच वर्ष का स्नातकोत्तर उपाधि अध्यापक के रूप में होगा, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विभागों के अध्यक्षों सहित दो अध्यापक :

परन्तु यदि स्नातकोत्तर विभाग रखने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालयों की संख्या छह से अधिक हो, तो संबंधित विषय का एक और अध्यापक नामनिर्दिष्ट किया जायेगा, किन्तु एक ही महाविद्यालय से एक से अधिक ऐसा सदस्य नहीं होगा ;

- (v) विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो बाहरी विशेषज्ञ :

परन्तु कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् के अनुरोध पर, उपर्युक्त उप-खण्ड (iv) के अधीन स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ा सकती है ।

(4) (i) पूर्व स्नातक अध्ययन बोर्ड, सम्बद्ध संकाय के माध्यम से पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए, विभिन्न विषयों हेतु अध्ययन के पाठ्यक्रमों और पाठ्य विवरणों तथा पाठ्य पुस्तकों के लिये शिक्षा परिषद् को सिफारिश करेगा और स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड, स्नातकोत्तर कक्षाओं और अनुसंधान उपाधियों के लिये पाठ्यक्रमों के संबंध में ऐसी सिफारिशें करेगा ;

- (ii) अध्ययन बोर्ड, पूर्व स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, जैसी भी स्थिति हो, के लिए प्राशिकों तथा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में शिक्षा परिषद् को सिफारिश भी करेगा;

- (iii) अध्ययन बोर्ड, ऐसे किसी अन्य मामले के बारे में भी कार्यवाही करेगा जो उन्हें संकाय द्वारा निर्दिष्ट किया जाये। विभाग का अध्यक्ष, बोर्ड का अध्यक्ष होगा। पदेन-सदस्यों से भिन्न सदस्य, दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे :

परन्तु कोई व्यक्ति, जिसकी पुस्तक या कोई अन्य प्रकाशन बोर्ड के समक्ष विचाराधीन हो, बोर्ड से आसक्त नहीं होगा :

परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति जो किसी एक या अन्य प्रकार से तुच्छ नोटों, गार्डिडों या सहायक पुस्तकों के प्रकाशन में सम्मिलित हो, तो वह अध्ययन बोर्ड का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा।

उपाधि,  
उपाधि-पत्र,  
इत्यादि  
वापसी।

- 32.** विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र तथा विद्या सम्बन्धी अन्य विशेष उपाधियां वापस ली जा सकती हैं -

- (क) यदि सम्बन्धित व्यक्ति की उम्मीदवारी, अध्यादेश द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार रद्द कर दी गई हो, या परीक्षाफल रद्द कर दिया गया हो ; अथवा
- (ख) यदि उम्मीदवार ने विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में दुर्व्यवहार किया हो, परन्तु प्रश्न यह कि क्या किसी व्यक्ति ने इस परिनियम के निबन्धनों के अनुसार दुर्व्यवहार किया है, तो कुलपति द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय किया जायेगा; अथवा
- (ग) जब शिक्षा परिषद् के समक्ष यह दर्शाते हुये पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि कोई व्यक्ति जिसको विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि या उपाधि-पत्र इत्यादि प्रदत्त किया गया था, ऐसे अपराध का सिद्धदोष हो गया है, जो उनकी राय में गम्भीर अपराध है, तो शिक्षा परिषद्, कार्य परिषद् को सिफारिश कर सकती है कि ऐसी उपाधि या उपाधि-पत्र को रद्द कर दिया जाये।

अध्यापकों का  
अनुमोदन,  
मान्यता की  
वापसी।

- 33.** विश्वविद्यालय द्वारा किसी अध्यापक का अनुमोदन, मान्यता वापस ली जा सकती है -

- (क) यदि अध्यापक, अध्यादेशों द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहता है ;
- (ख) यदि कार्य परिषद् के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि अध्यापक ने ऐसा कार्य किया है, जो उनकी राय में गम्भीर अपराध है, कार्य परिषद् अध्यापक का अनुमोदन, मान्यता वापस ले सकती है।

उपदान, अनुग्रह  
अनुदान  
इत्यादि।

- 34.** विश्वविद्यालय, सरकार के पैटर्न पर, अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये उपदान, अनुग्रह अनुदान, इत्यादि उपलब्ध करवायेगा।

अध्येता-वृत्ति,  
छात्रवृत्ति, पदक  
तथा पुरस्कार।

- 35.** प्रदान की जाने वाली अध्येता-वृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों तथा पुरस्कारों की संख्या तथा मूल्य कार्य परिषद् द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या शिक्षा परिषद् या वित्त समिति की सिफारिशों पर अवधारित किया जायेगा।

सदस्यता की  
समयावधि की  
परिसीमा।

- 36.** (1) इन परिनियमों में दी गई किसी बात के होते हुये भी, कोई व्यक्ति, जो किसी विशेष प्राधिकरण या निकाय के सदस्य के रूप में अथवा किसी विशेष नियुक्ति के धारक के रूप में अपनी हैसियत में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य है, केवल तब तक पद धारण करेगा जब तक उस विशेष प्राधिकरण या निकाय के सदस्य या उस विशेष नियुक्ति के धारक, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में बना रहता है :

परन्तु विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का ऐसा अध्यापक-सदस्य जो अपनी सेवा से त्याग-पत्र दे देता है अथवा छह मास अथवा इससे अधिक के लिये छुट्टी पर चला जाता है, तो वह सम्बद्ध निकाय के सदस्य के रूप में नहीं बना रहेगा तथा कोई स्थानापन्न नियुक्त किया जायेगा। यदि उसकी छुट्टी की अवधि छह मास से कम हो, तो उसकी सदस्यता उसकी वापसी तक अथवा छह मास की अवधि की समाप्ति तक, जो भी बाद में हो, स्थगित रखी जायेगी। जहां सदस्यता स्थगित रखी जाती है, वहां कोई भी स्थानापन्न सदस्य नियुक्त या निर्वाचित नहीं किया जायेगा।

(2) यदि कोई अध्यापक छह मास अथवा इससे अधिक की अवधि के लिये छुट्टी पर हो, तो वह उस विशेष रिक्ति के लिये नामनिर्देशन या पुनः निर्वाचन के लिये पात्र नहीं होगा। तथापि, वह ऐसी रिक्ति पर, जो छुट्टी से उसके लौटने के बाद उत्पन्न हो, नामनिर्देशन या निर्वाचन के लिये पात्र होगा।

- 37.** विश्वविद्यालय के इन परिणियमों अथवा अध्यादेशों में दी गई किसी बात के होते हुये भी, कोई भी व्यक्ति, जो नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का सिद्धदोष हो गया है अथवा किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था से अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी भी प्रकार की शिक्षा संस्था से कदाचार के लिए पदच्युत कर दिया गया है, तो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का अथवा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति का सदस्य बनने या बने रहने के लिये पात्र नहीं होगा। निलम्बनाधीन किसी व्यक्ति को उसके निलम्बन की अवधि के दौरान उपर्युक्त प्राधिकरणों या समितियों की किसी बैठक में बैठने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- 38.** यदि कोई व्यक्ति शिक्षा परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा के संबंध में उसकी ओर से किये गये किसी प्रकार के अनाचार के कारण विश्वविद्यालय के किसी कार्य से विवर्जित कर दिया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपवर्जन रहने तक, विश्वविद्यालय के किसी निकाय या प्राधिकरण का सदस्य बनने अथवा बने रहने के लिये निरर्हित रहेगा।
- 39.** (1) विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी कुलपति तथा संबंधित उच्च अधिकारियों के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए ऐसी प्रशासनिक और/या वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिन्हें कार्य परिषद् अध्यादेश या नियमों या विनियमों या उसके द्वारा अंगीकृत संकल्पों द्वारा प्रत्यायोजित करे।
- (2) कुलपति या कुलपति के अनुमोदन से, कुल-सचिव, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, अध्यापक या किसी अन्य कर्मचारी को ऐसी शक्तियां जो वह आवश्यक समझे प्रत्यायोजित कर सकता है जो उनमें परिणियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा निहित की गई हैं।

सदस्यता इत्यादि की समाप्ति।

सदस्यता की निरर्हिता।

अधिकारियों/ अध्यापकों/ कर्मचारियों को प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

**उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण**

वर्तमान में हरियाणा राज्य में मात्र एक ही राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, कुरुक्षेत्र है तथा राज्य में कोई राजकीय होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा कॉलेज नहीं है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित प्राचीन चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में कोई स्नातकोत्तर संस्थान नहीं है।

इसलिए प्राचीन चिकित्सा की प्रभाविकता और उपयोगिता की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न कॉलेजों/संस्थानों की सम्बद्धता, प्रबन्धन और नियन्त्रण के लिए, स्नातक/ स्नातकोत्तर सहित विभिन्न कोर्सों के पाठ्यक्रम और सर्टिफिकेट कोर्सों और परीक्षाओं का संचालन करने और डिग्री एवं डिप्लोमा प्रदान करने और अनुसंधान को उन्नत करने और आयुष प्रणाली के विकास के लिए यहां एक विश्वविद्यालय की स्थापना की तत्काल आवश्यकता है।

श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र की स्थापना मानव जाति के लिए तथा विशेष रूप से हरियाणा के लोगों के लिए लाभप्रद होगा।

अनिल विज,  
स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :  
दिनांक 25 अगस्त, 2016.

आर० के० नांदल,  
सचिव।

**प्रत्यायोजन विधान के बारे ज्ञापन**

प्रस्तावित विधेयक का खण्ड 25 विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या अधिकारियों में शक्तियों के प्रत्यायोजन की व्यवस्था करता है। प्रस्तावित विधेयक का खण्ड 26 कार्यकारी परिषद् को कुलपति के अनुमोदन से परिनियम बनाने के लिए अधिकृत करता है। विधेयक का खण्ड 28 कार्यकारी परिषद् को अध्यादेश बनाने की शक्ति प्रत्यायुक्त करता है। इसी प्रकार विधेयक का खण्ड 29 विश्वविद्यालय के प्राधिकरण को अधिनियम के प्रयोजन की पालना करने हेतु विनियम बनाने की शक्तियाँ प्रत्यायुक्त करता है। प्राधिकरण को शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य आचरण है। अतः हरियाणा विधान मण्डल के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 126 के अन्तर्गत वांछित प्रत्यायोजन विधान का ज्ञापन संलग्न है।